SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 20
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

Digitally signed by SURJITH K
Date: 2026.07.31 13:00:42 +05'30'

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 20

(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

_______________ को लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर रखा गया

विषयसूची

विषय		पृष्ठ
प्रस्तावना		**i**
कार्यकारी सारांश		**iii**
अध्याय-I : अप्रत्यक्ष कर प्रशासन एवं राजस्व प्रवृत्ति		**1-10**
1.1	अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	1
1.2	संगठनात्मक संरचना	2
1.3	राजस्व प्रवृत्ति	3
1.4	निष्कर्ष	10
अध्याय-II : लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि तथा लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया		**11-17**
2.1	लेखापरीक्षा अधिदेश	11
2.2	लेखापरीक्षा समष्टि	12
2.3	लेखापरीक्षा प्रतिदर्श, लेखापरीक्षा प्रयास तथा लेखापरीक्षा उत्पाद	14
2.4	सीएजी के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	15
2.5	इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया	16
अध्याय III : जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा- चरण III		**19-94**
3.1	प्रस्तावना	19
3.2	जीएसटीएन का लेखापरीक्षा - कार्यपद्धतियाँ	21
3.3	लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश	24
3.4	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई	25
3.5	पंजीकरण	33
3.6	विवरणियाँ	51
3.7	आईजीएसटी निपटान	71
3.8	आईटी शासन और आईटी सुरक्षा	81
3.9	निष्कर्ष	91
3.10	अनुशंसाओं का सारांश	93

विषय	पृष्ठ
अध्याय IV : माल एवं सेवा कर के अंतर्गत कार्य संविदा और निर्माण सेवाएं	**95-161**
4.1 परिचय	95
4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य	97
4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	98
4.4 लेखापरीक्षा पद्धति	98
4.5 नमूना चयन	99
4.6 लेखापरीक्षा मापदंड	102
4.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	104
4.8 राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	158
4.9 निष्कर्ष	158
4.10 अनुशंसाओं का सारांश	160
परिशिष्ट-I: राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	**163**
शब्दकोश	**169**

प्रस्तावना

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं। यह प्रतिवेदन माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधिरोपण एवं संग्रहण से संबंधित मुद्दों पर आधारित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर लगाए जाने वाले कर को छोड़कर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला कर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पाँच पेट्रोलियम उत्पादों तथा तंबाकू उत्पादों को छोड़कर), सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) तथा राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित कर दिया गया। यह प्रतिवेदन केंद्रीय माल एवं सेवा कर के अधिरोपण तथा संग्रहण से संबंधित मुद्दों से संबंधित है।

यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में विभाजित है। अध्याय-I में अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की संगठनात्मक संरचना, अप्रत्यक्ष कर राजस्व की प्रवृत्तियों तथा अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। अध्याय-II में राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा क्षेत्र, लेखापरीक्षा नमूना तथा लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन किया गया है। अध्याय-III में जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली के तृतीय चरण के लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं। अध्याय-IV में माल एवं सेवा कर के अंतर्गत कार्य संविदा और निर्माण सेवाओं पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के दौरान पाए गए प्रणालीगत तथा अनुपालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने ₹ 401.42 करोड़ की राशि वाले 1,334 अनुपालन संबंधी कमियां पाई, जिसमें से विभाग ने ₹ 268.36 करोड़ के 903 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा लेखापरीक्षा के निर्देश पर 399 मामलों में ₹15.88 करोड़ की वसूली की सूचना दी। प्रतिवेदन के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

अध्याय-I: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन एवं राजस्व प्रवृत्ति

वित्त वर्ष 23 की तुलना वित्त वर्ष 24 में अप्रत्यक्ष कर के संग्रह में ₹ 1,14,847 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में,

जीडीपी के सापेक्ष अप्रत्यक्ष करों का अनुपात घट गया, जब वित्त वर्ष 24 में यह अनुपात वित्त वर्ष 23 में 5.15 प्रतिशत से घटकर 4.98 प्रतिशत हो गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में यह कमी मुख्यतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में गिरावट के कारण हुई, जो वित्त वर्ष 23 में ₹ 3,19,000 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 24 में ₹ 3,05,362 करोड़ रह गया। हालांकि, वित्त वर्ष 24 में केंद्रीय जीएसटी राजस्व, वित्त वर्ष 23 की तुलना में 13 प्रतिशत (₹ 1,08,804 करोड़) बढ़ा।

(पैराग्राफ 1.3)

अध्याय-III: जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा - चरण III

सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा[1] का प्रथम चरण मई से अक्टूबर 2018 के बीच संचालित किया गया था, जिसमें दो मॉड्यूलों - पंजीकरण एवं भुगतान के अतिरिक्त एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) निपटान प्रतिवेदनों, मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण (एसटीक्यूसी) की सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा संबंधी प्रतिवेदनों, दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए व्यवसाय निरंतरता योजनाओं तथा परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया की सीमित समीक्षा को सम्मिलित किया गया था। जीएसटीएन[2] की आईटी प्रणाली की लेखापरीक्षा का द्वितीय चरण अक्टूबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच संचालित किया गया था, जिसमें दो अन्य मॉड्यूल अर्थात् प्रतिदाय एवं विवरणियां को तथा एनआईसी बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित ई-वे बिल प्रणाली को सम्मिलित किया गया था, साथ ही प्रथम चरण की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती समीक्षा भी की गई थी।

जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली की लेखापरीक्षा का तृतीय चरण इस बात का आकलन करने के लिए आयोजित किया गया था कि जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा के पूर्ववर्ती दो चरणों के निष्कर्षों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया है तथा पंजीकरण और विवरणी मॉड्यूल में लागू की गई अतिरिक्त

---

[1] इस लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019 का 11 (अप्रत्यक्ष कर-जीएसटी) के अध्याय III में सम्मिलित किया गया।

[2] इस लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को अगली सीएजी अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2021 का 01 (अप्रत्यक्ष कर-जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) के अध्याय III में सम्मिलित किया गया।

कार्यात्मकताओं एवं आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ सूचना प्रोद्योगिकी प्रशासन और सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा की भी समीक्षा की गई।

(पैराग्राफ 3.2)

समग्र रूप से, पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अनुवर्तन से पता चला कि पिछले दो चरणों के लेखापरीक्षा के 56 निष्कर्षों में से जीएसटीएन ने 38 मुद्दों का निवारण कर दिया था, एक मुद्दे का आंशिक रूप से निवारण किया गया है और तीन मामलों में निवारण की प्रक्रिया जारी है, जबकि शेष मामलों में संशोधन शुरू नहीं किया गया था, अपर्याप्त था या प्रावधानों में बदलाव के कारण आवश्यक नहीं थे।

(पैराग्राफ 3.3)

पंजीकरण मॉड्यूल

यद्यपि अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच लागू की गई अधिकांश अतिरिक्त सुविधाएँ, जिनका सत्यापन किया गया था, परिकल्पना के अनुसार कार्य कर रही थीं, लेकिन लेखापरीक्षा में करदाता पंजीकरण मॉड्यूल के फ्रंट-एंड भाग में आठ सुविधाओं में अनुचित और अपर्याप्त सत्यापन के संदर्भ में त्रुटियाँ पाई गईं और कर अधिकारियों के मॉड्यूल में पंजीकरण की स्वीकृति और रद्द करने, संभावित उल्लंघनों की निगरानी के लिए चेतावनी तंत्र और पंजीकरण की स्वीकृति में प्रक्रिया में विलंब से संबंधित सात कार्यात्मकताओं में त्रुटियाँ पाई गईं।

(पैराग्राफ 3.5)

विवरणी मॉड्यूल

यद्यपि अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच लागू की गई अधिकांश अतिरिक्त सुविधाएं, जिनकी जांच की गई, अपेक्षित रूप से कार्य कर रही थीं, हालांकि, लेखापरीक्षा में कार्य नियमों के प्रतिचित्रण में नौ कमियां पाई गईं और विवरणी दाखिल करने, करदाताओं की पात्रता सत्यापित करने, कर देयता का निर्वहन करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लेने और निगरानी में सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रणालीगत अलर्ट भेजने से संबंधित कार्यप्रणालियों को

लागू नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि लागू की गई पांच कार्यप्रणालियां अपेक्षित रूप से कार्य नहीं कर रही थीं।

(पैराग्राफ 3.6)

आईजीएसटी निपटान

लेखापरीक्षा ने एसआरएस चरण-II (संस्करण 2.00) में परिलक्षित विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर निपटान रिपोर्टों और डेटा आउटपुट का विश्लेषण किया और विभिन्न निपटान रिपोर्टों से संबंधित पांच कमियों का निरीक्षण किया, जो तैयार नहीं की गई थीं और उन मामलों में आईजीएसटी के आवंटन में विसंगतियों का निरीक्षण किया, जहां निपटान रिपोर्टें बनाई गई थीं।.

(पैराग्राफ 3.7)

सूचना प्रोद्यौगिकी शासन और सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीएन काफी हद तक लागू सूचना प्रोद्यौगिकी ढांचे, अवसंरचना के निर्माण और सेवा स्तर समझौतों के अनुसार प्रदर्शन की निगरानी की आवश्यकताओं के अनुरूप था। हालांकि, इन क्षेत्रों में कुछ अंतराल थे, जिनमें सूचना प्रोद्यौगिकी ढांचे के आंशिक अनुपालन, पोर्टल क्षमता बढ़ाने और अधिक लचीले डेटा केंद्रों पर जाने के संदर्भ में अवसंरचना की योजना में अंतराल सम्मिलित थे।

(पैराग्राफ 3.8)

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि जीएसटीएन-

i. **फ्रंट-एंड करदाता पंजीकरण मॉड्यूल में सत्यापन संबंधी त्रुटियों के निवारण में तेजी लाए।**

ii. **कंपोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनने वाले पात्र करदाताओं पर लगाए गए अनुचित प्रतिबंधों के संशोधन में तेजी लाए।**

iii. **भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अपलोड करने की कार्यप्रणाली में कमियों, पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्य नियमों की गलत मैपिंग और बैंकिंग प्लेटफार्मों के एकीकरण में त्रुटियों को दूर करे।**

iv. **वह सुविधा जिससे कर अधिकारी कंपोजिशन लेवी योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने वाले करदाताओं की निगरानी कर सकें को शीघ्रातिशीघ्र सम्मिलित करे।**

v. **त्रैमासिक दाखिल करने की पात्रता को लागू करने, जीएसटीआर 9 में अतिरिक्त देयता को समाप्त करने, विलंबित विवरणी दाखिल करने पर ब्याज की स्वतः गणना करने, आईटीसी-03 का समय पर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन विकसित करे और बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा में सत्यापन की कमजोरी को दूर करे।**

vi. **आईटीसी के उत्क्रमण के लिए, जब आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता के जीएसटीएन में संशोधन करता है, कार्यक्षमता विकसित करने में और सभी विवरणी दाखिल करने वाले चूककर्ताओं को नोटिस जारी करने में तेजी लाए।**

vii **कंपोजिशन लेवी योजना के तहत करदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने में तेजी लाए।**

viii. **क्रमिक विवरणी दाखिल करने की कार्यक्षमता में विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया में तेजी लाए।**

ix. **जीएसटीआर 4ए में सारांश पत्रक उपलब्ध कराने पर विचार करे ताकि करदाताओं को कंपोजिशन लेवी योजना के तहत सुविधा प्रदान की जा सके।**

x. **विवरणी में स्वतः भरे गए मूल्यों में असंगतियों और विसंगतियों को ठीक करे क्योंकि यह विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के अनुपालन और सरलीकरण को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है।**

xi. **संशोधित निपटान प्रक्रिया के साथ नियमों की असंगति के मुद्दे और अपराधों के शमन के बदले एकत्रित आईजीएसटी का समायोजन न करने के मामले का समाधान करे।**

xii. उन करदाताओं के लिए आईजीएसटी के प्रति निपटान की प्रक्रिया शुरू करे जो आईटीसी-01 फाइल करते हैं और अपील आदेशों पर आईजीएसटी प्रतिदाय देते हैं।

(पैराग्राफ 3.10)

अध्याय IV: माल एवं सेवा कर के अंतर्गत कार्य संविदा और निर्माण सेवाएं

कार्य संविदा एवं निर्माण सेवाओं पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) का उद्देश्य करदाताओं और/या विभाग द्वारा अनुपालन के प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ गैर-अनुपालन के मामलों की पहचान करना था।

(पैराग्राफ 4.2)

एसएससीए के कार्यक्षेत्र में विभाग द्वारा की गई विवरण संवीक्षा की समीक्षा करना और वित्तीय वर्ष (विव) 2020-21 और 2021-22 से संबंधित अप्रैल 2020 से मार्च 2022 की अवधि हेतु सीबीआईसी द्वारा प्रशासित करदाताओं के रिकॉर्ड का सत्यापन करना सम्मिलित था। रेंज लेखापरीक्षा के लिए, 2020-21 से 2023-24 की अवधि के लिए रिकॉर्ड की जांच की जानी थी।

(पैराग्राफ 4.3)

आईटीसी और बकाया देनदारी से जुड़े पूर्व निर्धारित 12 जोखिम मापदंड जिनमें से हर एक का विशेष जोखिम स्कोर है, के आधार पर सीबीआईसी के अंतर्गत 69 आयुक्तालयों में (104 आयुक्तालयों में से) आने वाले कुल 715 करदाताओं को लेखापरीक्षा नमूने के रूप में चुना गया। ऊपर बताए गए 715 करदाताओं के अतिरिक्त, मेट्रो परियोजनाओं में विशेष तौर पर सम्मिलित 12 आयुक्तालयों के 20 करदाताओं (96 करदाताओं में से) को भी लेखापरीक्षा के लिए चुना गया।

इसके अलावा, एसएससीए के अंतर्गत, ये नमूने उन मामलों में से लिए गए थे जिनका लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए निर्माण संविदा/ निर्माण सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना था, इनमें से लेखापरीक्षा आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र से 115 करदाताओं का एक नमूना चुना गया।

अंत में, लेखापरीक्षा ने रेंज के कार्यों की समीक्षा के लिए इस एसएससीए के अंतर्गत 71 (528 रेंज में से) का नमूना चुना।

इस प्रकार, कुल मिलाकर लेखापरीक्षा ने 850 करदाताओं और 71 रेंज का चयन किया।

(पैराग्राफ 4.5)

कुल 735 करदाताओं के नमूनों में से, 22 मामलों में विभाग के बैकएंड एप्लिकेशन पर जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9सी और वित्तीय विवरण उपलब्ध न होने के कारण पहले चरण की जांच सीमित रही और इन मामलों में कर भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने और कार्य संविदा आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागू रियायती कर दर के संबंध में ₹ 36.09 करोड़[3] के संभावित अंतर की पहचान की गई। छः अलग-अलग रेंज के अंतर्गत छः मामलों में, विभाग ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पूरा होने के बाद रिकॉर्ड प्रस्तुत किए लेकिन रिपोर्टिंग से जुड़ी चुनौतियों के कारण उनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इसके अतिरिक्त, पहचाने गए जोखिमों के आधार पर मांगे गए और फॉलो-अप किए गए करदाताओं के विस्तृत[4] रिकॉर्ड के आंशिक रूप से उपलब्ध होने के कारण दूसरे चरण का सत्यापन प्रभावित हुआ। वे विस्तृत रिकॉर्ड जो विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे, उन्हें संबंधित करदाताओं से प्राप्त करना था। चार सौ इकतीस मामलों (जिनमें 392 करदाता सम्मिलित थे) में ये रिकॉर्ड नहीं मिल पाए; इन मामलों में लेखापरीक्षा ने कर देनदारी और आईटीसी रियायती कर दर दोनों से उठाये गये लाभ के बीच ₹ 2,732.56 करोड़ के अंतर की पहचान की थी।

(पैराग्राफ 4.7.1)

---

[3] आयुक्तालय - भुवनेश्वर (तीन मामले - ₹ 27.65 करोड़); बेंगलुरु पूर्व (तीन मामले - ₹ 2.84 करोड़); बेलगावी (दो मामले - ₹ 2.31 करोड़); बेंगलुरु उत्तर (तीन मामले - ₹ 1.62 करोड़); कोच्चि (एक मामला - ₹ 1.16 करोड़); बेंगलुरु पश्चिम (एक मामला - ₹ 0.34 करोड़); डिब्रूगढ़, गुवाहाटी (दो मामले - ₹ 0.17 करोड़); रायपुर, इंदौर, भोपाल और ईटानगर (सात मामले - शून्य)।

[4] अनुपूरक वित्तीय बही-खाते, बीजक, समझौता प्रतियाँ आदि।

सात सौं पैंतीस करदाताओं के नमूना जांच में से, लेखापरीक्षा के दौरान ये मामले इन वजहों से थे: सड़क, पुल, रेलवे और मिट्टी की खुदाई के कार्य से जुड़े कार्य संविदा पर रियायती कर रेट/छूट का गलत फायदा उठाना; सरकारी प्राधिकारी/इकाई को दी गई कार्य संविदा सेवा पर कम कर चुकाना; आरसीएम के अंतर्गत बिल्डर/डेवलपर द्वारा कम कर चुकाना; आवासीय अचल संपत्ति/ अचल संपत्ति परियोजनाओं में गड़बड़ियां; चल रहे/पूरी हो चुके परियोजनाओं पर आईटीसी का गलत फायदा उठाना; आयकर अधिकारियों द्वारा पता लगाई गई बिना हिसाब-किताब वाले 'धन से' आय पर जीएसटी न चुकाना और मेट्रो परियोजनाओं को पूरा करने में कर की देनदारी कम चुकाना जैसे कारण से नियमों के पालन में कमी के 123 मामले पाये गये, जिनसे ₹ 190.98 करोड़ का राजस्व प्रभाव पड़ा।

(पैराग्राफ 4.7.3)

लेखापरीक्षा में 522 करदाताओं से संबंधित 1,057 अनुपालन त्रुटियाँ पाई गईं, जो 715 करदाताओं के नमूने में थीं, जिनमें जीएसटी पंजीकरण में सेवा कोड और अतिरिक्त व्यवसाय स्थानों का उल्लेख न करना, आईटीसी के लाभ में असंगति तथा कर और ब्याज के कम उद्ग्रहण जैसी त्रुटियाँ सम्मिलित थीं, जिनमें ₹ 188.98 करोड़ की राशि सम्मिलित थी।

(पैराग्राफ 4.7.4)

लेखापरीक्षा ने चयनित 71 रेंजों में प्रचलित रिटर्न जांच एवं निर्धारण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। उन्नीस रेंजों ने करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी रिटर्न की जांच संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं कराया। लेखापरीक्षा ने नमूना रेंजों में से 57 रेंजों में पर्यवेक्षण कार्यों में त्रुटियाँ पाईं।

जबकि चार रेंजों ने अपेक्षित रूप से संवीक्षा नहीं की, वहीं 11 रेंजों में संवीक्षा किए गए मामलों में त्रुटियाँ पाई गईं, जो निर्धारित कर/ब्याज में अंतराल को दर्शाती हैं, जो ₹ 3.18 करोड़ की राशि है।

बारह रेंजों के 73 मामलों में, लेखापरीक्षा ने विलंब पाया, जो मुख्यतः एएसएमटी-10 और एएसएमटी-12 जारी करने तथा जीएसटी की धारा 73 और 74 के अंतर्गत कार्रवाई करने में था। लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन

महानिदेशालय (डीजीएआरएम) द्वारा चिह्नित मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई 10 रेंजों के 76 मामलों में अपर्याप्त पाई गई, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 12.81 लाख था।

(पैराग्राफ 4.7.5)

लेखापरीक्षा अनुशंसाएं

- ***विभाग एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिसके अंतर्गत संवीक्षा या आंतरिक लेखापरीक्षा में मामलों के बड़े नमूने को सम्मिलित किया जाए, जहाँ कार्य संविदा सेवाओं से संबंधित रियायतों का लाभ उप-संविदाकारों/ उप-उप-संविदाकारों द्वारा लिया जा रहा हो, जो सड़क, पुल और रेलवे के कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं, ताकि करदाताओं द्वारा कर का उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।***

  विभाग दावा की जा रही रियायतों को विनियमित करने हेतु उपयुक्त सत्यापन नियंत्रणों को सम्मिलित करने की संभावना का भी परीक्षण करे।

- ***विभाग एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिसके अंतर्गत जांच या आंतरिक लेखापरीक्षा में मामलों के बड़े नमूने को सम्मिलित किया जाए, जहाँ मृदा-कार्य के लिए रियायती दर का दावा उन कार्य संविदा सेवाओं पर किया जाता है, जिनका निष्पादन सेवा प्रदाताओं (उप-उप-संविदाकारों) द्वारा किया गया हो, जो उप-संविदाकारों के अतिरिक्त अन्य हों, ताकि करदाताओं द्वारा कर का उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।***

  विभाग दावा की जा रही रियायतों को विनियमित करने हेतु उपयुक्त सत्यापन नियंत्रणों को सम्मिलित करने की संभावना का भी परीक्षण करे।

- ***विभाग ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिसके अंतर्गत उन मामलों की समीक्षा (जैसे कि उन्हें जांच, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि के लिए चयनित करना) की जाए, जहाँ कार्य संविदा या निर्माण सेवाओं का निष्पादन करने वाले करदाता सरकारों से सेवाएँ प्राप्त करते हैं अथवा अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से इनपुट तथा इनपुट सेवाएँ खरीदते हैं, ताकि ऐसे करदाताओं द्वारा आरसीएम के अंतर्गत कर का उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।***

- ***विभाग को सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने तथा आयकर प्राधिकरणों के पास उपलब्ध अघोषित आय संबंधी जानकारी का उपयोग करते हुए कार्य संविदा और निर्माण सेवाएँ प्रदान करने वाले करदाताओं की संबंधित जीएसटी देयता का निर्धारण करना चाहिए।***

(पैराग्राफ 4.10)

अध्याय I अप्रत्यक्ष कर प्रशासन एवं राजस्व प्रवृत्ति

यह अध्याय अप्रत्यक्ष कर प्रशासन तथा अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में राजस्व प्रवृत्तियों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

1.1 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मुख्यतः माल एवं सेवा कर के उदग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा का समग्र परिदृश्य प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित कुछ अभ्युक्तियाँ भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। सीमा शुल्क के उदग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष एक पृथक प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अप्रत्यक्ष करों का विवरण निम्नानुसार है:

क) माल एवं सेवा कर: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वस्तुओं अथवा सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है, जिसमें मानव उपभोग हेतु मादक पेय पदार्थों तथा पाँच पेट्रोलियम उत्पादों[5] की आपूर्ति पर लगने वाले कर सम्मिलित नहीं हैं। जीएसटी 1 जुलाई 2017[6] से प्रभावी हुआ। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) घटकों और राज्यों के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा जीएसटी, दोनों ही लागू होते हैं। जीएसटी एक उपभोग-आधारित कर है, अर्थात् कर उस राज्य में देय होता है जहाँ वस्तुओं अथवा सेवाओं या दोनों का अंतिम रूप से उपभोग किया जाता है। जीएसटी के अतिरिक्त, तंबाकू उत्पाद, कोयला, सोडा वाटर (कार्बोनेटेड पेय), मोटर कार आदि कुछ वस्तुओं पर 'जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर' नामक उपकर भी लगाया जाता है।

---

5 कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और एविएशन टर्बाइन ईंधन।

6 जम्मू-कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से प्रभावी।

जीएसटी के तीन घटक इस प्रकार हैं:

- **केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी)**: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र सरकार को देय कर।
- **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी):** राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार को देय कर।
- **एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी):** वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति के मामले में, भारत सरकार द्वारा आईजीएसटी अधिरोपित किया जाता है। भारत में होने वाले आयात पर भी आईजीएसटी अधिरोपित किया जाता है। आईजीएसटी का विभाजन उस तरीके से किया जाता, जैसा कि संघ और राज्यों के बीच माल एवं सेवा कर परिषद् की अनुशंसाओं पर संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाता है।

ख) **केंद्रीय उत्पाद शुल्क:** केंद्रीय उत्पाद शुल्क उन वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर अधिरोपित किया जाता है, जिन्हें जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखा गया है। संसद को तंबाकू तथा पाँच पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 84 के अनुसार)।

1.2 संगठनात्मक संरचना

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के राजस्व विभाग (डीओआर) का कार्य संचालन सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन एवं नियंत्रण में होता है एवं यह विभाग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित विषयों का समन्वय दो वैधानिक बोर्डों, अर्थात् सीबीआईसी तथा सीबीडीटी, के माध्यम से करता है, जिनका गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत किया गया था। जीएसटी के अधिरोपण एवं संग्रहण से संबंधित मामलों को सीबीआईसी देखता है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीआईसी द्वारा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। जीएसटी के कार्यान्वयन के दृष्टिगत, सीबीआईसी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन 19 जून 2017 के परिपत्र के माध्यम से प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में जीएसटी के 21 क्षेत्रों में कर लिया। जीएसटी के इन 21 क्षेत्रों (ज़ोन) के अंतर्गत 107 जीएसटी करदाता सेवा कमिश्नरेट हैं, जो जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हैं और जिनका नेतृत्व प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा किया जाता है। इनके अधीन क्रमशः उप आयुक्त/सहायक आयुक्त तथा अधीक्षक के नेतृत्व में मंडल और परिक्षेत्र कार्यरत हैं। इन आयुक्तालयों के अतिरिक्त, 49 जीएसटी अपील कमिश्नरेट, 48 जीएसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरेट तथा 22 निदेशालय भी कार्यरत हैं, जो विशिष्ट कार्यों का निर्वहन करते हैं, जैसे कि सूचना प्रोद्यौगिकी परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु डीजी (प्रणाली) तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु डीजी राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) सम्मिलित हैं।

1.3 राजस्व प्रवृत्ति

1.3.1 अप्रत्यक्ष कर राजस्व प्रवृति

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक भारत सरकार के समग्र संसाधनों तथा संघ सरकार के कर राजस्व के विवरण को आगे **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: भारत सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	42,17,668	36,61,672	33,34,813	24,59,509	25,98,705
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	19,60,166	16,63,686	14,12,422	9,47,174	10,50,685
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां (कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में)	15,05,352[7] (35.69 %)	13,90,505 *(37.97 %)*	12,96,893 *(38.89 %)*	10,79,929 *(43.91 %)*	9,59,374 *(36.92 %)*
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	7,51,137	6,05,594	6,24,192	4,30,654	5,88,273
iv. अनुदान सहायता एवं अंशदान	1,013	1,887	1,306	1,752	373
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	45,281	46,035	14,638	37,897	50,349
ग. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,16,974	36,273	24,948	29,923	18,647
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	91,60,050	88,64,893	82,49,152	81,62,910	73,01,386
भारत सरकार की प्राप्तियाँ (क + ख + ग + घ)	**1,35,39,973**	**1,26,08,873**	**1,16,23,551**	**1,06,90,239**	**99,69,087**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे।

* कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से आबंटित प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों की शुद्ध प्राप्तियों का हिस्सा भी सम्मिलित है।

वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में ₹ 1,14,847 करोड़ (8.26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष) वित्त वर्ष 2021 में 12.57 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 20.09 प्रतिशत हो गई थी, किंतु वित्त वर्ष 2023 में इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई और यह घटकर 7.22 प्रतिशत रह गई। हालांकि,

[7] अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में भूमि राजस्व तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण से प्राप्त ₹411.76 करोड़ की प्राप्तियाँ भी शामिल हैं, जो अप्रत्यक्ष कर नहीं हैं, अतः इन्हें आगामी पैराग्राफ में अप्रत्यक्ष करों की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य उत्पाद शुल्क, विक्रय व्यापार पर कर आदि, वाहनों पर कर तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क आदि जैसे अन्य करों से प्राप्त ₹3,333.63 करोड़ की प्राप्तियों को भी आगामी अनुच्छेदों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) वित्त वर्ष 24 में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का मुख्य कारण माल एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क से प्राप्तियों में हुई वृद्धि थी, जिनमें वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में क्रमशः ₹ 1,08,804 करोड़ (13 प्रतिशत) तथा ₹ 19,748 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। हालांकि वित्त वर्ष 2024 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹ 13,638 करोड़ (चार प्रतिशत) की कमी आई।

कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा वित्त वर्ष 2021 में 43.90 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 35.69 प्रतिशत रह गया।

1.3.1.1 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्तियाँ एवं संरचना

नीचे दी गई **तालिका 1.2** में वित्त वर्ष 2020 से 2024 के दौरान जीडीपी तथा सकल कर राजस्व के सापेक्ष अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि को दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर*	जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर)	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वित्त वर्ष 20	9,56,574	2,03,39,849	4.70	20,10,059	47.59
वित्त वर्ष 21	10,77,597	1,98,00,914	5.44	20,27,103	53.16
वित्त वर्ष 22	12,93,672	2,36,64,637	5.47	27,09,315	47.75
वित्त वर्ष 23	13,86,561	2,69,49,646	5.15	30,54,191	45.40
वित्त वर्ष 24	15,01,607	3,01,22,956[8]	4.98	34,65,518	43.33

स्रोत : कर राजस्व - संघ वित्त लेखे।

*अप्रत्यक्ष करों में सीएक्स, एसटी, जीएसटी, सीमा शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले अन्य करों से प्राप्त राजस्व (समतुल्यता उपकर को छोड़कर) सम्मिलित है।

वित्त वर्ष 2023 तथा वित्त वर्ष 2024 में, अप्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात, जो वित्त वर्ष 2020 के 4.70 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 5.47 प्रतिशत हो गया था, क्रमशः घटकर 5.15 प्रतिशत तथा 4.98 प्रतिशत रह गया। वित्त वर्ष 2023 एवं वित्त वर्ष 2024 में अप्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात में आई गिरावट का कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में कमी हो सकती है, जो वित्त वर्ष

[8] वित्त वर्ष 24 के लिए जीडीपी - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 30 मई 2025 को जारी प्रेस नोट।

2022 में ₹ 3,90,808 करोड़ से घटकर क्रमशः वित्त वर्ष 2023 तथा वित्त वर्ष 2024 में ₹ 3,19,000 करोड़ और ₹ 3,05,362 करोड़ रह गया।

सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 तक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाता है, जहां सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर वित्त वर्ष 21 में 53.16 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 24 में 43.33 प्रतिशत हो गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अक्टूबर 2025), मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2026) कि वित्त वर्ष 2021 तथा वित्त वर्ष 2022 की कुछ अवधि सामान्य नहीं थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व कोविड महामारी से प्रभावित हुई थी और वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी तथा प्रत्यक्ष कर, दोनों में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी, वित्त वर्ष 22 में अर्थव्यवस्था में तीव्र वी-आकार की रिकवरी देखी गई तथा वित्त वर्ष 22 में अल्प कर आधार के कारण प्रत्यक्ष करों में 49 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई तथा अप्रत्यक्ष करों में भी तुलनीय आधार पर लगभग 20 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई। मंत्रालय ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 12 से, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 को छोड़कर, कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा 33 प्रतिशत से 39 प्रतिशत के बीच रहा है। वित्त वर्ष 20, वित्त वर्ष 23 तथा वित्त वर्ष 24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा इसी सीमा के भीतर रहा।

मंत्रालय ने सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में आई गिरावट का कारण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2021 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में की गई भारी कटौतियों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 23 एवं 24 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में हुई वर्ष-दर-वर्ष गिरावट, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में कमी तथा प्रत्यक्ष कर संग्रह में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को बताया।

1.3.2 अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि

तालिका 1.3 वित्त वर्ष 20 से 24 के दौरान अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों में हुई वृद्धि को दर्शाती है :

(₹ करोड़ में)

कर घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केंद्रीय जीएसटी कर[9]	6,01,784	5,51,541	7,02,105	8,53,901	9,62,705
सीमा शुल्क	1,09,283	1,34,750	1,99,728	2,13,371	2,33,119
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2,39,452	3,89,667	3,90,808	3,19,000	3,05,362
सेवा कर	6,029	1,615	1,012	431	425
अन्य कर एवं शुल्क	26	24	19	-142	-4.32
अप्रत्यक्ष कर	**9,56,574**	**10,77,597**	**12,93,672**	**13,86,561**	**15,01,607**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वित्त वर्ष 24 में केंद्रीय जीएसटी का राजस्व वित्त वर्ष 23 की तुलना में 13 प्रतिशत (₹ 1,08,804 करोड़) बढ़ा। अप्रत्यक्ष करों के अन्य प्रमुख घटक अर्थात सीमा शुल्क में भी इसी अवधि के दौरान 9 प्रतिशत (₹ 19,748 करोड़) की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 21 में, अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय जीएसटी का हिस्सा, वित्त वर्ष 20 में 63 प्रतिशत से घटकर 51 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, वित्त वर्ष 21 से लेकर वित्त वर्ष 24[10] तक, अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय जीएसटी का योगदान वित्त वर्ष 21 में 51 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 64 प्रतिशत हो गया।

---

[9] जीएसटी राजस्व में केंद्रीय माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर, संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर तथा जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर शामिल हैं। वित्त वर्ष 20, 21, 22 एवं 23 के दौरान क्रमश: ₹ 9,125, ₹ 7,251 करोड़, ₹ 2,119 करोड़ एवं ₹ 4,748 करोड़ की आईजीएसटी राशि, भारत की समेकित निधि में रोक कर रखी गई जिसे केन्द्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किए जाने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने यह मुद्दा सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2024 की सं. 7 के पैराग्राफ 1.3 एवं 2025 की सं. 25 में उल्लिखित किया। लेखापरीक्षा अभयुक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने 2024-25 से प्रभावी, आईजीएसटी की अविभाजित राशि के लेखा समायोजन हेतु लेखांकन प्रक्रिया में संशोधन किया।

[10]

कर घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केंद्रीय जीएसटी कर	63%	51%	54%	62%	64%
सीमा शुल्क	11%	13%	15%	15%	16%
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	25%	36%	30%	23%	20%
सेवा कर	1%	0%	0%	0%	0%

नीचे दिया गया **चार्ट 1.1** अप्रत्यक्ष करों के तीन प्रमुख घटकों अर्थात् केंद्रीय जीएसटी राजस्व, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

चार्ट 1.1: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों के प्रमुख घटक

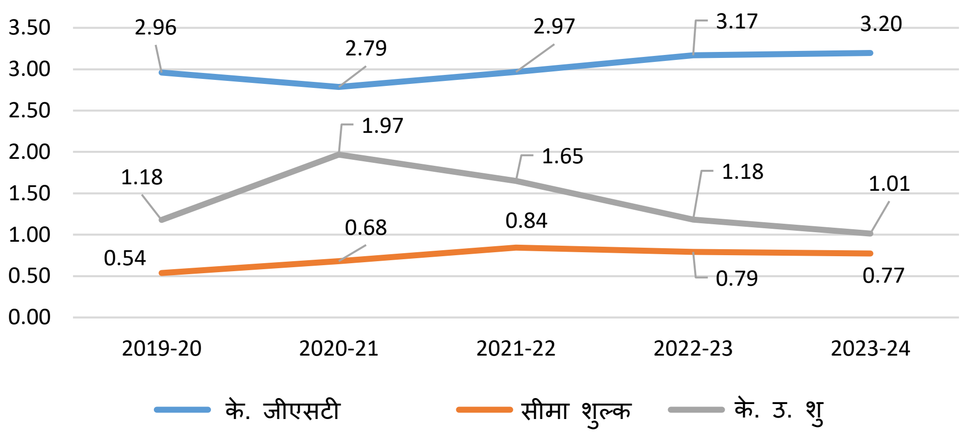

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 24 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी राजस्व 2.96 प्रतिशत से बढ़कर 3.20 प्रतिशत हो गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व, वित्त वर्ष 20 में 0.54 प्रतिशत से वित्त वर्ष 22 में 0.84 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृति दिखाने के बाद, में वित्त वर्ष 20 में 0.84 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 24 में 0.77 प्रतिशत रह गया। वहीं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष 20 के 1.18 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 24 में 1.01 प्रतिशत हो गया।

जब लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया (अक्टूबर 2025), तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2026) कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी राजस्व में वृद्धि, उच्च कर वृद्धि दर, प्रशासनिक दक्षता तथा जीएसटी संरचना के सुदृढ़ीकरण का संकेत है। मंत्रालय ने जीएसटी संग्रह में वृद्धि का श्रेय जीएसटी अनुपालन में हुए उल्लेखनीय सुधार को दिया, जो ई-बीजक व्यवस्था, स्वचालित रूप से विवरण का मिलान तथा डेटा-आधारित संवीक्षा के साथ-साथ प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रवर्तन और फर्जी बीजक के प्रति की गई कार्रवाई के कारण संभव हुआ।

वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24 तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क में गिरावट की प्रवृत्ति के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि यह नवंबर 2021 तथा मई 2022 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में की गई कमी के कारण हुई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 21 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में डीज़ल वाहनों के बजाय सीएनजी एवं विद्युत वाहनों की ओर बढ़ते रुझान तथा पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के प्रतिशत में वृद्धि भी इस गिरावट के लिए उत्तरदायी रही।

सीमा शुल्क के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 23 में दालों, खाद्य तेलों, बहुमूल्य धातुओं, कपास आदि जैसे उच्च राजस्व अर्जित करने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी तथा प्रदान की गई छूटों के कारण सीमा शुल्क राजस्व प्रभावित हुआ। इनमें से अधिकांश वस्तुओं पर यह रियायतें वित्त वर्ष 24 में भी जारी रहीं। मंत्रालय ने सीमा शुल्क में इस प्रवृत्ति के लिए व्यापार उदारीकरण संबंधी पहलों, जिनमें शुल्क रियायतें सम्मिलित हैं, तथा अंतरराष्ट्रीय वस्तु मूल्यों में नरमी को भी उत्तरदायी बताया।

1.3.3 भारत सरकार का जीएसटी राजस्व: बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियां

तालिका 1.4 में जीएसटी प्राप्तियों के बजट अनुमान तथा उनके अनुरूप वास्तविक प्राप्तियों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाई गई है।

तालिका 1.4: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां (जीएसटी)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (बीई)					संशोधित अनुमान (आरई)					वास्तविक प्राप्तियां				
	सीजीएसटी	यूटीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल	सीजीएसटी	यूटीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल	सीजीएसटी	यूटीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल
2020-21	5,80,000	3,000	-	1,10,500	6,93,500	4,31,000	2,719	-	84,100	5,17,819	4,56,334	2764	7,251	85,192	5,51,541
2021-22	5,30,000	3,327	-	1,00,000	6,33,327	5,70,000	3,327	-	1,05,000	6,78,327	5,91,226	3,991	2,119	1,04,769	7,02,105
2022-23	6,60,000	3,706	-	1,20,000	7,83,706	7,24,000	3,928	-	1,30,000	8,57,928	7,18,522	4,768	4,748	1,25,863	8,53,901
2023-24	8,11,600	3,935	-	1,45,000	9,60,535	8,11,600	4,330	-	1,45,000	9,60,930	8,20,622	5,497	-4,850	1,41,436	9,62,705

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे तथा प्राप्ति बजट दस्तावेज।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्रीय जीएसटी से प्राप्त राजस्व,[11] बजट अनुमानों की तुलना में कम था। बजट अनुमान की तुलना में यह कमी 20 प्रतिशत थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22

[11] सीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर।

से 2023-24 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां क्रमशः बजट अनुमान का 111 प्रतिशत, 109 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत रहीं।

वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में वास्तविक प्राप्तियां संशोधित अनुमान से क्रमशः सात प्रतिशत तथा चार प्रतिशत अधिक रहीं। वहीं, वित्त वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियां संशोधित अनुमान के बराबर रहीं।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जीएसटी राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों में उन राशियों को भी सम्मिलित किया गया है, जो वर्ष के अंत में भारत की संचित निधि में शेष रह गईं, जो वित्त वर्ष 20, वित्त वर्ष 21, वित्त वर्ष 22 तथा वित्त वर्ष 23 में क्रमशः ₹ 9,125 करोड़, ₹ 7,251 करोड़, ₹ 2,119 करोड़ तथा ₹ 4,748 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अक्टूबर 2025) मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2026) कि वित्त वर्ष 21 में बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अंतर कोविड महामारी के कारण था।

1.4 निष्कर्ष

वित्त वर्ष 23 की तुलना वित्त वर्ष 24 में अप्रत्यक्ष कर के संग्रह में ₹ 1,14,847 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में, जीडीपी के सापेक्ष अप्रत्यक्ष करों का अनुपात घट गया, जब वित्त वर्ष 24 में यह अनुपात वित्त वर्ष 23 में 5.15 प्रतिशत से घटकर 4.98 प्रतिशत हो गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में यह कमी मुख्यतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में गिरावट के कारण हुई, जो वित्त वर्ष 23 में ₹ 3,19,000 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 24 में ₹ 3,05,362 करोड़ रह गया।

वित्त वर्ष 24 में केंद्रीय जीएसटी राजस्व, वित्त वर्ष 23 की तुलना में 13 प्रतिशत (₹ 1,08,804 करोड़) बढ़ा। वित्त वर्ष 24 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी राजस्व भी वित्त वर्ष 23 में 3.17 प्रतिशत से बढ़कर 3.20 प्रतिशत हो गया।

अध्याय II लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि तथा लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में यह प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) संघ, राज्यों तथा किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखों के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की गई शक्तियों का प्रयोग एवं उन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। संसद ने वर्ष 1971 में [सीएजी डीपीसी अधिनियम] नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम पारित किया। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार तथा विधानमंडल वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं उचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए नियम और पर्याप्त प्रक्रियाएँ तथा उनका समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत करती है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम (संशोधन), 2020 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

2.1.1 प्रणालियां एवं उनकी प्रभावशीलता

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में मुख्यतः निम्नलिखित के संबंध में प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा उनकी प्रभावशीलता की जांच सम्मिलित होती है:

क. संभावित निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना तथा उसकी रोकथाम करना;

ख. विवेकाधीन शक्तियों का उचित तरीके से प्रयोग, जिसमें शास्ति का उद्ग्रहण तथा अभियोजन की शुरुआत सम्मिलित है;

ग. अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों की रक्षा हेतु उचित कार्रवाई;

घ. राजस्व प्रशासन को मजबूत या बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए उपाय;

ङ. बकाया में सम्मिलित हुई राशियाँ, बकायों के अभिलेखों का अनुरक्षण तथा बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

च. पूरी लगन के साथ दावों पर कार्रवाई करना तथा यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त औचित्य और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उन्हें न तो छोड़ा जाए और न ही कम किया जाए।

2.1.2 अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक स्व-निर्धारण प्रणाली है, जिसमें करदाता अपनी कर विवरणियाँ स्वयं तैयार करते हैं और उन्हें विभाग को प्रस्तुत करते हैं। यह प्रणाली वित्तीय विधियों द्वारा संचालित होती है, जिनमें माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017; एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017; माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 तथा पूर्ववर्ती कर अधिनियम अर्थात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 सम्मिलित हैं। अप्रत्यक्ष कर प्रशासन, विवरणियों की संवीक्षा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा आदि के माध्यम से विवरणियों का निर्धारण एवं संवीक्षा करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि करदाता द्वारा जमा किया गया कर सही है।

अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए लेखापरीक्षा, निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों से संबंधित अभिलेखों के साथ-साथ बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं एवं कार्यात्मक शाखाओं के अभिलेखों की जांच करती है।

2.2 लेखापरीक्षा समष्टि

लेखापरीक्षा समष्टि में राजस्व विभाग, सीबीआईसी, उसके अधीनस्थ संगठन तथा क्षेत्रीय कार्यालय सम्मिलित हैं। सीबीआईसी की संगठनात्मक संरचना तथा विभागीय इकाइयों की संख्या पर इस प्रतिवेदन के पैरा 1.2 में चर्चा की गई है। सीबीआईसी तथा उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं की भूमिकाओं एवं कर्तव्यों पर आगामी पैरा में चर्चा की गई है।

2.2.1 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)

वित्त मंत्रालय के अधीन सीबीआईसी, भारत संघ के अप्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु शीर्ष निकाय है। यह अप्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित नीतियों के निर्माण, तस्करी की रोकथाम तथा सीबीआईसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अप्रत्यक्ष करों और मादक पदार्थों से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने का काम करती है। सीबीआईसी का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तथा इसमें छः सदस्य होते हैं।

2.2.2 ज़ोन

ज़ोन, प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त के नेतृत्व वाली उच्चतम लेखापरीक्षणीय क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं। ज़ोन के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, ज़ोन के अंतर्गत आने वाले सभी आयुक्तालयों का पर्यवेक्षण एवं तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण करते हैं। वे ज़ोन के प्रत्येक कमिश्नरेट द्वारा राजस्व संग्रहण तथा समय-समय पर जारी अधिनियमों/नियमों एवं बोर्ड के निर्देशों/दिशानिर्देशों के समुचित कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

2.2.3 कमिश्नरेट

आयुक्तालयों को तीन श्रेणियों, अर्थात् कार्यकारी कमिश्नरेट, कमिश्नरेट (लेखापरीक्षा) तथा कमिश्नरेट (अपील), में विभाजित किया गया है।

कार्यकारी आयुक्तालयों का प्राथमिक कार्य केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा संसद के अन्य संबद्ध अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करना है जिनके अंतर्गत माल एवं सेवा कर/केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण किया जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से, प्रत्येक कमिश्नरेट एक त्रि-स्तरीय व्यवस्था है, जिसके शीर्ष पर उसका मुख्यालय होता है, दूसरे स्तर पर चार से छः प्रभाग होते हैं तथा तीसरे और अंतिम स्तर पर प्रत्येक प्रभाग के अधीन औसतन चार से सात रेंज होते हैं।

प्रत्येक ज़ोन में, एक आयुक्त (लेखापरीक्षा) के नेतृत्व में एक या अधिक लेखापरीक्षा कमिश्नरेट हो सकते हैं। लेखापरीक्षा कमिश्नरेट का मुख्य कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करदाताओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करना, निगरानी समिति की बैठकों का आयोजन करना, निर्धारितियों के प्रति मामलों को आगे बढ़ाने में कार्यकारी आयुक्तालयों की सहायता आदि करना है।

आयुक्त (अपील) एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है तथा आयुक्त के पद से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित न्यायनिर्णयन आदेशों के प्रति दायर अपीलों पर आदेश पारित करता है।

2.2.4 प्रभाग

प्रत्येक कार्यकारी कमिश्नरेट में उप/सहायक आयुक्त के नेतृत्व में चार से छः प्रभाग होते हैं। प्रभाग प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र में कानूनों एवं प्रक्रियाओं के समुचित अनुपालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे अनंतिम निर्धारण, प्रतिदाय दावों की स्वीकृति तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मामलों के न्यायनिर्णयन जैसे अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के निर्वहन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।

2.2.5 रेंज

प्रत्येक प्रभाग में औसतन चार से सात रेंज होते हैं। अधीक्षक के नेतृत्व वाला रेंज, व्यापार एवं उद्योग तथा विभाग के बीच संपर्क का प्रथम कार्यालय होता है। निर्धारितियों द्वारा दाखिल निर्धारित विवरणियों के आधार पर निर्धारण की संवीक्षा रेंज द्वारा की जाती है। निर्धारण कार्य के अतिरिक्त, रेंज के अधिकारी करदाताओं द्वारा दाखिल सांविधिक घोषणाओं की शुद्धता की भी जांच करते हैं।

2.3 लेखापरीक्षा प्रतिदर्श, लेखापरीक्षा प्रयास तथा लेखापरीक्षा उत्पाद

वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा को सीबीआईसी के अखिल भारतीय आँकड़ों तथा बैक-एंड प्रणालियों तक पहुँच प्रदान की गई। इससे लेखापरीक्षा को इकाई स्तर (रेंज/प्रभाग) पर सामान्य जोखिम मूल्यांकन से आगे बढ़कर जीएसटी के संबंध में अधिक व्यापक विषय-वस्तु आधारित जोखिम मूल्यांकन अपनाना

सुगम हुआ। तदनुसार, वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान, लेखापरीक्षा के महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) के नेतृत्व वाले नौ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों ने माल एवं सेवा कर के अंतर्गत कार्य अनुबंध एवं निर्माण सेवाओं पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि प्रशासन, कार्य अनुबंधों/निर्माण सेवाओं में संलग्न करदाताओं द्वारा कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ तथा दावा की गई छूटों से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने में कितना प्रभावी था। लेखापरीक्षा में ₹ 401.42 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 1,334 अनुपालन चूकें पाई गई। इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रतिवेदन के अध्याय IV में सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली की लेखापरीक्षा का तृतीय चरण भी संचालित किया, जिसके उद्देश्य पूर्ववर्ती दो चरणों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के अनुपालन में जीएसटीएन द्वारा की गई कार्रवाई के प्रभाव का आकलन करना तथा 'पंजीकरण', 'विवरणी' मॉड्यूल और 'आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों' में लागू की गई अतिरिक्त कार्यात्मकताओं का सीजीएसटी अधिनियम एवं नियमों में परिकल्पित कार्यसंचालन नियमों के अनुरूप होने के संदर्भ में मूल्यांकन करना, इन मॉड्यूलों के लिए आँकड़ों की प्रामाणिकता, पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी प्रशासन एवं सुरक्षा का आकलन करना था। इसके निष्कर्ष अध्याय III में बताए गए हैं।

इस प्रतिवेदन के अध्याय I में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व की प्रवृत्तियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किए गए हैं।

2.4 सीएजी के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

पिछले चार वर्षों में, (वित्त वर्ष 24 को छोड़कर) हमने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा माल एवं सेवा कर से संबंधित 345 लेखापरीक्षा पैराग्राफ़/एसएससीए सम्मिलित किए थे, जिनमें ₹ 29,425.07 करोड़ की राशि

सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष			वि.व. 19 एवं वि.व.20	वि.व.21	वि.व.22	वि.व.23	योग
सम्मिलित लेखापरीक्षा पैराग्राफ़/एसएससीए		संख्या	297	30	11	7	**345**
		राशि	1,236.26	1,251.18	2,875.40	24,062.23	**29,425.07**
स्वीकृत/आंशिक रूप से स्वीकृत पैराग्राफ़	31.05.2026 के अनुसार	संख्या	205	28	11	2	246
		राशि	1,101.12	1,209.86	2,252.75	22,180.26	**26,743.99**
की गई वसूलियाँ	31.05.2026 के अनुसार	संख्या	107	14	10	2	**133**
		राशि	43.24	195.52	84.97	145.41	**469.14**

मंत्रालय ने ₹ 26,743.99 करोड़ की राशि वाले 246 लेखापरीक्षा पैराग्राफ़/एसएससीए में की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया था तथा 133 लेखापरीक्षा पैराग्राफ़/एसएससीए के संबंध में ₹ 469.14 करोड़ की वसूली की थी।

2.5 इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया

कार्य अनुबंध एवं निर्माण सेवाओं पर एसएससीए के निष्कर्षों तथा जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली की लेखापरीक्षा के तृतीय चरण के प्रतिवेदन जारी किए जाने के पश्चात्, मंत्रालय और जीएसटीएन से छः सप्ताह की अवधि के भीतर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अपनी टिप्पणियाँ देने का अनुरोध किया गया था। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) में पाए गए कार्य अनुबंध एवं निर्माण सेवाओं पर ₹ 401.42 करोड़ के अनुपालन संबंधी 1,334 मामलों में से मंत्रालय ने ₹ 268.36 करोड़ की राशि वाले 903 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा 339 मामलों में ₹ 15.88 करोड़ की वसूली किए जाने की सूचना दी।

मंत्रालय/जीएसटीएन ने जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली की लेखापरीक्षा के तृतीय चरण में प्रतिवेदित अधिकांश लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी स्वीकार किया, जिन्हें इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जीएसटी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर प्रशासन एवं राजस्व प्रवृत्तियों से संबंधित चार ड्राफ्ट पैराग्राफ़ मंत्रालय को जारी किए गए थे। इन ड्राफ्ट पैराग्राफ़ पर भी मंत्रालय के उत्तर प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अध्याय III जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा - चरण III

3.1 प्रस्तावना

भारत में 1 जुलाई 2017 को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया, जो देश की कराधान प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार था। यह एक व्यापक, अंतिम उपभोग-आधारित[12] अप्रत्यक्ष कर है, जिसे केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकार शुल्क आदि तथा राज्य मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, क्रय कर, विलासिता कर, प्रवेश कर आदि को एक ही एकीकृत ढांचे वाले एकल कर में समाहित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत स्थापित जीएसटी परिषद्, भारत में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन एवं प्रशासन की देखरेख के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च शासी निकाय है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद में राजस्व या वित्त विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री; एवं प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित वित्त अथवा कराधान के प्रभारी मंत्री या कोई अन्य मंत्री सम्मिलित होते हैं, यह परिषद् निर्णय- लेने के लिए एक सहयोगात्मक संघीय संरचना सुनिश्चित करती है। इसकी मुख्य भूमिका जीएसटी दरों, छूटों, सीमा-मानों, प्रक्रियात्मक विनियमनों अथवा माल एवं सेवा कर से संबंधित किसी अन्य विषय पर अनुशंसा करना है।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) एक सरकारी स्वामित्व वाली, गैर-लाभकारी कंपनी है, जो कर प्रशासन को आधार प्रदान करने वाला प्रौद्योगिकी अवसंरचना तंत्र उपलब्ध कराती है। वर्ष 2013 में निगमित जीएसटीएन का प्रारंभिक गठन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में किया गया था, किंतु वर्ष 2022 में यह पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बन

---

[12] अंतिम उपभोग-आधारित कर: जीएसटी एक अंतिम उपभोग-आधारित कर है, जो निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। यह प्रत्येक चरण में किए गए मूल्यवर्धन पर लागू होता है, जिससे कर क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर भार कम होता है।

गई, जिसमें अंशधारिता केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित है तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत अंशधारिता को पुनः 31 इकाइयों (28 राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्र) के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है। जीएसटीएन द्वारा विकसित जीएसटी प्रौद्योगिकी प्रणाली एक विशिष्ट एवं जटिल सूचना प्रोद्यौगिकी पहल है, क्योंकि इसने, पहली बार केंद्र एवं राज्यों के बीच साझा एवं समान सूचना प्रोद्यौगिकी संरचना के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत करदाताओं के लिए एक समान इंटरफ़ेस स्थापित किया। जीएसटीएन करदाताओं, राज्य एवं केंद्र सरकारों, लेखा प्राधिकारियों, बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सहित विभिन्न हितधारकों के मध्य सूचना के निर्बाध अभिग्रहण, प्रसंस्करण एवं आदान-प्रदान करने में सुगम बनाने हेतु प्रौद्योगिकीय ढाँचा प्रदान करता है।

निम्नलिखित **चार्ट 3.1**, जीएसटी प्रणाली की विभिन्न परतों को दर्शाने वाली तार्किक संरचना का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

चार्ट 3.1: जीएसटी प्रणाली की तार्किक प्रणाली संरचना

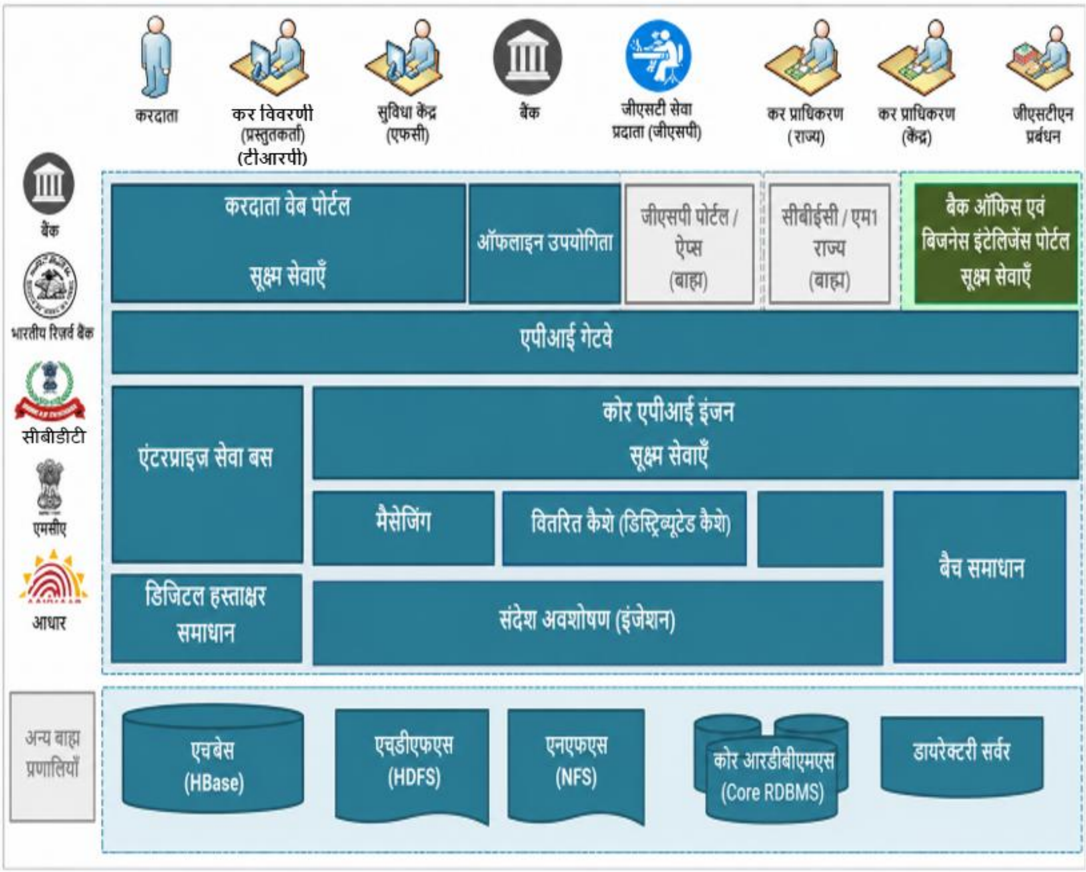

विशाल डेटा को संसाधित करने और संग्रहीत करने की चुनौती का सामना करने के लिए, जीएसटीएन दो डेटा स्टोर का उपयोग करता है- बड़ी मात्रा में बीजक डेटा रखने के लिए बिग डेटा स्टोर और भुगतान/खाता बही/पंजीकरण मेटा डेटा रखने के लिए आरडीबीएमएस।

जीएसटीएन द्वारा विकसित प्रणाली, जिसे समान पोर्टल के रूप में नामित किया गया है, समग्र जीएसटी सूचना प्रोद्यौगिकी इको-प्रणाली के फ्रंट-एंड इंटरफेस के रूप में कार्य कर रही है तथा पंजीकरण आवेदन दाखिल करने, विवरणियाँ दाखिल करने, कर भुगतान हेतु चालान बनाने, जीएसटी के भुगतान, आईजीएसटी भुगतान के निपटान तथा बिजनेस इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स तैयार करने की सुविधा प्रदान करती है।

3.2 जीएसटीएन का लेखापरीक्षा - कार्यपद्धतियाँ

सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न कार्यात्मक मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से लागू किए गए थे और परिणामस्वरूप जीएसटीएन प्रणाली की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली की लेखापरीक्षा भी चरणबद्ध रूप से की गई। सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा का प्रथम चरण मई से अक्टूबर 2018 के बीच संचालित किया गया था, जिसमें दो मॉड्यूलों - पंजीकरण एवं भुगतान के अतिरिक्त एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) निपटान प्रतिवेदनों, मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण (एसटीक्यूसी) की सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा संबंधी प्रतिवेदनों, दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए व्यवसाय निरंतरता योजनाओं तथा परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया की सीमित समीक्षा को सम्मिलित किया गया था। इस लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11/2019, अप्रत्यक्ष कर-जीएसटी के अध्याय III में सम्मिलित किया गया था।

जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली की लेखापरीक्षा का द्वितीय चरण अक्टूबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच संचालित किया गया था, जिसमें दो अन्य मॉड्यूल अर्थात् प्रतिदाय एवं विवरणियां को तथा एनआईसी बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित ई-वे बिल प्रणाली को सम्मिलित किया गया था, साथ ही प्रथम

चरण की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती समीक्षा भी की गई थी। इस लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सीएजी की अगली अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1/2021, अप्रत्यक्ष कर-जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अध्याय III में सम्मिलित किया गया था।

यह जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली की लेखापरीक्षा का तृतीय चरण है, जिसे मुख्यतः पूर्ववर्ती दो चरणों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुवर्ती के रूप में तथा पंजीकरण एवं विवरणी मॉड्यूलों में लागू की गई अतिरिक्त कार्यात्मकताओं और आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ सूचना प्रोद्यौगिकी प्रशासन एवं सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा की समीक्षा हेतु संचालित किया गया था।

3.2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली की लेखापरीक्षा का तृतीय चरण निम्नलिखित के आकलन के उद्देश्य से किया गया था:

i. जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा के पूर्ववर्ती दो चरणों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को किस सीमा तक लागू किया है;

ii. पंजीकरण' एवं 'विवरणी' मॉड्यूल में लागू की गई अतिरिक्त कार्यात्मकताएँ तथा 'आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों' सीजीएसटी अधिनियम एवं नियमों में परिकल्पित कार्य नियमों के अनुरूप हैं तथा इनमें निहित आँकड़े प्रामाणिक, पूर्ण एवं सटीक हैं;

iii. सूचना प्रोद्यौगिकी प्रशासन एवं सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा की सुदृढ़ता।

3.2.2 लेखापरीक्षा विषय-क्षेत्र

लेखापरीक्षा के इस चरण का दायरा जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली की पूर्ववर्ती दो चरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित 56 लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा अप्रैल 2019 से मार्च 2023 के दौरान लागू 'पंजीकरण' एवं 'विवरणी' मॉड्यूलों की अतिरिक्त कार्यात्मकताओं और आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों का मूल्यांकन करना था। लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 2025 तक की अवधि के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी प्रशासन एवं सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा तंत्र की विद्यमान स्थिति की भी समीक्षा की गई।

3.2.3 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा के इस चरण की लिए 6 जून 2024 को जीएसटीएन के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, दायरे, समय-सीमा तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई और उन्हें स्पष्ट किया गया। लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली में नियंत्रणों के परीक्षण तथा विस्तृत परीक्षण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग सम्मिलित था। यूज़र-फेसिंग फ्रंट-एंड वैलिडेशन का परीक्षण यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (यूएटी) वातावरण में पूर्व-निर्धारित जाँचों के एक सेट के माध्यम से किया गया। डेटा क्वेरी का उपयोग प्रक्रिया तथा आउटपुट की वैधता का आकलन करने के साथ साथ डेटा की सटीकता, प्रामाणिकता और शुद्धता का भी मूल्यांकन करने के लिए किया गया। विसंगतियों के सत्यापन तथा उनके कारणों का पता हेतु डेटा विश्लेषण एवं विस्तृत परीक्षण किए गए। यूएटी अथवा डेटा क्वेरी के माध्यम से पहचानी गई गड़बड़ियों के संबंध में, जहाँ ज़रूरी हुआ, जीएसटीएन से स्पष्टीकरण या अतिरिक्त विवरण प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए। लेखापरीक्षा प्रश्नों के सत्यापित उत्तरों और/अथवा डेटा क्वेरी के पुष्ट परिणामों के आधार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जीएसटीएन को सूचित की गईं। जीएसटीएन से प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं को इस प्रतिवेदन के संबंधित पैराग्राफ़ में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है। जीएसटीएन तथा मंत्रालय के साथ एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस 13 फ़रवरी 2026 को आयोजित की गई थी।

3.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड विभिन्न स्रोतों से लिए गए थे, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित थे:

i. केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 एवं केंद्रीय जीएसटी नियमावली, 2017

ii. जीएसटी निधियों का निपटान नियम, 2017

iii. सीबीआईसी द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएँ तथा परिपत्र

iv. प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस)

v. जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली के लेखापरीक्षा के चरण-I और चरण-II से संबंधित सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 11/2019 तथा 1/2021 में दी गई अनुशंसाएं।

vi. विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी/अपनाए गए मानक, प्रमाणपत्र तथा सर्वोत्तम प्रथाएँ - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन), एनसीसीआईपीसी (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र), एसटीक्यूसी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कंसोर्टियम (एनसीएससी) तथा भारतीय मानक संगठन (आईएसओ) मानक।

3.3 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

जीएसटीएन (चरण III) के सूचना प्रोद्यौगिकी लेखापरीक्षा से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को वर्गीकृत किया गया है और उन्हें मॉड्यूलवार रूप से आगे के पैराग्राफ में प्रस्तुत किया गया है।

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती जांच से पता चला कि लेखापरीक्षा के पहले दो चरणों से 56 बकाया लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से, जीएसटीएन ने 38 मामलों में सुधार किया, एक मामले में आंशिक रूप से सुधार किया गया और तीन मामलों में सुधार प्रगति पर था, जिन पर पैरा 3.4 में चर्चा की गई है। शेष मामलों में सुधार शुरू नहीं किया गया, अपर्याप्त था या प्रावधानों में परिवर्तन के कारण आवश्यक नहीं थे।

पंजीकरण और विवरण मॉड्यूल में समीक्षा की गई अतिरिक्त क्रियात्मकताओं में से, लेखापरीक्षा ने सत्यापन में 39 कमियां, व्यावसायिक नियमों की मैपिंग न होना और क्रियात्मकताओं का कार्यान्वयन न होना पाया, जिसकी चर्चा पैरा 3.5 और 3.6 में की गई है।

इसके अलावा, परिकल्पित 31 आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों में से, जीएसटीएन केवल 14 प्रतिवेदन ही तैयार कर रहा था। हालांकि कुछ निपटान प्रतिवेदनों की अब आवश्यकता नहीं थी, आईजीएसटी निपटान में कुछ कमियां अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने कुछ निपटान प्रतिवेदनों में कमियां भी पाईं, जैसा कि पैरा 3.7 में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा में सूचना प्रोद्यौगिकी शासन और सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा में भी कमियां पाई गईं, जिसका मुख्य कारण सूचना प्रोद्यौगिकी रूपरेखा आंशिक रूप से पालन करना और अवसंरचना योजना में खामियों होना था, जैसा कि पैरा 3.8 में बताया गया है।

3.4 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई

जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली के लेखापरीक्षा के चरण एक के लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, जिसमें पंजीकरण, जीएसटी भुगतान, एकीकृत जीएसटी का निपटान, कार्य निरंतरता योजना के पहलू और परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया सम्मिलित हैं, सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11/2019 (अप्रत्यक्ष कर-जीएसटी) के अध्याय III में उल्लिखित किए गए थे, जिनमें से 22 लेखापरीक्षा निष्कर्ष लंबित रहे।

इसी प्रकार, जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली के लेखापरीक्षा के चरण II से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जिसमें प्रतिदाय, विवरणियां, ई-वे बिल और अन्य मुद्दों के मॉड्यूल सम्मिलित हैं, सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या वर्ष 2021 का 01 (अप्रत्यक्ष कर-जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) के अध्याय III में रिपोर्ट किए गए थे, जिनमें से 34 लेखापरीक्षा निष्कर्ष लंबित रहे।

इस चरण की लेखापरीक्षा में प्रत्येक मॉड्यूल के लिए किए गए अनुवर्ती कार्रवाई में पाई गई इन लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की कार्यान्वयन स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है:

i. **पंजीकरण मॉड्यूल:** यह मॉड्यूल पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन के लिए आवेदन की प्रक्रियाओं से संबंधित है, जो मूल रूप से ऑनलाइन प्रक्रियाएं हैं। निष्कर्षों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं सत्यापन में कमियां, गलत डेटा संग्रह और अंतर्निहित प्रक्रियाओं में विलंब। अनुवर्ती लेखापरीक्षा से पता चला कि जीएसटीएन ने नौ लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से छः को ठीक कर लिया है, दो त्रुटियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जबकि उन्हें ठीक करने का भरोसा दिया गया था, और एक मुद्दा बाद में हुए बदलावों की वजह से अब प्रासंगिक नहीं रहा, इसलिए उस पर आगे अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

तालिका 3.1: अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम - पंजीकरण मॉड्यूल

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का पैरा क्रमांक[13]	उत्कृष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्ष	कार्यान्वयन स्थिति
1.	3.7.2(ख)	अपर्याप्त सत्यापन के कारण कंपोजिशन लेवी योजना के तहत जीएसटी पंजीकरण में सीमित हार्मोनाइज्ड प्रणाली ऑफ नोमेनक्लेचर (एचएसएन) कोड की अनुमति दी गई थी।	संशोधित
2.	3.8.1(ख)	अन्य अधिसूचित व्यक्तियों के लिए पंजीकरण - अधिसूचना संख्या के सत्यापन अथवा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा का अभाव।	संशोधित
3.	3.9.1	खोज सुविधा द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक अवधि के परिणाम प्रदर्शित किए गए।	संशोधित
4.	3.9.2	जीएसटीएन पोर्टल पर अलग-अलग भाषाओं का कोई विकल्प नहीं है।	लागू नहीं किया गया
5.	3.9.3	एकाधिक व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के लिए पंजीकरण प्रदान करने की सुविधा लागू नहीं की गई।	प्रावधानों में संशोधन किया गया। 'व्यवसाय स्थल' के स्थान पर 'एकाधिक वर्टिकल' शब्द का प्रयोग किया गया।[14]
6.	3.9.4	प्रत्येक राज्य के भीतर केंद्रीय जीएसटी क्षेत्राधिकार का मानचित्रण नहीं किया गया था।	संशोधित
7.	3.9.4	व्यवसाय स्थल के पते की क्षेत्राधिकार संबंधी मैपिंग का अभाव	संशोधित
8.	3.10.1	आवेदन संदर्भ संख्या, जीएसटीआईएन और विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने में विलंब	समस्या का निवारण हो जाने के बाद भी वह बनी हुई है।
9.	3.10.2	कंपनियों की कॉर्पोरेट पहचान संख्या का सत्यापन न किया जाना।	संशोधित

---

[13] सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 11/2019 (अप्रत्यक्ष कर - जीएसटी)

[14] सीजीएसटी अधिसूचना 03/2019 दिनांक 29 जनवरी 2019 के अनुसार, एकाधिक व्यावसायिक क्षेत्रों के पंजीकरण को 'व्यावसायिक स्थानों' के पंजीकरण से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो 01 फरवरी 2019 से प्रभावी है।

बहुभाषीय सुविधा के कार्यान्वयन न होने के संबंध में, जीएसटीएन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025 में) कि पोर्टल की परिकल्पना (प्रस्ताव के लिए अनुरोध - आरएफपी 1.0 के अनुसार) अंग्रेजी और 14 आधिकारिक भाषाओं को समर्थन देने के लिए की थी। हालांकि, जीएसटी प्रावधानों और मॉड्यूल के चरणबद्ध कार्यान्वयन के कारण, सभी क्रियात्मकताओं के स्थिर होने तक स्थानीयकरण को स्थगित कर दिया गया था। जीएसटीएन ने कहा कि वह सुगमता और समावेशिता को प्राथमिकता देता है और जीएसटी 2.0 के लिए मसौदा आरएफपी में सम्मिलित संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 अतिरिक्त भाषाओं को समर्थन देने का लक्ष्य रखता है। जीएसटीएन ने आगे कहा कि एक नए प्रबंधित सेवा प्रदाता का चयन चल रहा है, और एक बार नियुक्त होने के बाद, द्विभाषी कार्यान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा और लागू किया जाएगा।

ii. **भुगतान मॉड्यूल**: यह मॉड्यूल करदाताओं को आवधिक कर भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें पंजीकृत करदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता-बही से नकद भुगतान अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों में इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता-बही में राशि प्रदर्शित होने, भुगतानों की स्वीकृति तथा धनराशि के प्रेषण में विलंब से संबंधित कमियों की ओर संकेत किया गया था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीएन ने पूर्व में इंगित चार कमियों में से तीन का सफलतापूर्वक निराकरण कर लिया है, जबकि एक मुद्दा बाद में किए गए संशोधनों के कारण अप्रासंगिक हो गया है और उस पर आगे अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

तालिका 3.2: अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम - भुगतान मॉड्यूल

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[15] का पैरा क्रमांक	लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्ष	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	3.13.2	बैंक से पुष्टि प्राप्त किए बिना इलेक्ट्रॉनिक कैश खाताबही में राशि जमा हुई।	नए प्रावधान में ई-स्क्रॉल[16] के आधार पर क्रेडिट देने का प्रावधान है।
2.	3.14	बैंकों के लिए न्यूनतम सेवा आवश्यकताओं को लागू न करने से धन प्रेषण/सरकारी प्राप्तियों की रिपोर्टिंग में देरी होती है।	संशोधित
3.	3.16	उन भुगतानों को स्वीकार नहीं किया जाना जिनकी भुगतान जानकारी चालान की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त हुई हो।	संशोधित
4.	3.18	जीएसटीएन प्रणाली में डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	संशोधित

iii. **आईजीएसटी निपटान:** यह मॉड्यूल संबंधित उपभोक्ता राज्यों (आईजीएसटी राजस्व का एसजीएसटी हिस्सा) और केंद्र (आईजीएसटी राजस्व का सीजीएसटी हिस्सा) के बीच आईजीएसटी राजस्व के बंटवारे और उचित निपटान प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित है। पहले की जांच में निपटान प्रतिवेदनों में गलत प्रविष्टियां, अभिलेखों की प्रति, प्रतिवेदन तैयार न करना, गलत गणना और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवास्तविक दावे सामने आए थे।

---

15 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11/2019 (अप्रत्यक्ष कर जीएसटी)

16 अधिसूचना संख्या 26/2022-सीटी (तारीख 26 दिसम्बर 2022) के ज़रिए नया नियम 87(8) जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत, अगर बैंक पुष्टिकरण नहीं भेज पाता है, तो ई-स्क्रॉल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को अद्यतित किया जा सकता है।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि जीएसटीएन ने बताए गए नौ मुद्दों में से चार का समाधान कर दिया है, एक मुद्दे का आंशिक समाधान हो चुका है, एक मुद्दा आश्वासन के बावजूद लागू नहीं की गई है, जबकि शेष तीन मुद्दों को लागू करने की प्रक्रिया जारी है।

तालिका 3.3: अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम - आईजीएसटी निपटान

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[17] का पैरा क्रमांक	लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्ष	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	3.22.1	निपटान प्रतिवेदन तैयार नहीं की जा रही है।	संशोधित
2.	3.22.2	जीएसटी प्रणाली को सीमा शुल्क की आईसीईजीएटी प्रणाली के साथ एकीकृत न करने और आईजीएसटी निपटान के लिए अपील, प्रतिदाय और अभियोजन के अंतर्गत किए गए भुगतानों को आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदन तैयार करने में ध्यान में न रखने के कारण यह पाया गया कि ये भुगतान उचित थे।	आंशिक रूप से संशोधित
3.	3.22.3	ब्याज का निपटान न करना।	संशोधित
4.	3.23	विभिन्न निपटान प्रतिवेदनों में करदाताओं से संबंधित अभिलेखों की प्रति दिखाई देना।	प्रगति में है
5.	3.24	आईजीएसटी निपटान की गलत गणना।	संशोधित
6.	3.25	निपटान प्रतिवेदनों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ - एसटीएल 01.02/01.03, 01.05 और 1.06।	प्रगति में है
7.	3.25	निपटान प्रतिवेदन में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ - एसटीएल 01.04।	प्रगति में है
8.	3.26	सत्यापन की कमी के कारण आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवास्तविक दावे किया जाना।	संशोधित
9.	3.27	आईजीएसटी निपटान एल्गोरिदम में अशुद्धियाँ।	संशोधन के बाद भी वही समस्या बनी हुई है।

[17] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019 का 11 (अप्रत्यक्ष कर जीएसटी)

iv. **विवरण मॉड्यूल:** विवरणी मॉड्यूल करदाताओं को सभी आवधिक विवरणियों ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा देता है। यह मॉड्यूल आपूर्तिकर्ता के जीएसटीआर 1 विवरणी (बाहरी आपूर्ति का विवरण) के आधार पर प्राप्तकर्ता का जीएसटीआर 2ए (करदाता की आवक आपूर्ति का विवरण) स्वतः तैयार करता है। पहले की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विभिन्न विवरणियों में सत्यापन की कमी, कार्य नियमों की गलत मैपिंग, अपात्र मदों पर और अपात्र करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति देना, ब्याज की गणना न करना और प्रतिवेदन तैयार न होना जैसी कमियां पाई गई थीं। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पता चला कि जीएसटीएन ने पहले बताई गई सभी आठ कमियों को दूर कर लिया है।

तालिका 3.4: अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम - विवरणी मॉड्यूल

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[18] का पैरा क्रमांक	लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्ष	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	3.8.3.3	जीएसटीआर-2ए के गलत निर्माण के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित उपलब्धता।	संशोधित
2.	3.8.3.4	कारोबार सत्यापन के अभाव में कंपोजिशन करदाता निर्धारित सीमा पार करने के बाद भी जीएसटीआर-4 दाखिल करना।	संशोधित
3.	3.8.3.5	प्रावधानों के अभाव में अनिवासी कर योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रति प्रभार तंत्र के आधार पर कर का भुगतान नहीं किया जाना।	संशोधित
4.	3.8.3.6	नियम का एसआरएस से गलत मिलान होने के कारण करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 में आवश्यक एचएसएन विवरण घोषित करने की आवश्यकता कम हो गई।	संशोधित
5.	3.8.3.7	वास्तविक ब्याज देयता की गणना न करना और प्रणाली के माध्यम से उसका भुगतान लागू न करना।	संशोधित
6.	3.8.3.8	अपात्र करदाताओं को टीआरएएन-2 के अंतर्गत लाभ उठाने की अनुमति दी गई है।	संशोधित
7.	3.8.3.9	टीआरएएन-2 में अपात्र वस्तुओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति देने वाली प्रणाली।	संशोधित
8.	3.8.3.10	कानून के अनुसार कर दर को सत्यापित किए बिना ट्रान -2 में क्रेडिट की अनुमति है।	संशोधित

[18] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021 का 01 (अप्रत्यक्ष कर - जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)।

v. **ई-वे बिल मॉड्यूल:** यह मॉड्यूल माल प्रेषक, माल परेषिती और परिवहनकर्ताओं द्वारा माल की आवाजाही को प्रमाणित करने के लिए ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) तैयार करने को सक्षम बनाता है। पहले की जांच में ईडब्ल्यूबी की विभिन्न कार्यप्रणालियों में कमियां पाई गई थीं और जीएसटीएन ने बताई गई नौ कमियों में से आठ को दूर कर दिया था, जबकि एक समस्या का समाधान अन्य अभिकरणों के पास लंबित था।

तालिका 3.5: अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम - ई-वे बिल मॉड्यूल

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[19] का पैरा क्रमांक	लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्ष	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	3.9.5.1	ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति में सत्यापन का अभाव।	संशोधित
2.	3.9.5.2	एसईजेड को या उसके द्वारा आपूर्ति को अभिलेख करने के लिए सत्यापन का अभाव।	संशोधित
3.	3.9.5.3	ईडब्ल्यूबी के विस्तार में सत्यापन का अभाव।	संशोधित
4.	3.9.5.4	पिन कोड के आधार पर दूरी की स्वचालित गणना में त्रुटियाँ।	संशोधित
5.	3.9.5.5	बहु-वाहन परिवहन प्रणाली को अभिलेख करने में सत्यापन का अभाव।	अन्य अभिकरणों के पास संशोधन का कार्य लंबित है।
6.	3.9.5.6	रेल द्वारा परिवहन के रिकॉर्डिंग में सत्यापन का अभाव।	संशोधित
7.	3.9.5.7	विभागीय अधिकारियों द्वारा एमआईएस प्रतिवेदनों का उपयोग न करना।	संशोधित
8.	3.9.5.8	ईडब्ल्यूबी पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों का उपयोग न करना।	संशोधित
9.	3.9.5.9	ईडब्ल्यूबी प्रणाली के आपदा प्रबंधन में कमियां।	संशोधित

vi. **प्रतिदाय मॉड्यूल**: प्रतिदाय मॉड्यूल निर्यात या प्रति शुल्क संरचना के कारण भुगतान किए गए कर की वापसी के लिए करदाताओं से आवेदन प्राप्त करने और नियमों के अनुसार प्रतिदाय की प्रक्रिया करने से संबंधित है। पहले

---

[19] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1, 2021 (अप्रत्यक्ष कर - जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)

की लेखापरीक्षा में प्रतिदाय मॉड्यूल में सत्यापन संबंधी कमियां पाई गई थीं, जिनके कारण अधिक प्रतिदाय, इनपुट टैक्स क्रेडिट में अपर्याप्त पुनः क्रेडिट, एसईजेड को आपूर्ति के बीजकों का समर्थन न करना, विलंबित प्रतिदाय और 'अनुरोध पर रोक' पर ब्याज लागू न करना, पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को बाहर न करना आदि समस्याएं चिन्हित की। बताई गई 13 कमियों में से पांच को ठीक कर लिया गया है, तीन मामलों में सुधार के बाद भी कमियां बनी रहीं, दो मामलों में सुधार अन्य अभिकरणों के पास लंबित था, एक मामले को कार्यान्वयन के लिए नहीं लिया गया और शेष दो मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था।

तालिका 3.6: अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम - प्रतिदाय मॉड्यूल

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[20] का पैरा क्रमांक	लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्ष	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	3.7.3.2	जीएसटी प्रतिदाय तंत्र में अपूर्ण जोखिम।	उत्तर प्रतीक्षित है।
2.	3.7.3.3	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अपर्याप्त पुनः क्रेडिटिंग सुविधा, जहां दूसरी और बाद में भी कमी संबंधी ज्ञापन जारी किया गया था।	संशोधित
3.	3.7.3.4	कर भुगतान के बिना निर्यात करने पर प्रणाली द्वारा अतिरिक्त प्रतिदाय की अनुमति दिया जाना।	संशोधन के बाद भी समस्या बनी हुई है।
4.	3.7.3.5	अनिवार्य सत्यापन लागू नहीं किया गया - (एसईजेड को आपूर्ति के बीजाकों के अनुमोदन का विवरण)।	अन्य अभिकरणों के पास संशोधन का मामला लंबित है।
5.	3.7.3.6	"विथहोल्ड" अनुरोध कार्यक्षमता लागू नहीं किया जाना।	संशोधन के बाद भी समस्या बनी हुई है।
6.	3.7.3.7	प्रतिदाय के विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने की सुविधा प्रणाली में लागू नहीं किया जाना।	लागू नहीं किया गया है।
7.	3.7.3.8	अन्य अधिसूचित व्यक्तियों के आरएफडी 10 को राज्य क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को आवंटित न करना।	उत्तर प्रतीक्षित है।

[20] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1/2021 (अप्रत्यक्ष कर - जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)

क्रमांक	**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[20] का पैरा क्रमांक**	**लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्ष**	**कार्यान्वयन की स्थिति**
8.	3.7.3.9	पूंजीगत वस्तुओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट में कटौती के लिए स्वतः अपवर्जन की सुविधा का अभाव।	समस्या का निवारण हो जाने के बाद भी वह बनी हुई है।
9.	3.7.3.10	पर्याप्त नियंत्रण/ सत्यापन के अभाव के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय के दावे।	संशोधित
10.	3.7.3.11	अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता के लिए प्रतिदाय हेतु आवेदन करने की सुविधा अभी तक लागू नहीं किया जाना।	संशोधित
11.	3.7.3.12.1	जीएसटी पोर्टल और आईसीईएस के बीच सामंजस्य संबंधी कमियां।	अन्य अभिकरणों के पास सुधार का कार्य लंबित है।
12.	3.7.3.12.2	उच्च दर पर शुल्क वापसी वाले शिपिंग बिलों को प्रतिबंधित करने के लिए सत्यापन लागू नहीं करना।	संशोधित
13.	3.7.3.12.3	प्रणाली सत्यापन के अभाव के कारण आईजीएसटी प्रतिदाय राशि अतिरिक्त होना।	संशोधित

vii. **अन्य मामले**: विलंबित समाधान, लाइसेंस प्रबंधन, व्यस्त फाइलिंग दिनों में जीएसटीएन पोर्टल के निष्पादन और आपदा निवारण अभ्यास से संबंधित चार कमियों को दूर कर दिया गया है।

3.5 पंजीकरण

पंजीकरण प्रक्रिया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 से 30, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 से 26 और सीबीआईसी द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित अधिसूचनाओं और परिपत्रों द्वारा नियंत्रित होती है। इन प्रावधानों के अनुसार, ₹40 लाख (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए ₹20 लाख) की कुल वार्षिक कारोबार सीमा से अधिक माल के आपूर्तिकर्ताओं और ₹20 लाख (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए ₹10 लाख) की कुल वार्षिक कारोबार सीमा से अधिक सेवा आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण के लिए पात्र होने के 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जीएसटी में पंजीकृत होना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को

समझने के लिए, पंजीकरण आवेदन, सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रियाओं का क्रम नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया

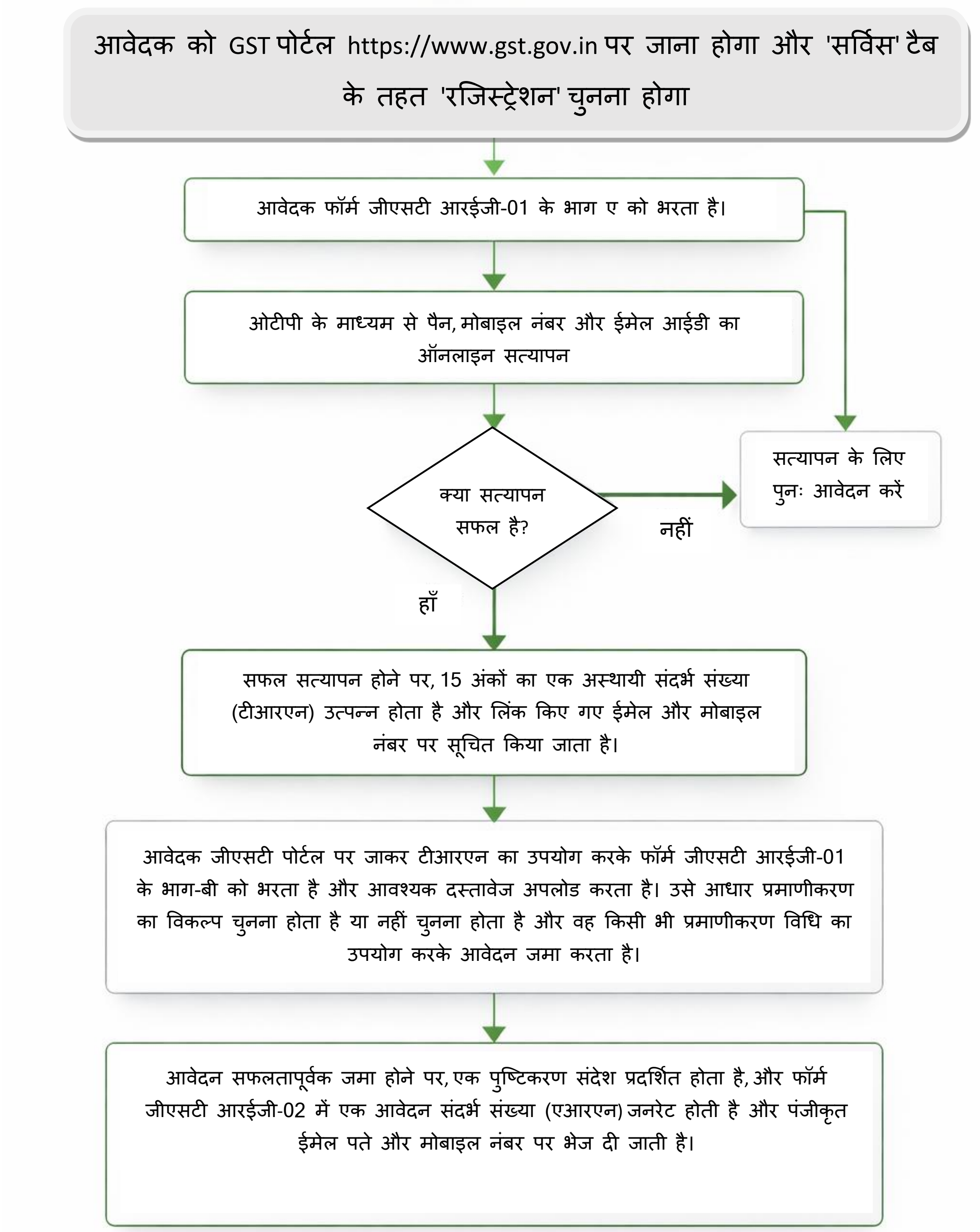

चार्ट 3.3: पंजीकरण के सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया का प्रवाह

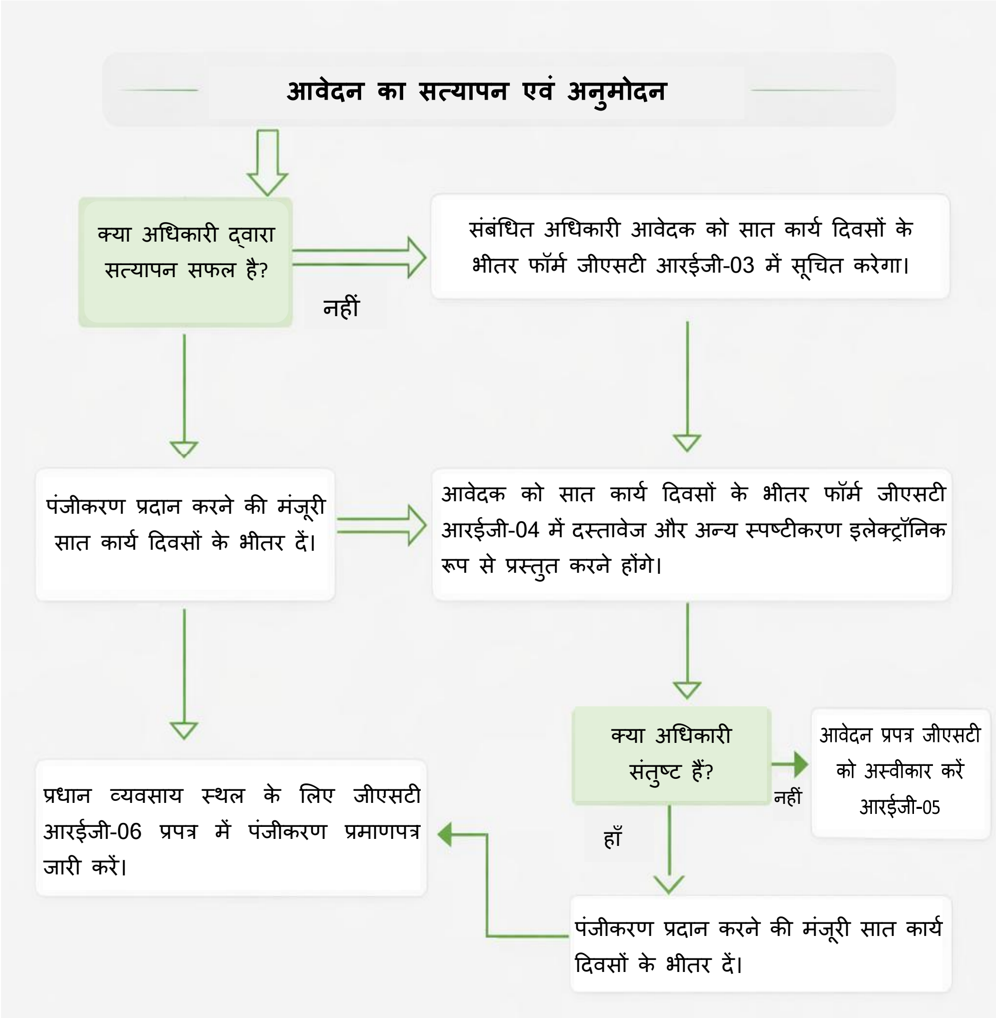

पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, जीएसटीएन प्रणाली में आवेदकों द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु एक फ्रंट-एंड करदाता पंजीकरण मॉड्यूल और पंजीकरण को स्वीकृति देने हेतु एक बैक कार्यालय वाला कर अधिकारी मॉड्यूल है। लेखापरीक्षा द्वारा यूएटी वातावरण में किए गए सत्यापन से जीएसटीएन सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली के कर अधिकारी मॉड्यूल के साथ-साथ करदाता पंजीकरण मॉड्यूल में भी कमियां पाई गईं।

यद्यपि अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच लागू की गई अधिकांश अतिरिक्त सुविधाएँ, जिनका सत्यापन किया गया था, परिकल्पना के अनुसार कार्य कर रही थीं, लेकिन लेखापरीक्षा में करदाता पंजीकरण मॉड्यूल के फ्रंट-एंड भाग में आठ सुविधाओं में अनुचित और अपर्याप्त सत्यापन के संदर्भ में त्रुटियाँ पाई गईं और कर अधिकारियों के मॉड्यूल में पंजीकरण की स्वीकृति

और रद्द करने, संभावित उल्लंघनों की निगरानी के लिए चेतावनी तंत्र और पंजीकरण की स्वीकृति में प्रक्रिया में विलंब से संबंधित सात कार्यात्मकताओं में त्रुटियाँ पाई गईं।

3.5.1 करदाता पंजीकरण मॉड्यूल के फ्रंट एंड में कमियां

फ्रंटएंड करदाता मॉड्यूल आवेदकों को पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भरने और चार्ट 3.2 में दर्शाई गई क्रमबद्ध प्रक्रिया का पालन करने में सक्षम बनाता है। अप्रैल 2019 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान जीएसटीए द्वारा शुरू किए गए सत्यापन और सुविधाओं की लेखापरीक्षा से पता चला कि अधिकांश सुविधाएँ परिकल्पना के अनुसार कार्य कर रही थीं, लेकिन कुछ अपर्याप्ताएं थीं, जो इस प्रकार हैं:

i. **आवेदकों के स्थायी खाता संख्या का अनुचित सत्यापन:** जीएसटीएन ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाए गए डेटाबेस से आवेदकों के स्थायी खाता संख्या (पैन) के ऑनलाइन सत्यापन के नियम[21] को लागू करने के लिए एक कार्यक्षमता विकसित की है, जिसे पैन से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने प्रयोक्ता स्वीकरण परीक्षण (यूएटी) वातावरण के साथ-साथ जीएसटी सामान्य पोर्टल *(https://reg.gst.gov.in/registration)* पर सजीव वातावरण में कार्यप्रणाली का परीक्षण किया और पाया कि पैन का सत्यापन उन मोबाइल नंबरों एवं ईमेल पते पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से हो रहा था जो संबंधित पैन से लिंक नहीं थे। इसके अलावा, उपरोक्त तरीके से पैन के सत्यापन के बाद, इन मामलों में एक अस्थायी संदर्भ संख्या (टीआरएन) तैयार हो रही थी। इस खामी के कारण पंजीकरण प्रक्रिया (पंजीकरण आवेदन का भाग ए) संदिग्ध संस्थाओं द्वारा दुरूपयोग के लिए भेद्य हो जाती है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने उत्तर दिया (जनवरी और मार्च 2025) कि हालांकि जीएसटीएन ने पैन के दुरुपयोग

---

[21] नियम 8 (2) (ए) को 26 दिसम्बर 2022 की अधिसूचना संख्या 26/2022-सीटी के ज़रिए जोड़ा गया।

को रोकने के लिए परिवर्तन अनुरोध विकसित किया था और उसका परीक्षण भी किया था, लेकिन सीबीडीटी डेटाबेस अपूर्ण पाया गया और इस कार्यक्षमता को उत्पादन में लागू नहीं किया गया। आगे कहा गया कि जीएसटीएन सीबीडीटी डेटा का समय-समय पर विश्लेषण कर रहा है और डेटा की गुणवत्ता में सुधार होने पर इस कार्यक्षमता को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा और इस मामले को राजस्व विभाग के संज्ञान में पहले ही लाया जा चुका है।

ii. **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा किए बिना आवेदन संदर्भ संख्या का सृजन:** पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय और आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)[22] तैयार करते समय आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले आवेदक की पहचान और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए नियम[23] को लागू करने हेतु एक कार्यक्षमता विकसित की गई थी।

अधिसूचना[24] और जीएसटीएन द्वारा जारी परामर्शी में उल्लिखित कार्यप्रणाली के अनुसार, आवेदक को फॉर्म जीएसटी आरईजी--01 में आवेदन जमा करने के बाद, ईमेल में निम्नलिखित में से कोई एक लिंक प्राप्त होगा।

(क) ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण के लिए एक लिंक या

(ख) बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र (जीएसके) में जाने के लिए एक संदेश के साथ अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक, जिसमें जीएसके और उसके अधिकार क्षेत्र का विवरण भी सम्मिलित है।

अतः, जिन मामलों में आवेदक को बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक प्राप्त हो गया

---

[22] नियम 8(5) के अनुसार, नियम 8 के उप-नियम (4) या उप-नियम (4ए) के अंतर्गत आवेदन मिलने पर एआरए तैयार किया जाएगा।

[23] सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 8(4ए) कहता है कि अगर कोई आवेदक, धारा 25 की उप-धारा (6डी) के अंतर्गत नोटिफ़ाई किए गए व्यक्ति के अलावा, आधार नंबर के प्रमाणीकरण का विकल्प चुनता है, तो उसे उप-नियम (4) के अंतर्गत आवेदन जमा करते समय आधार नंबर का प्रमाणीकरण करवाना होगा और ऐसे मामलों में, आवेदन जमा करने की तारीख आधार नंबर के प्रमाणीकरण की तारीख होगी, या उप-नियम (4) के अंतर्गत फार्म जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में आवेदन जमा करने के पंद्रह दिन बाद की तारीख होगी - इनमें से जो भी पहले हो।

[24] सीजीएसटी अधिसूचना संख्या 27/2022 ।

है, उनमें एआरएन केवल उपरोक्त प्रमाणीकरण/दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तैयार किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने दो नमूना मामलों के साथ यूएटी वातावरण में कार्यक्षमता की जांच की और पाया कि जीएसके में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए लिंक भेजे जाने के बाद, प्रणाली एआरएन तैयार करता है, भले ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जैसा कि परिकल्पना की गई थी, पूरा न हुआ हो। परिणामस्वरूप, पंजीकरण स्वीकृत हो रहे थे और जीएसटीआईएन जारी किए जा रहे थे।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने आंकड़ा क्वेरी के माध्यम से यह पाया कि उत्पादन डेटाबेस में 1,017 ऐसे मामले थे, जहां प्रणाली ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सूचनाएं जारी की थीं, लेकिन प्रमाणीकरण या तो विफल रहा या पूरा नहीं हुआ। इन 1,017 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2023-24 के लिए गुजरात राज्य से संबंधित 100 पंजीकरण आवेदन मामलों के नमूने की जांच की और पाया कि 100 में से 86 आवेदकों के पास प्रणाली द्वारा सूचना लिंक भेजे जाने के बाद अनिवार्य बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से गुजरे बिना सक्रिय जीएसटी पंजीकरण था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने पुष्टि (फरवरी 2025) की कि बायोमेट्रिक/दस्तावेज़ सत्यापन अपूर्ण होने पर एआरएन को ब्लॉक करने की कार्यक्षमता को लागू किया जाएगा, साथ ही आवेदक सूचनाओं में संबंधित चेतावनियों और अद्यतित स्थिति को एकीकृत किया जाएगा।

iii. **निगमित पहचान संख्या और निदेशक पहचान संख्या के सत्यापन का अभाव:** जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा जारी निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) प्रस्तुत करनी होती है, जो भारत में पंजीकृत कंपनी की पहचान करने वाला एक अद्वितीय 21-अंकीय अक्षरांकीय कोड है, और एक निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) भी प्रस्तुत करनी होती है, जो भारत में इन कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी की गई एक अद्वितीय 8-अंकीय संख्या है।

लेखापरीक्षा ने यूएटी वातावरण में एक निजी कंपनी के पंजीकरण के लिए आवेदन तैयार करके इस कार्यक्षमता का परीक्षण किया और पाया कि पंजीकरण आवेदन के भाग-बी में, जीएसटी पोर्टल ने यादृच्छिक सीआईएन और डीआईएन स्वीकार कर लिए, जो क्रमशः कंपनी और निदेशकों से संबंधित नहीं थे और एआरएन तैयार हुआ जिसके बाद जीएसटी पंजीकरण हो गया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 के साथ संलग्न "अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची" में सीआईएन और डीआईएन से संबंधित दस्तावेज सम्मिलित नहीं थे। यूएटी वातावरण में भी, इन दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए कोई क्षेत्र नहीं था। इन कमियों से संकेत मिलता है कि प्रणाली आरओसी और एमसीए पोर्टलों के साथ ठीक से एकीकृत नहीं है, क्योंकि संबंधित अभिकरणों द्वारा सीआईएन और डीआईएन का सत्यापन नहीं किया जा रहा है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने उत्तर दिया (फरवरी 2026) कि एमसीए के नए एपीआई का उपयोग करके सीआईएन डीआईएन सत्यापन को लागू करने के लिए एक अनुरोध (आरक्यूएम 26745) किया गया है और इस पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

iv. **ई-केवाईसी प्रक्रिया के अंतर्गत आधार नामांकन आईडी का सत्यापन न होना:** नियम 10 बी के प्रावधान में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो उसे आधार संख्या का प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक है, और ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के दौरान अपनी आधार नामांकन आईडी पर्ची और निम्नलिखित में से कोई एक पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जैसे: (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; (iii) पासपोर्ट; या (iv) लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस। यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या के आवंटन के तीस दिनों के भीतर प्रमाणीकरण करवाना होगा।

आधार नामांकन आईडी एक अद्वितीय 28 अंकों की संख्या है जो आधार कार्ड के प्रत्येक आवेदक को आवंटित की जाती है। पहले 14 अंक नामांकन संख्या होते हैं, और अगले 14 अंक नामांकन की तिथि और समय होते हैं।

लेखापरीक्षा ने यूएटी वातावरण में सत्यापन की जाँच की और पाया कि प्रणाली किसी भी डमी आधार नामांकन आईडी को स्वीकार कर रहा था, जिसमें 14 अंकों की यादृच्छिक नामांकन संख्या और 14 अंकों की तिथि और समय का कोई भी संयोजन सम्मिलित था। इसके अलावा, प्रणाली उन मामलों में भी आधार नामांकन आईडी स्वीकार कर रहा था जहां आवेदक का पैन पहले से ही किसी अन्य आधार संख्या से जुड़ा हुआ था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2026) कि आधार नामांकन आईडी के सत्यापन और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ एकीकरण की व्यवहार्यता का पता लगाया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका क्योंकि वर्तमान में यूआईडीएआई के पास ऐसा कोई एपीआई उपलब्ध नहीं है।

v. **अनर्ह व्यक्तियों द्वारा कंपोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनने पर अनुचित प्रतिबंध:** सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(2) में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण में संलग्न पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन लेवी स्कीम[25] के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा। केंद्र सरकार ने बाद में निर्दिष्ट वस्तुओं/प्रतिबंधित वस्तुओं के रूप में तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला, कार्बोनेटेड पेय, ईंटों आदि को अधिसूचित[26] किया।

लेखापरीक्षा ने यूएटी वातावरण में कार्यक्षमता का परीक्षण किया, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति ने कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया, जो (अधिसूचित/प्रतिबंधित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं का) निर्माता होने के साथ-साथ कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए प्रतिबंधित निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापारी/सेवा प्रदाता भी है। प्रणाली ने कंपोजिशन लेवी योजना के अंतर्गत

[25] छोटे करदाताओं के लिए एक वैकल्पिक और आसान स्कीम है, जिनका कुल सालाना टर्नओवर ₹1.5 करोड़ (खास कैटेगरी वाले राज्यों के लिए ₹75 लाख) से कम है। इस स्कीम को चुनने वाले करदाताओं को अपने टर्नओवर का सिर्फ़ 1 से 6 प्रतिशत टैक्स देना होता है और तिमाही रिटर्न फाइल करना होता है।

[26] अधिसूचना संख्या 14/2019-केंद्रीय कर, दिनांक 7 मार्च 2019 ।

पंजीकरण की अनुमति नहीं दी, हालांकि ऐसे आवेदक कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र हैं।

प्रणाली द्वारा लगाया गया यह अनुचित प्रतिबंध संभावित रूप से छोटे व्यापारियों को प्रभावित करता है, जो कुछ वस्तुओं (अधिसूचित/प्रतिबंधित वस्तुओं को छोड़कर) के निर्माता भी हो सकते हैं एवं ऐसे व्यक्तियों को कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने से रोकना व्यापार करने में सुगमता को प्रभावित करता है। चूंकि यह मामला कंपोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनने की शर्तों को पूरा करता है, इसलिए ऐसे उपयोग मामलों वाले आवेदकों को कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत एकल पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2026) कि एक परिवर्तन अनुरोध (सीआर 28514-डी के माध्यम से) किया गया है ताकि उस सत्यापन को लागू किया जा सके जिसके द्वारा एक आवेदक कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आवेदन कर सकेगा, जो निर्माता (अधिसूचित/प्रतिबंधित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं का) होने के साथ-साथ कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए प्रतिबंधित निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने वाला व्यापारी/सेवा प्रदाता भी हो।

vi. **बैंक खाता विवरण प्रदान करने और पंजीकरण निलंबित करने के लिए अप्रभावी सत्यापन:** सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 10ए के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति को पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर या विवरण जीएसटीआर-1 दाखिल करने से पहले, जो भी पहले हो, सामान्य पोर्टल पर बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, नियम 21ए(2ए)(बी) में कहा गया है कि नियम 10ए का अनुपालन न करने पर पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और जीएसटी आरईजी-31 फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना भेजी जाएगी, जिसमें करदाता को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

जीएसटीएन ने एक ऐसा फ़ीचर[27] विकसित किया है जो करदाता को बैंक खाता विवरण जोड़ने तक चेतावनी पॉप-अप से आगे बढ़ने से रोकता है और डैशबोर्ड एक्सेस और अन्य क्रियात्मकताओं को अक्षम करता है। लेखापरीक्षा ने यूएटी वातावरण में इस फ़ीचर का परीक्षण किया, जिसमें 20 सितंबर 2024 को जारी किए गए पंजीकरण के लिए 19 नवंबर 2024 तक, यानी पंजीकरण जारी होने के दो महीने बाद तक, बैंक खाता विवरण प्रदान नहीं किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूएटी वातावरण में अन्य क्रियात्मकताओं को अक्षम नहीं किया गया था और यद्यपि इस मामले में जीएसटी पंजीकरण निलंबित होने योग्य था, प्रणाली ने पंजीकरण को स्वचालित रूप से निलंबित नहीं किया और जीएसटी आरईजी-31 फॉर्म में निलंबन की कोई सूचना चूककर्ता करदाता के ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं भेजी गई।

अतः, इस सुविधा का परिणाम नियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), तो जीएसटीए ने सूचित किया (फरवरी 2026) कि 3 दिसंबर 2025 को एक परिवर्तन अनुरोध (सीआर 29095) लागू किया गया है और सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 10ए के अनुसार करदाताओं का पंजीकरण निलंबित किया गया है।

vii. **पंजीकरण के दौरान लाइव कैमरा फ़ंक्शन को सक्रिय न करना:**जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहक/स्वामी/साझेदार और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण देना होगा और प्रोत्साहक/स्वामी/साझेदार और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में दिए गए व्यक्ति की तस्वीर अपलोड करनी होगी। वैकल्पिक रूप से, जीएसटी प्रणाली/सामान्य पोर्टल पहचान के प्रमाण के रूप में लाइव सेल्फी लेने के लिए डिवाइस कैमरे का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करता है, जिससे पहले से मौजूद तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

लेखापरीक्षा के दौरान, पंजीकरण प्रक्रिया के समय विभिन्न तिथियों और समय अंतरालों पर किए गए परीक्षणों में पाया गया कि आवेदक की लाइव तस्वीर लेने के लिए यूएटी/लाइव वातावरण में लाइव कैमरा मॉड्यूल परीक्षण प्रक्रिया के दौरान काम नहीं कर रहा था। प्रत्येक परीक्षण परिदृश्य में, 1 से 27 मिनट

[27] परिवर्तन अनुरोध संख्या 20221 और 23411 ।

तक प्रतीक्षा करने के बाद भी कैमरा सेल्फी लेने के लिए सक्रिय नहीं हुआ और आवेदक की लाइव तस्वीर लेने में विफल रहा।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद (अप्रैल 2025), जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (फरवरी 2026) और कहा कि कैमरे के काम न करने की समस्या को ठीक कर दिया गया है और 31 अक्टूबर 2025 को उत्पादन में लागू कर दिया गया है।

viii. **ओआईडीएआर पंजीकरण में त्रुटियाँ:** आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(17) के अनुसार, ऑनलाइन सूचना डेटाबेस एक्सेस और पुनर्प्राप्ति सेवाएं (ओआईडीएआर) इंटरनेट पर विज्ञापन, क्लाउड सेवाएं, डिजिटल स्टोरेज, ऑनलाइन गेमिंग आदि जैसी सेवाओं को संदर्भित करती हैं, जिनकी डिलीवरी इंटरनेट पर सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मध्यस्थ होती है और जिनकी प्रकृति उनकी आपूर्ति को अनिवार्य रूप से स्वचालित बनाती है जिसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप सम्मिलित होता है।

ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति आवेदकों के लिए, पंजीकरण के समय बैंक खाता विवरण दर्ज करना वैकल्पिक है। हालांकि, यदि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यह विकल्प चुना जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए विवरणों का सत्यापन किया जाना चाहिए कि बैंक खाता वैध, सक्रिय है और उस पैन से मेल खाता है जिस पर जीएसटीआईएन बनाया गया था।

लेखापरीक्षा टीम ने यूएटी वातावरण में कार्यक्षमता का परीक्षण किया और पाया कि प्रणाली बैंक खाता विवरण भरते समय बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि के किसी भी सत्यापन के बिना यादृच्छिक बैंक खाता संख्या स्वीकार कर रहा था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि ओआईडीएआर के लिए बैंक खाता सत्यापन को उत्पादन में लागू कर दिया गया है। जीएसटीएन ने आगे कहा कि करदाताओं की सुविधा के लिए 2022 में जियो-मैपिंग को सक्षम किया गया था और भौतिक सत्यापन द्वारा इसे पूरक बनाया गया था। जीएसटीएन ने यह भी कहा कि जियो-मैपिंग सुविधा को अन्य प्रकार के करदाताओं तक विस्तारित करने पर उचित समय

पर विचार किया जाएगा। पिन सत्यापन के संबंध में, जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि इसे ओआईडीएआर प्रकार के करदाताओं के लिए भी लागू किया जाएगा।

अनुशंसा 1: जीएसटीएन फ्रंट-एंड करदाता पंजीकरण मॉड्यूल में सत्यापन संबंधी त्रुटियों के निवारण में तेजी लाए।

अनुशंसा 2: जीएसटीएन कंपोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनने वाले पात्र करदाताओं पर लगाए गए अनुचित प्रतिबंधों के संशोधन में तेजी लाए।

3.5.2 कर अधिकारी के मॉड्यूल में कमियां

कर अधिकारी मॉड्यूल कर अधिकारियों को पंजीकरण आवेदन के सत्यापन, व्यवसाय के मुख्य स्थान के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता वाले मामलों के लिए क्षेत्र दौरा आयोजित करने और पंजीकरण आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने जैसे बैक-कार्यालय कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। लेखापरीक्षा में पंजीकरण की स्वीकृति और रद्द करने की प्रक्रिया और अलर्ट तंत्र से संबंधित इस मॉड्यूल की क्रियात्मकताओं में निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

i. **भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन तैयार करने और अपलोड करने की कार्यक्षमता में कमी:** सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 25(2) के अनुसार, नियम 9 के उप-नियम (1) के परंतुक में निर्दिष्ट परिस्थितियों में पंजीकरण प्रदान करने से पहले व्यावसायिक परिसर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। इसके अलावा, नियम 9 के अनुसार, उचित अधिकारी को आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की जांच करनी होगी। यदि सब कुछ ठीक पाया जाता है, तो पंजीकरण प्रदान करने की स्वीकृति आवेदन जमा करने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर दी जानी चाहिए।

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन (पीवीआर), अन्य दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ, निर्धारित समय अवधि की समाप्ति से कम से कम पांच कार्य दिवस पहले सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आरईजी-30 में अपलोड की जानी चाहिए।

जीएसटीएन ने उचित अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन (पीवीआर) तैयार करने और अपलोड करने की सुविधा विकसित की है। लेखापरीक्षा ने परीक्षण के दौरान इस सुविधा का सत्यापन किया, जिसमें पंजीकरण आवेदन

को अस्वीकार करने की अनुशंसा करने वाली नकारात्मक टिप्पणियों के साथ पीवीआर अपलोड की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणाली पीवीआर को संबंधित पंजीकरण आवेदन से जोड़ने में विफल रहा और पंजीकरण को स्वीकृति देने से पहले उचित अधिकारी को पीवीआर देखने के लिए कोई चेतावनी भी नहीं दी। यह कमी इस सुविधा के उद्देश्य को बाधित करती है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (सितंबर 2024), जीएसटीएन ने कहा (सितंबर 2024) कि पंजीकरण आवेदन से पीवीआर को जोड़ने का मुद्दा जीएसटीएन के संज्ञान में पहले से ही था और पीवीआर को आवेदन स्तर पर पीओ को प्रदान करने के लिए एक परिवर्तन अनुरोध (सीआर 26443 ए) के माध्यम से आवश्यक उपयोग का मामला विकसित किया गया था ताकि पीओ पीवीआर के आधार पर निर्णय ले सके।

जीएसटीएन ने आगे सूचित किया (फरवरी 2026) कि नकारात्मक प्रतिवेदन सहित फील्ड विजिट प्रतिवेदन के संबंध में कर अधिकारियों को सचेत करने के लिए आवश्यक कार्यक्षमता लागू कर दी गई है (सीआर 26443बी के माध्यम से)।

ii. लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अपलोड किए जाने वाले फॉर्म जीएसटी आरईजी- 30 में व्यवसाय के स्थान की पुष्टि करने वाले सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने की कोई सुविधा नहीं थी और इस प्रकार व्यवसाय के स्थान का प्रमाण प्रणाली में दर्ज नहीं हो रहा था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) बताया कि अधिसूचित फॉर्म आरईजी-30 के अनुसार, ऐसा कोई दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उक्त फॉर्म के बिंदु 9 में परिकल्पित "सत्यापन स्थल पर उपस्थित व्यक्ति के साथ उस स्थान की तस्वीर अपलोड करने" की सुविधा पहले ही लागू कर दी गई है। इसके अलावा, फॉर्म आरईजी-30 में "तस्वीर अपलोड" और "ई-केवाईसी दस्तावेज़ अपलोड" के आकार को बढ़ाने की सुविधा 4 अगस्त 2025 (सीआर 29836) को लागू कर दी गई है।

लेखापरीक्षा इस बात से सहमत है कि पहले से ही लागू की गई सुविधाओं में "दस्तावेज़ सत्यापित (हाँ/नहीं)" का विकल्प प्रणाली में मौजूद था (फॉर्म जीएसटी

आरईजी-30 का क्रमांक 8)। हालांकि, सहायक दस्तावेज़ों (बिजली/पानी के बिल, स्वामित्व अभिलेख/किराया समझौता/संपत्ति कर बिल) और सत्यापन के दौरान उपस्थित व्यक्ति के पहचान प्रमाण (मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) को दर्ज करने की सुविधा का अभाव भौतिक सत्यापन प्रक्रिया की पता लगाने की क्षमता और साक्ष्य मूल्य को कमजोर करता है। इससे फर्जी पंजीकरणों का पता न चलने की संभावना भी बनी रहती है।

iii. **कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक सेवाएं प्रदान करने वाले करदाताओं पर नज़र रखने के लिए तंत्र का अभाव:** मौजूदा प्रावधानों[28] के अनुसार, कंपोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में हुए कारोबार के 10 प्रतिशत से अधिक या ₹5 लाख, जो भी अधिक हो, के मूल्य की सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्यों के 2019-20 और 2021-22 की अवधि के यादृच्छिक रूप से चयनित डेटा की जांच करके पाया कि कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत वस्तु और सेवा दोनों की आपूर्ति करने वाले 4,064 मामले थे। इनमें से, लेखापरीक्षा ने 100 जीएसटीएन के नमूने का विश्लेषण किया और पाया कि 64 सक्रिय करदाता केवल सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए थे और छः सक्रिय करदाता राज्य में कुल कारोबार के 10 प्रतिशत या ₹5 लाख (जो भी अधिक हो) की सीमा से अधिक सेवाओं की आपूर्ति कर रहे थे और अभी भी कंपोजिशन करदाता के रूप में बने हुए थे।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जून 2025), जीएसटीएन ने (जुलाई 2025) कहा कि सीएमपी-08 विवरण के वर्तमान स्वरूप के कारण, जिसमें तालिका 3.1 में केवल कुल बाहरी आपूर्तियों (छूट प्राप्त आपूर्तियों सहित) की रिपोर्ट की जाती है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10(1) के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने के लिए सेवाओं का सटीक मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। जीएसटीएन ने आगे सूचित किया (फरवरी 2026) कि विधि समिति ने तब से तालिका 3 में वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित आपूर्तियों को अलग-अलग

[28] सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10(1) का दूसरा परंतुक (01 फरवरी 2019 से लागू संशोधन के अनुसार)।

प्रविष्टियों के रूप में रिपोर्ट करने के लिए फॉर्म को संशोधित करने की अनुशंसा की है। तदनुसार, इस संबंध में एक परिवर्तन अनुरोध (सीआर 30463) जारी किया गया है और नए फॉर्म के अधिसूचित होने के बाद, इस परिवर्तन अनुरोध या इसके भाग के रूप में आवश्यक सत्यापन प्रणाली में सम्मिलित किए जाएंगे।

iv. **बैंकिंग प्लेटफार्मों के साथ समेकन का अभाव जिसके कारण बैंक सत्यापन में विफलताएँ होती हैं:** जीएसटीएन ने मौजूदा और रद्द किए गए करदाताओं के सभी बैंक खातों का सत्यापन करने के लिए एक कार्यक्षमता[29] विकसित की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक खाते सक्रिय हैं और बैंक खातों का विवरण प्रामाणिक, वैध है और उस पैन से मेल खाता है जिस पर जीएसटीआईएन बनाया गया था।

वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंधित डेटा की जांच के माध्यम से किए गए लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 138 करदाताओं के बैंक खाते सत्यापित नहीं थे। इनमें से 100 करदाताओं के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 74 सक्रिय जीएसटीआईएन में बैंक सत्यापन में विफलता पाई गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि पैन के प्रति बैंक खाता विवरणों को सत्यापन करने के लिए प्रणाली में एनपीसीआई या अन्य बैंकिंग प्लेटफॉर्म जैसी संस्थाओं के साथ एकीकरण का अभाव है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) बताया कि एनपीसीआई के साथ एकीकृत बैंकों के संबंध में बैंक खाता सत्यापन प्रक्रिया एनपीसीआई के माध्यम से की जा रही है। चूंकि कुछ सहकारी बैंक एनपीसीआई के साथ एकीकृत नहीं हैं, इसलिए उनके बैंक खातों का सत्यापन नहीं हो सका। हालांकि, जीएसटीएन ने कहा कि एक ऐसी सुविधा लागू की गई है जिससे कर अधिकारी ऐसे छूटे हुए बैंक खातों का सत्यापन कर सकेंगे, यदि कोई करदाता इसके लिए संपर्क करता है।

v. **पंजीकरण रद्द करने के लिए कार्य नियमों का गलत प्रतिचित्रण:** परिपत्र संख्या 69/43/2018-जीएसटी के साथ पठित सीजीएसटी नियम, 2017 के

---

[29] बीआरडी 21595 ।

नियम 20 के अनुसार पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन करने वाले करदाता को पंजीकरण रद्द करने की घटना घटित होने के 30 दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आरईजी--16 में आवेदन जमा करना होगा। अधिकारी द्वारा आवेदन को तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए और फॉर्म जीएसटी आरईजी--19 में रद्द करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए, जिसकी प्रभावी रद्द करने की तिथि फॉर्म जीएसटी आरईजी--16 में अनुरोधित तिथि के समान होगी। किसी भी स्थिति में, प्रभावी तिथि आवेदन की तिथि से पहले की नहीं हो सकती।

लेखापरीक्षा विभाग ने यूएटी वातावरण में पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रणाली ने आवेदन की तिथि से पहले की प्रभावी तिथि के साथ पंजीकरण रद्द करने की अनुमति दे दी थी। एक परीक्षण मामले में, 4 दिसंबर 2024 को फॉर्म जीएसटी आरईजी-16 में पंजीकरण रद्द करने के लिए दिया गया आवेदन, जिसमें 5 नवंबर 2024 से प्रभावी होने की मांग की गई थी, प्रणाली द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, प्रणाली ने कर अधिकारी को 5 नवंबर 2024 से प्रभावी होने की तिथि के साथ रद्द करने का आवेदन स्वीकार करने की अनुमति दी और फॉर्म जीएसटी पंजी -19 में एक रद्द करने का आदेश जारी किया गया, जो उक्त नियम प्रावधानों का उल्लंघन था और व्यावसायिक नियमों का गलत प्रतिचित्रण का संकेत देता था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने उत्तर दिया (फरवरी 2026) कि यह कार्यप्रणाली नियम 20 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 29 और उल्लिखित परिपत्र के अनुरूप है, क्योंकि नियम 20 के अनुसार करदाता को आवेदन दाखिल करने की तिथि से 30 दिन पहले का समय दिया जाता है। यह बताया गया कि नियम 20 की भावना को लागू करने के लिए प्रणाली में 30 कैलेंडर दिनों की अवधि दी गई है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि रद्द करने के लिए आवेदन पोर्टल पर रद्द करने की आवश्यकता वाली घटना के घटित होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएं। परीक्षण मामले में, करदाता द्वारा मांगा गया रद्द करना "आवेदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर" आता है।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियम में केवल यह कहा गया है कि करदाता को घटना के घटित होने के 30 दिनों के भीतर रद्द करने के लिए आवेदन करना चाहिए और इसमें घटना के घटित होने की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द करने का प्रावधान नहीं है। परिपत्र में इस स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'किसी भी स्थिति में प्रभावी तिथि आवेदन की तिथि से पहले की नहीं हो सकती'। अतः जीएसटीएन द्वारा दी गई व्याख्या कार्य नियमों के अनुरूप नहीं है।

vi. **विशेष आर्थिक क्षेत्र पंजीकरणों की वैधता की निगरानी के लिए अलर्ट का अभाव:**सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 (1) के परंतुक के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में परिभाषित इकाई रखने वाले व्यक्ति या विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता (एसईजेड डेवलपर) को उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एसईजेड के बाहर स्थित व्यवसाय स्थल से अलग पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अतः, प्रत्येक एसईजेड इकाई/एसईजेड डेवलपर को जीएसटी के अंतर्गत अलग पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

विधि समिति ने (दिसंबर 2019 में)[30] यह अनिवार्य कर दिया कि एसईजेड इकाई/एसईजेड डेवलपर्स को जारी किए गए अनुमोदन पत्र (एलओए) या अनुमति पत्र (एलओपी) की तिथियों को पंजीकरण के समय जीएसटी प्रणाली में दर्ज किया जाए। वैधता समाप्त होने के बाद, पंजीकरण को करदाता या अधिकारी द्वारा रद्द किया जाना आवश्यक है। विधि समिति के निर्णय के अनुपालन में, जीएसटीएन ने एसईजेड इकाइयों/एसईजेड डेवलपर्स के लिए एलओए/एलओपी की वैधता अवधि को दर्ज करने की सुविधा[31] विकसित की और उक्त फ़ील्ड को फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में अनिवार्य कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंधित वर्ष 2020-21 और 2022-23 के उत्पादन डेटा से पहचाने गए 100 एसईजेड पंजीकरण आवेदनों के डेटा का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि 84 मामले एलओए/एलओपी की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी सक्रिय थे, जिससे इस प्रणाली में अपात्र को एसईजेड लाभों को स्वीकृति देने के जोखिमपाए

---

[30] 11-12 दिसंबर 2019 को आयोजित बैठक में।

[31] परिवर्तन अनुरोध संख्या 16283।

गए है। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि वैधता अवधि के विस्तार से संबंधित कोई मुख्य संशोधन नहीं किए गए थे। कर अधिकारियों द्वारा समीक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए एलओए/एलओपी की वैधता अवधि समाप्त होने के मामलों को चिह्नित करने वाले कोई प्रणाली अलर्ट तैयार नहीं थे।

जीएसटीएन ने (फरवरी 2026 में) सूचित किया कि करदाता और कर अधिकारी को सचेत करने की कार्यक्षमता (सीआर 28514-बी के माध्यम से) लागू की गई है और 1 जुलाई 2025 को तैनात की गई है।

vii. **अनुमोदन प्रक्रिया में विलंब के कारण स्वतः अनुमोदन प्राप्त होना:** सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 9 (5) में यह प्रावधान है कि यदि उचित अधिकारी आवेदन जमा करने की तिथि से सात कार्य दिवसों/ 30 दिनों (भौतिक सत्यापन की आवश्यकता वाले मामलों के लिए) के भीतर कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकृत माना जाएगा।

लेखापरीक्षा में गुजरात राज्य के लिए वर्ष 2023-24 के पंजीकरण डेटा पर किए गए एक विश्लेषण से पता चला कि कुल 41 पंजीकरण आवेदनों को एआरएन जारी होने के तीस दिनों के बाद स्वतः स्वीकृत/मान्यता प्राप्त हुई। इससे मैनुअल प्रक्रिया और अनुमोदन प्रक्रिया में विलंब का संकेत मिलता है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) कहा कि एक अलर्ट तंत्र लागू किया गया है जिसके द्वारा कर अधिकारी को लंबित आवेदनों की संख्या प्राप्त होती है, ताकि आवेदनों पर कार्रवाई की जा सके।

अनुशंसा 3: जीएसटीएन भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अपलोड करने की कार्यप्रणाली में कमियों, पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्य नियमों की गलत मैपिंग और बैंकिंग प्लेटफार्मों के एकीकरण में त्रुटियों को दूर करे।

अनुशंसा 4: जीएसटीएन वह सुविधा जिससे कर अधिकारी कंपोजिशन लेवी योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने वाले करदाताओं की निगरानी कर सकें को शीघ्रातिशीघ्र सम्मिलित करे।

3.6 विवरणियाँ

जीएसटी विवरणियाँ वे फॉर्म हैं जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं को अपने व्यावसायिक लेन-देन - बिक्री, उत्पादन कर और इनपुट कर क्रेडिट - की प्रतिवेदन करने के लिए दाखिल करना होता है। विवरणियाँ जीएसटी पोर्टल *(www.gst.gov.in)* के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की जाती हैं। विवरणियों का प्रकार करदाता की पंजीकरण श्रेणी, कारोबार और व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। जीएसटी रूपरेखा के अंतर्गत कई प्रकार की विवरणियाँ[32] दाखिल करना अनिवार्य है, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। एक सामान्य करदाता[33] से संबंधित कुछ मूल विवरणियाँ नीचे दी गई हैं:

जीएसटीआर-1: वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी में वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण होता है।

जीएसटीआर-3बी: अधिनियम की धारा 39(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर, सभी करदाताओं को बाहरी आपूर्तियों और दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ-साथ कर भुगतान का मासिक सारांश विवरणी दाखिल करनी होती है। यही विवरणी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाताबही में क्रेडिट और डेबिट तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश खाताबही में डेबिट दर्ज करता है।

---

[32] जीएसटीआर-1, जीएसटीआर -3बी, जीएसटीआर -4 (कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत करदाता), जीएसटीआर -5 (अनिवासी टैक्सपेयर), जीएसटीआर -5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवाएं प्रदाता), जीएसटीआर -6 (इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर), जीएसटीआर -7 (स्त्रोत पर कर कटौती वाले करदाता), जीएसटीआर -8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), जीएसटीआर -9 (वार्षिक विवरणी), जीएसटीआर -10 (अंतिम विवरणी), जीएसटीआर -11 (यूआईएन वाले और प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति), सीएमपी-08, और आईटीसी-04 (प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा जॉब-वर्कर को भेजे गए/उनसे प्राप्त सामान के विवरण के बारे में फाइल किया जाने वाली विवरणी)।

[33] नियमित करदाता वह करदाता होता है जिसका कुल सालाना टर्नओवर माल के लिए ₹40 लाख और सेवाओं के लिए ₹20 लाख से ज़्यादा होता है। नियमित करदाता को ग्राहकों से जीएसटी वसूलने का अधिकार होता है और वह बिज़नेस से जुड़ी योग्य खरीदारी पर आईटीसी का दावा कर सकता है।

जीएसटीआर-9: इनपुट सेवा वितरण (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्राहक, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता को छोड़कर सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल की जानी अनिवार्य है। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर मदों (सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी) के अंतर्गत की गई और प्राप्त सभी आपूर्तियों का विवरण, साथ ही कारोबार का विवरण भी सम्मिलित है।

जीएसटीआर-2ए/ जीएसटीआर 2बी: किसी प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक प्रणाली द्वारा तैयार विवरण, जो आपूर्तिकर्ताओं के संबंधित विवरण से भरा जाता है और इसमें दावा करने योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (इनपुट टैक्स क्रेडिट) और अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण होता है।

जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 की प्रक्रिया प्रवाह नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट 3.4: जीएसटीआर 3बी - मासिक सारांश विवरणी का प्रक्रिया प्रवाह

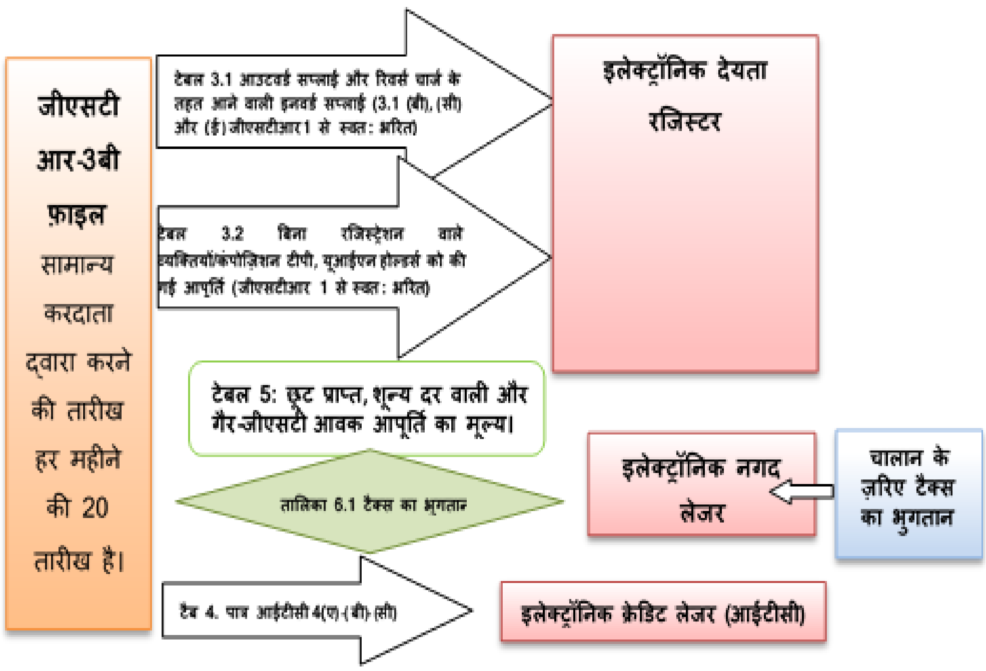

चार्ट नंबर 3.5: जीएसटीआर 9 - वार्षिक विवरणी का प्रक्रिया प्रवाह चार्ट

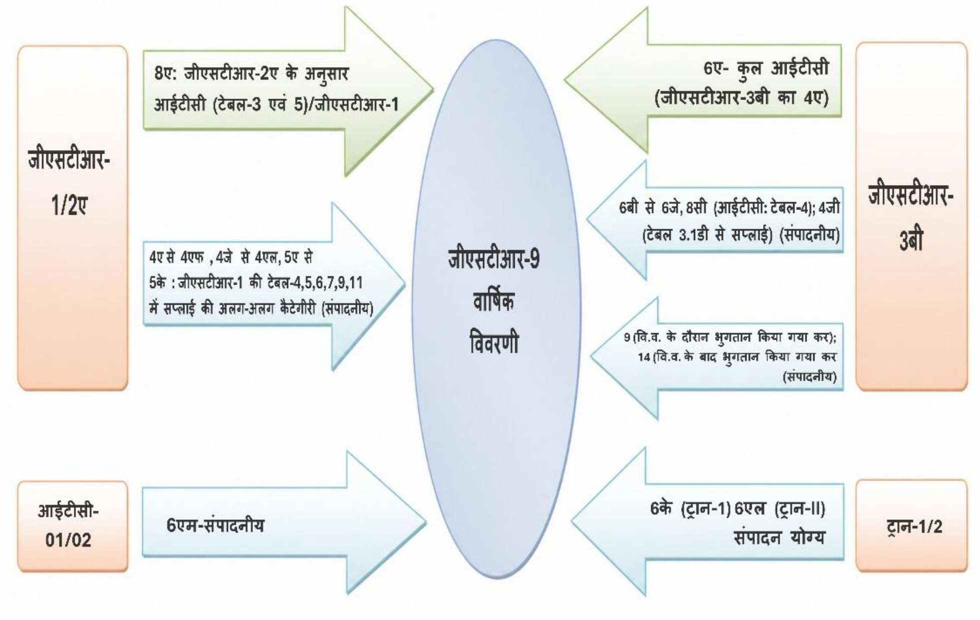

यद्यपि अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच लागू की गई अधिकांश अतिरिक्त सुविधाएं, जिनकी जांच की गई, अपेक्षित रूप से कार्य कर रही थीं, हालांकि, लेखापरीक्षा में कार्य नियमों के प्रतिचित्रण में नौ कमियां पाई गईं और विवरणी दाखिल करने, करदाताओं की पात्रता सत्यापित करने, कर देयता का निर्वहन करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लेने और निगरानी में सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रणालीगत अलर्ट भेजने से संबंधित कार्यप्रणालियों को लागू नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि लागू की गई पांच कार्यप्रणालियां अपेक्षित रूप से कार्य नहीं कर रही थीं।

3.6.1 कार्य नियमों के प्रतिचित्रण में कमियां और क्रियात्मकताओं का कार्यान्वयन न होना

विवरणी दाखिल करना एक स्वचालित प्रक्रिया है और यह अनिवार्य है कि कार्यात्मकताओं को कार्य नियमों के साथ प्रतिचित्रित किया जाए और उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाए ताकि करदाताओं को विवरणी दाखिल करने और कर दायित्व का निर्वहन करने में सुविधा हो और कर अधिकारियों को निगरानी बनाए रखने में सहायता मिल सके। यद्यपि तैनात की गई अधिकांश कार्यात्मकताएं परिकल्पना के अनुसार कार्य कर रही थीं, लेखापरीक्षा में

व्यावसायिक नियमों के प्रतिचित्रण और कार्यात्मकताओं के कार्यान्वयन में कुछ कमियां पाई गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

i. **तिमाही विवरणी दाखिल करने की पात्रता को सत्यापित करने के लिए कार्यक्षमता लागू नहीं किया जाना:** नियम 61(ए) और उप-नियम 61(ए)(2) के साथ पढ़े गए धारा 39(1) के परंतुक के अनुसार, तिमाही आधार पर विवरणी दाखिल करने के इच्छुक और पाँच करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्ति को 1 जनवरी 2021 से तिमाही विवरणी दाखिल करने और मासिक कर भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना का विकल्प चुनकर मासिक कर भुगतान के साथ प्रत्येक तिमाही विवरणी दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। क्यूआरएमपी योजना का विकल्प एक बार चुने जाने के बाद, यह तब तक जारी रहेगा जब तक पंजीकृत व्यक्ति अपना विकल्प संशोधित नहीं कर लेता या उसका कुल कारोबार (एटीओ) पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो जाता। यदि चालू वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्नओवर पाँच करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति को उस तिमाही के बाद वाली तिमाही के पहले महीने से मासिक विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुनना चाहिए, जिस तिमाही में उसका कुल कारोबार पाँच करोड़ रुपये से अधिक हुआ था। एक ही पैन के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों के मामले में, यदि सभी जीएसटीआईएन का कुल वार्षिक टर्नओवर पाँच करोड़ रुपये की सीमा को पार कर जाता है, तो ऐसे सभी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत जारी रहने के लिए अपात्र हो जाते हैं।

जब यूएटी वातावरण में इस प्रावधान के अनुपालन का परीक्षण किया गया, तो लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजीकृत व्यक्ति वार्षिक टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक होने पर भी त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने में सक्षम थे। इसके अलावा, 2021-24 की अवधि के लिए उत्पादन वातावरण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 90,720 मामलों में करदाताओं ने पांच करोड़ रुपये की सीमा पार कर ली थी, लेकिन फिर भी त्रैमासिक विवरणी दाखिल किए थे, इससे संकेत मिलता है कि प्रणाली में एक ही पैन के अंतर्गत सभी जीएसटीआईएन के कुल टर्नओवर की गणना करने और क्यूआरएमपी योजना का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को सीमा पार करने के बाद भी योजना के अंतर्गत बने रहने से रोकने के लिए कोई सत्यापन तंत्र मौजूद नहीं है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), तो जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) बताया कि क्यूआरएमपी योजना से करदाताओं को स्वचालित रूप से बाहर निकलने के लिए बाध्य करने वाली कार्यक्षमता के विकास की आवश्यकता पर काम शुरू कर दिया गया है (सीआर 27001 द्वारा)। जीएसटीएन ने आगे कहा कि सीमित संसाधनों और जीएसटी 2.0 में अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण, इसे अभी तक प्रणाली में लागू नहीं किया गया है और इस पर शीघ्र ही काम शुरू किया जाएगा।

ii. **बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा के संबंध में कमजोर सत्यापन:** सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 59(2) के अनुसार, अनुच्छेद 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर विवरणी दाखिल करने वाले पंजीकृत व्यक्ति, प्रत्येक तिमाही के पहले और दूसरे महीने में ₹50 लाख तक के संचयी मूल्य के पंजीकृत व्यक्तियों को किए गए बाहरी आपूर्तियों का विवरण बीजक फर्निशिंग फैसिलिटी (आईएफएफ) का उपयोग करके प्रस्तुत करें। विवरण संबंधित महीने के बाद वाले महीने की पहली तारीख से लेकर तेरह तारीख तक सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नियम 59(3) में यह प्रावधान है कि किसी तिमाही के पहले और दूसरे महीने के लिए आईएफएफ का उपयोग करके प्रस्तुत किए गए बाहरी आपूर्तियों का विवरण उक्त तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में उपरोक्त नियम प्रावधान को लागू करने के लिए विकसित कार्यप्रणाली में एक विसंगति पाई गई। यूएटी वातावरण में सत्यापन परीक्षण से पता चला कि जीएसटीएन प्रणाली ₹50 लाख की सीमा को लागू नहीं कर रही थी, जिससे करदाताओं को ₹50 लाख से अधिक के कुल बिल मूल्य होने पर भी आईएफएफ के माध्यम से बिल अपलोड करने की अनुमति मिल रही थी। एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 1,21,433 मामलों में, आईएफएफ के माध्यम से प्रस्तुत किए गए बी2बी बीजकों का कुल मूल्य तिमाही के पहले या दूसरे महीने में ₹50 लाख से अधिक हो गया था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) कहा कि लेन-देन की उच्च मात्रा और अनुपालन के विविध स्वरूपों को देखते हुए, पोर्टल स्तर पर अत्यधिक सत्यापन से अनावश्यक प्रणालीगत बाधाएँ, उपयोगकर्ताओं की शिकायतें और परिचालन संबंधी अड़चनें तैयार हो सकती हैं, जबकि अनुपालन में अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। जीएसटी रूपरेखा प्रणाली-आधारित सुविधा और बाद में सत्यापन एवं प्रवर्तन तंत्र के बीच सचेत रूप से संतुलन बनाए रखता है।

जीएसटीएन ने आगे कहा कि फिर भी, उसने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर ध्यान दिया है और 50 लाख रुपये की सीमा के संबंध में करदाताओं को मार्गदर्शन देने के लिए हल्के सत्यापन, चेतावनी या परामर्श शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

लेखापरीक्षा का मत है कि मृदु सत्यापन या चेतावनी, हालांकि पूरक उपायों के रूप में उपयोगी हैं, लेकिन जहां कानून द्वारा स्पष्ट सीमा निर्धारित की गई है, वहां प्रभावी प्रणाली-स्तरीय प्रवर्तन का विकल्प नहीं हैं। वैधानिक सत्यापन का अभाव और दोष का पता लगाने और सुधारात्मक कार्रवाई का भार बाद में डालने से अनुपालन आश्वासन कमजोर हो सकता है।

iii. **कम्पोजीशन लेवी स्कीम के अंतर्गत करदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य के सत्यापन का अभाव:** सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार (1 फरवरी 2019 से प्रभावी) वह व्यक्ति जो धारा 10(1) के खंड (क) या (ख) या (ग) के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, वह सेवाओं की आपूर्ति कर सकता है (अनुसूची II के अनुच्छेद (ख) में संदर्भित सेवाओं के अलावा) जिनका मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएमपी-08 और जीएसटीआर-4 विवरणी[34] दाखिल करते समय सेवाओं और वस्तुओं का विवरण दर्ज करने के लिए अलग-अलग फ़ील्ड मौजूद नहीं थे, और इस प्रकार इस पृथक्करण से संबंधित

---

[34] करदाता (जीएसटीआईएन सीजेएसपीजी4288डीजेड6) के लिए अप्रैल-जून 2024-25 तिमाही का सीएमपी-08 फ़ाइल करके यूएटी चेक किया गया।

कार्य नियम प्रणाली में लागू नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रणाली करदाता की कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत पात्रता की जांच करने में विफल रहा।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) बताया कि फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 में प्रस्तावित बदलाव, जिसमें सीएमपी 08 और जीएसटीआर 4 विवरणी दाखिल करते समय वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की रिपोर्टिंग के लिए अलग-अलग क्षेत्र सम्मिलित हैं, को विधि समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। ये बदलाव वर्तमान में विकासाधीन हैं (सीआर संख्या 30463) और सीएमपी 08 के संशोधित प्रारूप पर विधि समिति के साथ चर्चा चल रही है।

iv. **आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता के जीएसटीएन में संशोधन करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापिस करने की सुविधा का अभाव:** धारा 38 के साथ पठित नियम 60(7) के प्रावधानों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में दर्ज की गई बाहरी आपूर्तियों के आधार पर प्राप्तकर्ता को उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक माह फॉर्म जीएसटीआर-2बी में एक स्वतः-जनित विवरण उपलब्ध कराया जाता है। फॉर्म जीएसटीआर-2बी प्राप्तकर्ता के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य आंतरिक आपूर्तियों का विवरण और उन आपूर्तियों का विवरण प्रदान करता है जिन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं लिया जा सकता है।

इसके अलावा, धारा 37 (3) में यह प्रावधान है कि यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति को पिछली कर अवधियों के लिए उसके द्वारा दाखिल किए गए जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए बहिर्वाह आपूर्ति विवरणों में त्रुटियां या चूक मिलती हैं, तो वह वर्तमान अवधि में जीएसटीआर-1 की तालिका 9 में इसे सुधार सकता है और संशोधित विवरण वर्तमान अवधि के लिए प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2बी में परिलक्षित होगा।

लेखापरीक्षा में यूएटी में फॉर्म जीएसटीआर 2बी की जांच के दौरान यह पाया गया कि जब कोई आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन बदलकर बीजक में संशोधन करता है, तो नए जोड़े गए प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2बी में "इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध" के अंतर्गत सही जानकारी दर्ज हो जाती है।

हालांकि, संशोधन की अवधि के लिए मूल प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि वापस नहीं ली जाती है। परिणामस्वरूप, कर भुगतान के लिए उपयोग की जा सकने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि मूल प्राप्तकर्ता और संशोधित बीजक के प्राप्तकर्ता दोनों के जीएसटीआर -2बी में उपलब्ध होती है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2026) कि लेखापरीक्षा द्वारा चिहनित समस्या चरणबद्ध कार्यान्वयन के अंतर्गत एक प्रणाली सुधार से संबंधित है, और **बीजक प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)** के भीतर उचित सुधारात्मक कार्यक्षमता विकसित की जा रही है।

v. **अतिरिक्त कर दायित्व के निर्वहन हेतु जीएसटीआर 9 में सत्यापन लागू न करना:** सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49(7), नियम 85(2) के साथ पढ़ी जाए तो, यह अनिवार्य है कि कर योग्य व्यक्ति की सभी देनदारियां, जिनमें कर, ब्याज, विलंब शुल्क या विवरणी के अनुसार देय अन्य राशियां सम्मिलित हैं, फॉर्म पीएमटी-01 में इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में दर्ज की जाएं। सामान्य पोर्टल पर बनाए गए इस रजिस्टर में विवरण से संबंधित देनदारियों के लिए भाग I और अन्य देनदारियों के लिए भाग II सम्मिलित हैं, जिसमें देय राशियों को डेबिट के रूप में दर्शाया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में समापन शेष सकारात्मक है तो विवरणी को अमान्य माना जाता है।

इसके अलावा, करदाता वार्षिक विवरणी दाखिल करते समय अतिरिक्त देयता घोषित करने और उस पर कर का भुगतान करने के हकदार हैं। फॉर्म जीएसटीआर -9 (वार्षिक विवरणी) के निर्देश 9 के अनुसार, करदाताओं के पास फॉर्म डीआरसी-03 (कर भुगतान करने का फॉर्म) में ड्रॉप-डाउन मेनू से "वार्षिक विवरणी" का चयन करके किसी भी अतिरिक्त देयता का भुगतान करने का विकल्प है। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी देयता का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश खाताबही के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

जीएसटीआर 9 में सत्यापन की जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि:

क) अतिरिक्त देनदारियों को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा है: यदि जीएसटीआर -9 में घोषित कोई अतिरिक्त कर देयता

(जीएसटीआर -3बी विवरण के माध्यम से भुगतान किए गए कुल कर से अधिक) है, तो यह अतिरिक्त देयता इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाती है। इस खामी के कारण करदाता अपने कर दायित्वों का पूर्ण निर्वहन किए बिना वार्षिक विवरणी दाखिल कर सकते हैं।

मंत्रालय ने (फरवरी 2026) कहा कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49(7) के साथ पढ़े गए सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 85(2)(ए) में परिकल्पित 'विवरणी' में घोषित अतिरिक्त देनदारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर को डेबिट करने की आवश्यकता, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 के अंतर्गत करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले मासिक/त्रैमासिक विवरणी (जीएसटीआर 3बी) से संबंधित प्रतीत होती है, न कि फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी से, जो कि एक अतिरिक्त विवरणी है, जिसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 44 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49(7) और सीजीएसटी नियमों के नियम 85(2)(क) के अंतर्गत "विवरणी" शब्द की व्याख्या, जो केवल धारा 39 के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी (अर्थात् फॉर्म जीएसटीआर-3बी) पर लागू होती है, सीमित है। धारा 49 या नियम 85 में ऐसा कोई स्पष्ट अपवाद नहीं है जो डेबिटिंग तंत्र को केवल धारा 39 के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी से तैयार होने वाली देनदारियों तक सीमित करता हो। फॉर्म जीएसटीआर-9 अधिनियम के तहत निर्धारित एक वैधानिक विवरणी है, और इसमें घोषित कोई भी अतिरिक्त कर देयता कानून के अंतर्गत स्वीकृत देयता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक देयता खाता बही में दर्ज करना और डेबिट करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्वीकृत देनदारियों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाए और उनका उचित निपटान किया जाए।

ख) जीएसटीआर -9 में डीआरसी-03 भुगतान के लिए सत्यापन का अभाव: जब जीएसटीआर 9 में अतिरिक्त देनदारियों की घोषणा की जाती है और नियमों के अनुसार फॉर्म डीआरसी-03 में अतिरिक्त देनदारी के लिए संबंधित कर का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे कर भुगतान जीएसटीआर 9 में दर्ज/प्रतिबिंबित नहीं होते हैं।

मंत्रालय ने (फरवरी 2026 में) कहा कि जीएसटीआर-9 में डीआरसी-03 भुगतान के सत्यापन के अभाव में, नीति विंग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएसटीआर-9 में डीआरसी-03 के माध्यम से किए गए भुगतान को दर्ज करने के लिए एक नई तालिका (तालिका 9 और तालिका 14 के बाद) जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है।

ग) क्रेडिट खाताबही के माध्यम से अतिरिक्त देनदारी का अनुचित निपटान: वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 2,69,834 मामलों में करदाताओं ने जीएसटीआर-9 में दर्ज अतिरिक्त देनदारियों के निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश खाताबही के माध्यम से भुगतान करने के बजाय क्रेडिट खाताबही का उपयोग किया। डीआरसी-03 में इस सत्यापन विफलता के कारण करदाता ऐसी देनदारियों के निपटान के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं, जो फॉर्म जीएसटीआर-9 के निर्देश 9 के प्रावधानों के विपरीत है।

मंत्रालय ने (फरवरी 2026 में) कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटीआर 9 के निर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से अतिरिक्त देयता का भुगतान भी किया जा सके।

घ) करदाताओं द्वारा देनदारियों का निर्वहन न करने पर कर अधिकारियों को कोई सूचना नहीं भेजा जाना।: जीएसटी प्रणाली कर अधिकारियों को तब सूचित नहीं करती है जब कोई करदाता अतिरिक्त देनदारियों का निपटान किए बिना जीएसटीआर-9 दाखिल करता है।

मंत्रालय ने (फरवरी 2026 में) बताया कि करदाताओं द्वारा देनदारियों का भुगतान न करने पर कर अधिकारियों को अलर्ट देने के संबंध में, वर्तमान में जीएसटीआर 9 के सारणी 9 में देय कर का कॉलम संपादन योग्य है और इसमें चालू वर्ष की देनदारी दर्ज होती है, जिसके लिए जीएसटीआर 9 प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, जीएसटीआर 9 के सारणी 9 में भुगतान किया गया कर का कॉलम, जो जीएसटीआर 3बी से स्वतः भर जाता है और संपादन योग्य नहीं है, उसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आपूर्तियों पर भुगतान किया गया कर भी सम्मिलित हो सकता है। इसलिए, जीएसटीआर 9 के सारणी 9 के वर्तमान प्रारूप के आधार पर अतिरिक्त देनदारियों की पहचान नहीं की जा सकती।

लेखापरीक्षा द्वारा दिया गया सुझाव जीएसटीआर 9 प्रपत्र में आवश्यक संशोधन करने के बाद ही संभव है, जो वर्ष 2025-26 और उसके बाद के जीएसटीआर 9 के लिए परीक्षाधीन है।

हालांकि, यह बताना महत्वपूर्ण है कि अधिसूचना संख्या 13/2025-केंद्रीय कर के अनुसार, फॉर्म जीएसटीआर -9 में "देय कर" और "भुगतानित कर" के बीच अंतर दर्ज करने के लिए एक नया कॉलम जोड़ा गया है। चूंकि अब प्रणाली इस अंतर को स्पष्ट रूप से दर्ज करता है, इसलिए जीएसटीएन प्रणाली के लिए यह संभव होना चाहिए कि जहां भी कोई सकारात्मक अंतर बकाया रहता है, वहां स्वचालित अलर्ट या अपवाद प्रतिवेदन तैयार की जा सकें।

vi. **चूककर्ताओं को जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी करने हेतु कार्यक्षमता विकसित नहीं की गई है:** सीजीएसटी अधिनियम की धारा 46 को सीजीएसटी नियमों के नियम 68 के साथ पढ़ने पर यह अनिवार्य हो जाता है कि धारा 39, धारा 44 (वार्षिक विवरणी), धारा 45 (अंतिम विवरणी) या धारा 52 (इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य परिचालकों द्वारा स्रोत पर कर संग्रह) के अंतर्गत नियत तिथि के 15 दिनों के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल रहने वाले पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-3ए में एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जारी किया जाए।

जीएसटीआर 3ए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने की सुविधा जनवरी 2021 से उन लोगों के लिए ही लागू की गई है जो मासिक/तिमाही विवरणी दाखिल नहीं करते हैं और जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं करते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चूककर्ताओं को नोटिस जारी करने से संबंधित व्यावसायिक आवश्यकता दस्तावेज़ (बीआरडी 23030) मई 2022 में अनुमोदित हो गया था, लेकिन इसे उत्पादन में लागू नहीं किया गया था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) बताया कि वर्तमान में, फॉर्म जीएसटीआर-3बी, फॉर्म जीएसटीआर-9 (वार्षिक विवरणी) और फॉर्म जीएसटीआर-10 (अंतिम विवरणी) दाखिल न करने या देरी से दाखिल करने पर प्रणाली-आधारित तरीके से फॉर्म जीएसटीआर-3ए जारी किया जा रहा है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद के वर्षों के लिए जीएसटीआर 4 दाखिल न करने पर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

सीएमपी 08 और जीएसटीआर 5 दाखिल न करने पर जीएसटीआर 3ए फॉर्म में नोटिस जारी करने को प्राथमिकता दी जाएगी और इन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा। हालांकि, जीएसटीआर 6 और जीएसटीआर 7 दाखिल न करने पर जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी करने की अनुशंसा विधि समिति द्वारा नहीं की गई है।

जीएसटीएन ने आगे कहा कि व्यावसायिक आवश्यकता दस्तावेज़ (बीआरडी 23030) सभी प्रकार की विवरणी के लिए फॉर्म जीएसटीआर -3ए जारी करने हेतु एक व्यापक और एकीकृत स्वचालन रूपरेखा तैयार करने की परिकल्पना करता है। इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है ताकि सटीकता, प्रणाली की स्थिरता और बदलते अनुपालन कार्यप्रवाहों के साथ तालमेल सुनिश्चित किया जा सके।

vii. **जीएसटीआर 5ए दाखिल करने में विलंब होने पर ब्याज की स्वतः गणना करने की सुविधा का अभाव:** जीएसटीआर-5ए एक ऐसी विवरणी है जिसे ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल (ओआईडीएआर) सेवा प्रदाता द्वारा भारत के बाहर स्थित किसी स्थान से भारत में स्थित किसी व्यक्ति को, गैर-कर योग्य व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में, प्रस्तुत किया जाना होता है।

यूएटी वातावरण में जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि जीएसटीआर -5ए विवरणी, जिसकी देय तिथि 20 अक्टूबर 2024 थी, 7 नवंबर 2024 को विलंब से दाखिल किया गया था, फिर भी जीएसटीएन पोर्टल ने विवरणी दाखिल करने की अनुमति दे दी, हालांकि तालिका 6 (ब्याज और अन्य राशियाँ) खाली छोड़ी गई थी और उसमें लागू ब्याज का उल्लेख नहीं किया गया था। डेटा विश्लेषण से यह भी पता चला कि 2023-24 के दौरान कुल 84 ओआईडीएआर दाखिलों में से 54 विलंबित दाखिलों पर ब्याज नहीं लगाया गया था, जिससे जीएसटीआर -5ए को विलंबित रूप से दाखिल करने पर ब्याज की गणना करने की सुविधा का अभाव स्पष्ट होता है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2026) कि जीएसटीआर-5ए में ब्याज की स्वचालित गणना के लिए

किए जाने वाले परिवर्तनों को प्राथमिकता दी जाएगी और जल्द ही विकास के लिए लिया जाएगा।

viii. **आयात पर आईजीएसटी क्रेडिट के दावे को मान्य करने के लिए तंत्र का अभाव:** फॉर्म जीएसटीआर 2बी एक अपरिवर्ती मासिक विवरण है जो प्रत्येक माह की 14 तारीख को जारी किया जाता है और इसमें करदाताओं को उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण होता है। इसमें आयात और विशेष आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं पर भुगतान किया गया आईजीएसटी सम्मिलित होता है, जिसका डेटा भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसगेट) से लिया जाता है, जो अगस्त 2020 से उपलब्ध है।

जीएसटी नियमों के नियम 36(4) के अनुसार, जीएसटीआर 2बी में दर्शाई गई सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित करना अनिवार्य है। जीएसटीआर 3बी की तालिका 4(ए)(1) में उल्लिखित वस्तुओं के आयात पर पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटीआर 2बी की तालिका 03, भाग-ए, खण्ड-IV से स्वतः भर दिया जाता है।

जीएसटीआर 2बी में उपलब्ध 2023-24 के आयात आंकड़ों की तुलना दर्शाती है कि:

क. 3,41,575 मामलों में, जीएसटीआर 3बी (तालिका 4(ए)(1)) में आईजीएसटी पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, फॉर्म जीएसटीआर 2बी (तालिका 3, भाग ए, खंड IV) में उपलब्ध और पात्र के रूप में दर्शाई गई राशि के बराबर नहीं थी।

ख. 1,43,930 मामलों में, जीएसटीआर 3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटीआर 2बी में उपलब्ध पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक था।

चूंकि आयात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के लिए आईसगेट प्राथमिक डेटा स्रोत है, इसलिए आईसगेट से जीएसटीआर 2बी में स्वतः सम्मिलित न होने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट विधिक रूप से दावा योग्य नहीं है। यह विसंगति जीएसटीआर 3बी में करदाताओं द्वारा अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से रोकने के लिए अपर्याप्त सत्यापन तंत्र को उजागर करती है, जिससे

संबंधित आईजीएसटी भुगतान के बिना कर देयता समायोजन संभव हो जाता है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2025), तो जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) स्पष्ट किया कि फॉर्म जीएसटीआर-2बी, आईसगेट से प्राप्त बिल ऑफ एंट्री डेटा के आधार पर आयात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी को दर्शाता है और करदाता के लिए एक सुविधाजनक, स्वतः तैयार विवरण के रूप में कार्य करता है। हालांकि, जीएसटीआर -2बी में बिल ऑफ एंट्री का न दिखना, अपने आप में यह नहीं दर्शाता कि आईजीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि आईसगेट से डेटा प्रवाह में देरी या विसंगतियां हो सकती हैं।

ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, जीएसटी पोर्टल पर एक विशेष "बीओई प्राप्त करें" सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से करदाता सीधे आईसगेट में अनुपस्थित या लंबित बिल ऑफ एंट्री डेटा प्राप्त कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आयात से संबंधित सभी वैध इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर्म जीएसटीआर-2बी में दिखाई देते हैं। यह सुविधा सीमा शुल्क डेटा और जीएसटी क्रेडिट प्रवाह के मिलान के लिए एक प्रणाली-स्तरीय नियंत्रण के रूप में कार्य करती है।

इसमें आगे कहा गया है कि चूंकि फॉर्म जीएसटीआर-3बी एक स्व-मूल्यांकित विवरणी है, और करदाताओं को वैधानिक दस्तावेजों जैसे कि बिल ऑफ एंट्री के आधार पर आयात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी सहित पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का आकलन और घोषणा करने का विधिक अधिकार है। बाहरी प्रणालियों (आईसगेट) पर निर्भरता और डेटा तुल्यकालन की गतिशील प्रकृति को देखते हुए, कठोर प्रणाली सत्यापन के माध्यम से जीएसटीआर-3बी में स्वतः भरे गए मूल्यों की संपादन क्षमता को प्रतिबंधित करने से वैध इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार हो सकता है और अनुपालन करदाताओं को अनुचित कठिनाई हो सकती है।

उत्तर मान्य नहीं है। नियमित स्वत: भरण के अलावा 'फेच बीओई' कार्यक्षमता, आईसीगेट से सीधे वैध सीमा शुल्क अभिलेख के आधार पर जीएसटीआर-2बी

में आयात आईजीएसटी डेटा के प्रवाह को सक्षम करती है और करदाताओं के लिए इस तरह के सत्यापित प्रणाली-संचालित डेटा के अलावा किसी भी अतिरिक्त आयात इनपुट टैक्स क्रेडिट को मानवीय रूप से घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आईसीगेट सत्यापन के बिना जीएसटीआर-3बी में असीमित मैनुअल रिपोर्टिंग की अनुमति देने से लेखापरीक्षा ट्रेल कमजोर होता है और सीमा शुल्क और जीएसटी के बीच डेटा की प्रमाणिकता को नुकसान पहुंचता है।

ix. **आईटीसी -03 के समय पर दाखिल करने को सुनिश्चित करने के लिए वैधता का अभाव:** सीजीएसटी नियमों के नियम 3 (3) के अनुसार, नियमित करदाता जो कंपोजिशन लेवी योजना का विकल्प चुनते हैं या जहां करदाता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को पूरी तरह से छूट दी जाती है, उन्हें संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 60 दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी आईटीसी-03 प्रस्तुत करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 36 करदाताओं ने निर्धारित अवधि के भीतर जीएसटी आईटीसी-03 जमा नहीं किया।

इस बात का उल्लेख करते हुए (मई 2025) जीएसटीएन ने 60 दिन की समय सीमा को लागू करने के लिए प्रणाली स्तर पर सत्यापन की अनुपस्थिति (फरवरी 2026) को स्वीकार किया और कहा कि फॉर्म जीएसटी आईटीसी-03 को 60 दिनों से अधिक दायर करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर प्रणाली स्तर पर सत्यापन के विकास के लिए एक अनुरोध (आरक्यूएम 30251) उठाया गया है।

अनुशंसा 5: जीएसटीएन त्रैमासिक दाखिल करने की पात्रता को लागू करने, जीएसटीआर 9 में अतिरिक्त देयता को समाप्त करने, विलंबित विवरणी दाखिल करने पर ब्याज की स्वतः गणना करने, आईटीसी-03 का समय पर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन विकसित करे और बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा में सत्यापन की कमजोरी को दूर करे।

अनुशंसा 6: जीएसटीएन आईटीसी के उत्क्रमण के लिए, जब आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता के जीएसटीएन में संशोधन करता है, कार्यक्षमता विकसित करने में

और सभी विवरणी दाखिल करने वाले चूककर्ताओं को नोटिस जारी करने में तेजी लाए।

अनुशंसा 7: जीएसटीएन कंपोजिशन लेवी योजना के तहत करदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने में तेजी लाए।

3.6.2 कार्यान्वित क्रियात्मकताओं में कमियां

लेखापरीक्षा में विवरण मॉड्यूल से संबंधित निम्नलिखित क्रियात्मकताओं में कमियां पाई गईं क्योंकि वे अपेक्षित रूप से काम नहीं कर रहे थे:

i. **क्रमिक दाखिला करने के लिए कार्यान्वित कार्यक्षमता में कमी:** सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 (4) के अनुसार, जो 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी[35] है, किसी करदाता को वर्तमान कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि किसी भी पिछली अवधि के लिए जीएसटीआर-1 अपूर्ण रहता है। इसके अलावा, सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 59 (6) में, जो 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी[36] है, यह प्रावधान किया गया है कि किसी कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 तब तक दाखिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि पिछले कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत नहीं किया गया हो। इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 (10) के अनुसार, 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी[37], एक करदाता को एक कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उसी कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 468 मामलों में जीएसटीआर-1 को पिछले कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल किए बिना दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। 1,27,992 मामलों में यह देखा गया कि जीएसटीआर-1 को पिछले जीएसटीआर 3बी को दाखिल किए बिना दाखिल किया गया था। 9,085 मामलों में, करदाता जीएसटीआर-3बी विवरण दाखिल करने में सक्षम

[35] अधिसूचना संख्या 18/2022 दिनांक 28 सितंबर 2022।

[36] अधिसूचना संख्या 35/2021 दिनांक 24 सितंबर 2021।

[37] अधिसूचना संख्या 18/2022 दिनांक 28 सितंबर 2022।

थे, भले ही उसी कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं किया गया था, जो विवरण की अनुक्रमिक फाइलिंग को लागू करने में खामियों का संकेत देता है।

जब इस बात की ओर इशारा किया गया था (जनवरी 2025), तो जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) कहा कि जीएसटीआर-3बी दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1 दाखिल करने की कार्यक्षमता को संभावित रूप से अक्टूबर 2022 से उपलब्ध कराया गया था। दिए गए डेटासेट के प्रारंभिक विश्लेषण पर, यह पता चला कि एसएमएस मोड के माध्यम से की गई विवरण फाइलिंग के लिए अनुक्रमिक फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच अनुपस्थित है और एसएमएस फाइलिंग में यह अनुपस्थित जांच जल्द ही ठीक कर दी जाएगी। जीएसटीएन ने आगे कहा कि अनुक्रमिक सत्यापन की ऐसी कमी के लिए किसी अन्य कारण का पता लगाने के लिए डेटा का अभी भी विश्लेषण किया जा रहा है।

ii. **फॉर्म जीएसटीआर-4ए में सारांश पत्र प्रदान करने की कार्यक्षमता में कमी:** फॉर्म जीएसटीआर-4ए कम्पोजिशन लेवी योजना के तहत करदाताओं के लिए एक स्वत: भरित आवक आपूर्ति और केवल दृश्य फॉर्म है। यह उनके आपूर्तिकर्ताओं के सहेजे गए / प्रस्तुत किए गए / दायर किए गए फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-5 के आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है।

जीएसटीएन ने फॉर्म जीएसटीआर-4ए की डाउनलोड की गई एक्सेल फाइल के भीतर एक ही शीट में जीएसटीआईएन-स्तरीय सारांश उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्षमता (परिवर्तन अनुरोध 18891) लागू की। चूंकि कंपोजिशन लेवी स्कीम के तहत करदाता वार्षिक रूप से फॉर्म जीएसटीआर-4 दाखिल करते हैं और अन्य विवरणों के साथ जीएसटीआईएन स्तर पर आवक आपूर्ति की रिपोर्ट करते हैं, इसलिए यह सारांश प्रदान करने से विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।

यूएटी वातावरण में इस कार्यक्षमता का परीक्षण करते समय, लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसटीआर-4ए एक्सेल शीट डाउनलोड[38] में जीएसटीआईएन-स्तरीय

---

[38] जीएसटीआईएन 07एलएएलएबी1221ई6ज़ेडवी ।

सारांश शीट सम्मिलित नहीं थी और एक्सेल फ़ाइल में केवल व्यक्तिगत अभिलेख थे।

जब इस बात की ओर इशारा किया गया (जनवरी 2025), तो जीएसटीएन ने परिवर्तन अनुरोध (सीआर 18891) के पैरा 1.2 का हवाला दिया (फरवरी 2026), जिसमें कहा गया है कि जीएसटीआर 4 वार्षिक का जीएसटीआईएन-वार सारांश एक्सेल प्रारूप में उपलब्ध होगा। जीएसटीएन ने आगे कहा कि जीएसटीआर 4ए के कार्य नियम 7 में केवल दस्तावेज आधारित सारांश का उल्लेख है न कि जीएसटीआईएन स्तर के सारांश का।

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की, जिसमें कहा गया है कि जीएसटीआर 4 के लिए जीएसटीएन स्तर का सारांश उपलब्ध होगा, लेकिन जीएसटीआर 4ए के लिए ऐसा कोई सारांश नहीं है। परिवर्तन अनुरोध के खंड बी - "प्रस्तावित परिवर्तन का विवरण" में विशेष रूप से कहा गया है कि "जीएसटीआईएन स्तर पर एक सारांश को अंत में एक्सेल फ़ाइल की एक शीट में रखा जा सकता है"। इसके अलावा, परिवर्तन अनुरोध के अवलोकन में कहा गया है कि एक्सेल फ़ाइल में जीएसटीआईएन स्तर के सारांश को "जीएसटीआर-4 में स्वतः भरा जा सकता है", यह दर्शाता है कि सारांश को जीएसटीआर-4 ए एक्सेल फ़ाइल में जीएसटीआर-4 वार्षिक फाइलिंग में बाद में उपयोग के लिए तैयार किया जाना है। इसलिए जीएसटीएन की यह व्याख्या कि जीएसटीआईएन स्तर का सारांश केवल जीएसटीआर-4 (वार्षिक विवरण) से संबंधित है, परिवर्तन अनुरोध की संरचना और अनुक्रम के अनुरूप नहीं है। इसलिए, परिवर्तन अनुरोध में परिकल्पित कार्यक्षमता को लागू करने की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि डाउनलोड किए गए जीएसटीआर 4ए में जीएसटीआईएन स्तर सारांश शीट प्रदान करने से विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

iii. **प्रविष्टियों को स्वत भरने में विसंगतियां:** जीएसटीएन ने एक ऐसी प्रणाली लागू की है, जिसके द्वारा मासिक और त्रैमासिक विवरणी में प्राप्त आंकड़े वार्षिक विवरणी में स्वतः भरे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वचालित रूप से भरे गए मानों को संपादन योग्य नहीं बनाया गया है, जबकि अन्य मैनुअल संपादन

की अनुमति देते हैं। महत्वपूर्ण डेटा बिंदुओं की स्वतः पूर्ति की समीक्षा में विसंगतियों का पता चला है, जो नीचे प्रस्तुत किए गए हैंः

क) कंपोजिशन लेवी योजना में करदाताओं के वार्षिक विवरणी में मूल्यों की स्वतः पूर्ति में विसंगति: जीएसटीआर-4 कंपोजिशन लेवी योजना के तहत करदाताओं के लिए निर्धारित वार्षिक जीएसटी विवरणी है जबकि जीएसटी सीएमपी-08 संरचना लेवी योजना के तहत करदाताओं द्वारा दायर की जाने वाली त्रैमासिक विवरणी है।

जीएसटीएन ने एक कार्यक्षमता (सीआर 21592) लागू की है, जो त्रैमासिक सीएमपी-08 से जीएसटीआर -4 की तालिका 5 में बाहरी आपूर्ति के आंकड़ों (मुक्त आपूर्ति सहित) को स्वचालित रूप से भरने के लिए है, जो सभी चार तिमाहियों के लिए बाहरी आपूर्ति (मुक्त आपूर्ति सहित) के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

दिल्ली से संबंधित वर्ष 2023-24 के लिए 100 मामलों के एक नमूने के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 87 मामलों में, सभी चार तिमाहियों के लिए बाह्य आपूर्ति का योग जीएसटीआर - 4 की तालिका 5 में स्वतः भरे गए मूल्य से मेल नहीं खाता था।

इस ओर इशारा किए जाने पर (मार्च 2025), जीएसटीएन ने (जुलाई 2025) में उत्तर दिया कि 87 असंगत अभिलेख के नमूने की समीक्षा करने के बाद, इस मुद्दे को दोहराया नहीं जा सका और शेष अभिलेख का विस्तृत विश्लेषण अभी भी जारी था।

ख) **जीएसटीआर-9 में तालिकाओं के बीच असंगति:** जीएसटीआर-9 की तालिका 4एन, मासिक या त्रैमासिक विवरणियों में घोषित, वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त बाहरी आपूर्ति और अग्रिमों पर कुल कर देयता का प्रतिनिधित्व करती है। जीएसटीआर-9 के भाग IV में तालिका 9 मासिक विवरणी के अनुसार कर देयता और भुगतान किए गए कर का समेकित मूल्य प्रदान करती है।

जीएसटीआर 9 की तालिका 9 संपादित करने योग्य है, जिससे करदाताओं को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कर देयता को संशोधित करने और रिपोर्ट करने की अनुमति मिलती है, जबकि तालिका 4एन को भी संपादित किया जा सकता

है। प्रपत्र जीएसटीआर-9 की तालिका 9 में दर्ज 'कर देय' को तालिका 4एन में कर देयता के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि, 2021-22 से 2023-24 तक के तीन वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 38,13,129 मामलों में, तालिका 4एन कर देयता तालिका 9 (स्तंभ 2) के साथ मेल नहीं खाती थी।

जब इस बात की ओर इशारा किया गया (जनवरी 2025) तो जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) सूचित किया कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 से जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन से कर दायित्व को स्वतः भरने का प्रस्ताव किया है। हालांकि, ब्याज और विलंब शुल्क जीएसटीआर 3बी से स्वतः भरे जाएंगे क्योंकि वे जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन में सम्मिलित नहीं हैं।

ग) जीएसटीआर 9 की तालिका 14 में स्वतः भरे गए मूल्यों में विसंगति: जीएसटीआर-9 के भाग 5 में तालिका 10 और 11 में पिछले वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से ही रिपोर्ट की गई आपूर्ति में किए गए परिवर्धन या संशोधनों का विवरण है, जैसा कि अगले वर्ष के 30 नवंबर तक दाखिल किए गए फॉर्म जीएसटीआर-1 की तालिका 9ए और 9सी में घोषित किया गया है। इन संशोधनों से तैयार अंतर कर दायित्व जीएसटीआर 9 की तालिका 14 में परिलक्षित होता है, जो तालिका 10 और 11 में रिपोर्ट की गई जानकारी के आधार पर देय कर की गणना करता है।

जीएसटीएन ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यापन (सीआर 23750) लागू किया कि तालिका 14 में देय कर तालिका 10 और तालिका 11 से प्राप्त शुद्ध देयता से मेल खाता है। यूएटी वातावरण में इस कार्यक्षमता की समीक्षा से पता चला है कि तालिका 14 स्वतः भरी हुई थी और गैर-संपादन योग्य क्षेत्र थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक के तीन वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 24,377 मामलों में, तालिका 14 में देय कर तालिका 10 और 11 में गणना की गई शुद्ध देयता से मेल नहीं खाता था।

जब इस बात की ओर इशारा किया गया (जनवरी 2025), तो जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) कहा कि आंकड़ों के विश्लेषण पर यह देखा गया कि तालिका 14 में स्वतः भरे गए मूल्यों और जीएसटीआर 9 की तालिका 10 और 11 में

उन मूल्यों के बीच अंतर मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि तालिका 10 और 11 दोनों में संपादन योग्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा, तालिका 14 में दो कॉलम 'देय' और 'प्रदत्त' हैं जिनमें से 'प्रदत्त' कॉलम भी करदाताओं द्वारा संपादित किया जा सकता है। इस प्रकार, जहां भी करदाता मैन्युअल रूप से मूल्य दर्ज करते हैं, इसका परिणाम जीएसटीआर 9 में इस तरह के अंतर में होता है। जीएसटीएन ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 से जीएसटीआर 9 में एक नया कॉलम जोड़ा गया है ताकि तालिका 14 में देय कर और भुगतान किए गए कर के बीच अंतर की स्वतः गणना की जा सके।

जीएसटीएन का उत्तर असंगत है। करदाताओं द्वारा संपादित किए जा सकने वाले कर भुगतान किए गए मूल्यों पर विचार किए बिना भी, मुद्दा यह है कि तालिका 14 में देय कर की प्रणाली द्वारा गणना किए गए मूल्य को तालिका 10 और तालिका 11 से प्राप्त शुद्ध देयता से मिलान करने के लिए लागू की गई कार्यक्षमता ठीक से काम नहीं कर रही है जैसा कि डेटा विश्लेषण द्वारा पुष्टि की गई है। इसलिए, तालिका 14 के 'कर देय' स्तंभ की स्वतः भरण में विसंगति को संबोधित करने और हल करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा 8: जीएसटीएन क्रमिक विवरणी दाखिल करने की कार्यक्षमता में विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया में तेजी लाए।

अनुशंसा 9: जीएसटीएन, जीएसटीआर 4ए में सारांश पत्रक उपलब्ध कराने पर विचार करे ताकि करदाताओं को कंपोजिशन लेवी योजना के तहत सुविधा प्रदान की जा सके।

अनुशंसा 10: जीएसटीएन विवरणी में स्वतः भरे गए मूल्यों में असंगतियों और विसंगतियों को ठीक करे क्योंकि यह विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के अनुपालन और सरलीकरण को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है।

3.7 आईजीएसटी निपटान

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) जीएसटी के उन घटकों में से एक है, जो कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के अंतरराज्यीय लेनदेन के कराधान से संबंधित है, जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी निपटान जीएसटी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें

अंतर-राज्यीय लेनदेन से उत्पन्न होने वाला राजस्व का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वितरण सम्मिलित है। निपटान प्रक्रिया का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का उचित और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। जीएसटी परिषद, जो जीएसटी से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, आईजीएसटी निपटान प्रक्रिया की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एकत्र किए गए आईजीएसटी को केंद्र के साथ एक सामान्य पूल में जमा किया जाता है। सामान्य कारोबार के दौरान, जब अंतिम व्यापार से उपभोक्ता (बी2सी) लेन-देन होता है, तो बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) लेन-देन की परतों के बाद, आईजीएसटी स्वचालित रूप से केंद्र (आईजीएसटी के सीजीएसटी हिस्से के साथ) और संबंधित राज्यों (आईजीएसटी के एसजीएसटी हिस्से के साथ) के बीच वितरित किया जाता है, जहां वस्तुओं और सेवाओं का अंततः अंतिम खपत होने पर उपभोग किया जाता है।

कर देनदारियों को पूरा करने के लिए व्यवसायों द्वारा एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच क्रेडिट के क्रॉस उपयोग के कारण और इनपुट टैक्स क्रेडिट श्रृंखला के टूटने के कारण आईजीएसटी सामान्य पूल में शेष राशि को आवंटित करने के लिए एक अलग आईजीएसटी निपटान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, अर्थात जब मूल्य श्रृंखला में कुछ व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होते हैं या करदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं करते हैं या अपंजीकृत व्यक्ति व्यवसाय मूल्य श्रृंखला में सम्मिलित होते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और अन्य स्थितियां जहां आपूर्ति का स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 और 17 में केंद्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी के संग्रह, वितरण और आवंटन का प्रावधान है। जीएसटीएन केंद्र और राज्य के बीच आईजीएसटी राशि के निपटान के लिए कलन विधि तैयार करने और अधिकारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इस कलन विधि को अंतर-राज्यीय व्यापार से संबंधित सभी घटकों से एकत्र किए गए राजस्व के अनुपात को सम्मिलित करने के लिए

डिज़ाइन किया गया है, अर्थात, अंतर-राज्यीय व्यापार पर लगाए गए कर, ब्याज और जुर्माना।

जीएसटी निधियों का निपटान नियम, 2017 (जीएसटीएसएफ नियम) में यह प्रावधान किया गया है कि जीएसटीएन उस महीने की 25 तारीख तक निपटान रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकारियों को भेजेगा जिसमें जीएसटी विवरणी दाखिल की जाती है। केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच किए जाने वाले आवंटन से संबंधित विवरणी जीएसटीएन द्वारा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रपत्र जीएसटी एसटीएल 1.01 से जीएसटी एसटीएल 1.12 में प्राधिकारियों को भेजे जाते है। इन रिपोर्टों में संघ और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच राशि (भुगतान योग्य/प्राप्त करने योग्य) के निपटान/वितरण को दर्शाया जाता है।

तदनुसार, जीएसटीएन ने विवरणी मॉड्यूल के लिए प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) - निपटान रिपोर्ट (संस्करण 6.00) तैयार किया (जुलाई 2017) जिसमें निपटान रिपोर्ट बनाने और प्रदर्शित करने के लिए क्रियात्मकताओं की परिकल्पना की गई है। एसआरएस में सभी प्रासंगिक जीएसटी विवरणियां और अन्य मॉड्यूल जैसे निर्धारण, अपील, प्रतिदाय, वांछित निपटान रिपोर्ट तैयार करने के लिए सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, विवरणी मॉड्यूल के अलावा अन्य के लिए एसआरएस - निपटान रिपोर्ट चरण-II (संस्करण 2.00) विभिन्न परिदृश्यों में भुगतान किए गए आईजीएसटी के निपटान के लिए (मार्च 2018) तैयार किया गया था, जो विवरणी मॉड्यूल से संबंधित एसआरएस के तहत सम्मिलित नहीं हैं।

आईजीएसटी निपटान की प्रकृति और सीमा पर एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए, जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, अप्रैल 2025 और जनवरी 2026 के बीच ₹9,01,557 करोड़ का ओजीएसटी निपटान किया गया था, जिसमें से 97 प्रतिशत (लगभग) राज्यों द्वारा निर्विवाद थे।

लेखापरीक्षा ने एसआरएस चरण-II (संस्करण 2.00) में परिलक्षित विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर निपटान रिपोर्टों और डेटा आउटपुट का विश्लेषण किया और विभिन्न निपटान रिपोर्टों से संबंधित पांच कमियों का निरीक्षण किया, जो तैयार नहीं की गई थीं और उन मामलों में आईजीएसटी के आवंटन में विसंगतियों का निरीक्षण किया, जहां निपटान रिपोर्टें बनाई गई थीं।

3.7.1 कुछ आईजीएसटी निपटान रिपोर्ट तैयार न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 आईजीएसटी निपटान रिपोर्टों में से, जीएसटीएन केवल 14[39] रिपोर्ट तैयार कर रहा था और 17 रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही थीं। इन 17 रिपोर्टों का विवरण, जीएसटीएन की प्रतिक्रियाएं और लेखापरीक्षा की टिप्पणियां नीचे तालिका 3.7 में संक्षेप में दी गई हैं:

तालिका 3.7: तैयार नहीं की जा रही निपटान रिपोर्ट का विवरण

क्रम सं.	निपटान रिपोर्ट (जीएसटी एसटीएल संख्या)	जीएसटी एसटीएल फॉर्म का संक्षिप्त उद्देश्य	जीएसटीएन का उत्तर और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	01.07	वह आईजीएसटी जो व्यापार-से-व्यापार आपूर्ति पर एकत्र किया जाता है, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्दिष्ट अवधि तक उपयोग नहीं किया जाता है का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी हिस्सा।	जीएसटीएन ने कहा कि जीएसटी एसटीएल 1.07 रिपोर्ट में जानकारी धारा 16 (4) के तहत सीमा के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की अयोग्यता से संबंधित है। यह राशि अगस्त, 2022 के बाद परिपत्र संख्या 170/02/2022-जीएसटी दिनांक 6 जुलाई 2022 के संदर्भ में जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 (डी) (२) में घोषित की गई समान जानकारी के आधार पर तय की जा रही है। हालांकि जीएसटीएन द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन जीएसटी निधि निपटान नियम को अपडेट नहीं किया गया है ताकि वह निपटान के लिए संशोधित प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करे। जीएसटीएन ने आगे कहा (फरवरी 2026) कि नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

[39] जीएसटी एसटीएल 01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.05; 01.06; 01.08; 01.09; 01.12; 02.01; 02.02; 03.02; 07.01 और 07.02

क्रम सं.	निपटान रिपोर्ट (जीएसटी एसटीएल संख्या)	जीएसटी एसटीएल फॉर्म का संक्षिप्त उद्देश्य	जीएसटीएन का उत्तर और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2	01.10	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आयातित वस्तुओं/सेवाओं पर एकत्र किए गए आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी हिस्सा (कंपोजिशन के अलावा) जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट को अयोग्य घोषित किया गया है।	जीएसटीएन ने कहा कि जीएसटी एसटीएल 1.10 में दी गई जानकारी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए आयात के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है, जिसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) के प्रावधानों के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। यह जानकारी अब परिपत्र संख्या 170/02/2022-जीएसटी दिनांक 6 जुलाई 2022 के आधार पर अगस्त, 2022 के बाद के जीएसटीआर-3बी की तालिका 4बी (1) में घोषित की जा रही है। हालांकि जीएसटीएन द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन जीएसटी निधि निपटान नियम को अपडेट नहीं किया गया है ताकि वह निपटान के लिए संशोधित प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करे। जीएसटीएन ने आगे कहा (फरवरी 2026) कि नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।
3	01.11	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आयातित वस्तुओं पर एकत्र किए गए आईजीएसटी का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी हिस्सा, जहां इनपुट टैक्स	जीएसटीएन ने कहा कि जीएसटी एसटीएल 1.11 रिपोर्ट में जानकारी धारा 16 (4) के तहत सीमा के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की अयोग्यता से संबंधित है। इस राशि का निपटान अगस्त, 2022 के बाद किया जा रहा है, जो कि परिपत्र संख्या 170/02/2022-जीएसटी दिनांक 6 जुलाई 2022[40] के संदर्भ में

[40] जीएसटी परिषद के जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 को लागू न करने के निर्णय के मद्देनज़र, विभिन्न निपटान रिपोर्टों (01.07, 01.10 और 01.11) में परिकल्पित योजना को लागू नहीं किया जा सका तथा आवश्यक निपटानों को समग्र स्तर पर करने के लिए जीएसटीआर-3बी में सारांश विवरण को अपनाया गया। अंतर्वर्ती आपूर्तियों से संबंधित विस्तृत विवरण तथा जीएसटीआर-3 में परिकल्पित स्वचालित विवरणी को अंततः 2022 में समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात, जीएसटीआर-3बी के रूप में सारांश विवरणी को अंतिम विवरणी के रूप में अपनाया गया और विस्तृत परिपत्र संख्या 170/02/2022-जीएसटी दिनांक 6 जुलाई 2022 जारी कर संपूर्ण निपटान प्रक्रिया को उसी के अनुरूप बनाया गया। पूर्व अवधियों के सभी अपात्र आईटीसी को भी जीएसटीआर-3बी की तालिका 4बी में घोषित किया गया तथा उसी के अनुसार निपटान किया गया।

क्रम सं.	निपटान रिपोर्ट (जीएसटी एसटीएल संख्या)	जीएसटी एसटीएल फॉर्म का संक्षिप्त उद्देश्य	जीएसटीएन का उत्तर और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
		क्रेडिट का निर्दिष्ट अवधि तक उपयोग नहीं किया जाता है।	जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 (डी) (२) में घोषित जानकारी के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि जीएसटीएन द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन जीएसटी निधि निपटान नियम को अपडेट नहीं किया गया है ताकि वह निपटान के लिए संशोधित प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करे। जीएसटीएन ने आगे कहा (फरवरी 2026) कि नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।
4	03.01	मासिक राज्यवार समेकित विवरण जिसमें एकीकृत कर के रूप में वसूली गई राशि, उस पर ब्याज और जुर्माना, या संचयी राशि, या अपील दायर करने के लिए जमा की गई राशि का सारांश दिया गया है।	जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2026) कि इस रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के बीच आवंटित आईजीएसटी वसूली की मासिक समेकित राशि को सम्मिलित किया जाना है। यह जानकारी समेकित रूप से "रिपोर्ट नं. 3.02 एसटीएल 2.01" में (केंद्र के मामले में) और "रिपोर्ट नं. 3.02 एसटीएल में 1.01 " (प्रत्येक राज्य के संबंध में) उपलब्ध है।
5	04.01	मासिक राज्यवार समेकित विवरण जिसमें राज्य (राज्य कर) या केंद्र (संघ राज्य क्षेत्र कर) और केंद्र (केंद्रीय कर) को एकीकृत कर के आवंटन का सारांश दिया जाता है, जो किसी विशेष महीने में एकत्रित एकीकृत कर से संबंधित है, जिसके संबंध में आपूर्ति का स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका है या	जीएसटीएन ने कहा कि ये रिपोर्ट उन मामलों में आईजीएसटी के निपटान से संबंधित हैं जहां या तो करदाता की पहचान ज्ञात नहीं है या जहां आपूर्ति का स्थान ज्ञात नहीं है। रिपोर्ट 4.02 और 4.03 को इन दो दुर्लभ स्थितियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जहां व्यक्ति की पहचान ज्ञात न हो सके, क्योंकि नियम 87 (4) किसी भी गैर-पंजीकृत व्यक्ति के लिए कर को जमा करने के लिए एक अस्थायी पहचान संख्या जारी करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा, अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा को छोड़कर प्रत्येक भुगतान को पीओएस-वार बनाया जाना है, जहां यह आईजीएसटी से संबंधित है।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>निपटान रिपोर्ट (जीएसटी एसटीएल संख्या)</th><th>जीएसटी एसटीएल फॉर्म का संक्षिप्त उद्देश्य</th><th>जीएसटीएन का उत्तर और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ऐसी आपूर्ति करने वाले कर योग्य व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकी है।</td><td rowspan="3">इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (2) के पहले और दूसरे प्रावधान को लागू किया गया था। इस प्रावधान के अनुसार, सभी राज्यों को कराधीन आपूर्ति के मूल्य के आधार पर या पिछले वित्त वर्ष में प्रत्येक राज्य में संग्रह के अनुपात के आधार पर आनुपातिक आधार पर निपटान किया जाएगा। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि रिपोर्ट 4.02 और 4.03, यदि कोई हो, में राशि केवल एक तदर्थ आधार पर तय की जानी थी और प्रकृति से वे कभी भी सटीक नहीं हो सकते थे।

जीएसटीएन ने आगे कहा कि आईजीएसटी खातों में अब तक तदर्थ आधार पर निपटान की गई राशि में उपरोक्त दो खातों पर भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि अनिवार्य रिपोर्ट को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से आवश्यक अनुमोदन की आवश्यकता है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>04.02</td><td>उन पंजीकृत व्यक्तियों की सूची, जिनसे एकीकृत कर एकत्र किया गया है, जिनके संबंध में कर योग्य व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति का स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका है और इसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (2) के पहले प्रावधान के तहत प्रदान किया जाना है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>04.03</td><td>एकत्र किए गए एकीकृत कर का विवरण जिसके संबंध में ऐसी आपूर्ति करने वाला कर योग्य व्यक्ति पहचान योग्य नहीं है और इसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (2) के दूसरे प्रावधान के अनुसार आवंटित किया जाना है। यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में प्रस्तुत की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट के रूप में परिकल्पित किया गया था।</td></tr>
</table>

क्रम सं.	**निपटान रिपोर्ट (जीएसटी एसटीएल संख्या)**	**जीएसटी एसटीएल फॉर्म का संक्षिप्त उद्देश्य**	**जीएसटीएन का उत्तर और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ**
8	05.01	मासिक राज्यवार समेकित विवरण जिसमें करदाता द्वारा भुगतान किए गए एकीकृत कर को अनुपातिक रूप से विभाजित किया गया था लेकिन बाद में उस व्यक्ति को वापस कर दिया गया था का सारांश दिया जाता है।	जीएसटीएन ने कहा कि एसटीएल 5.01 से 5.09 तक की निपटान रिपोर्टों की यह श्रृंखला निपटान में कमी से संबंधित है, जो मुख्य रूप से आपूर्तिकर्ताओं (बी2बी और बी2सी दोनों) द्वारा जारी किए गए क्रेडिट नोटों, बेमेलता, अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (पहले से ही आवंटित) के कारण है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी किए गए क्रेडिट नोटों (जीएसटीआर-1 में) के कारण कटौती का ध्यान पहले से ही जीएसटीआर-3बी में रिपोर्टिंग/निवल मूल्यों को भरने के द्वारा रखा जाता है और इसलिए केवल समायोजित राशि ही निपटान के लिए शेष रहती है और इस प्रकार क्रेडिट नोटों के कारण निपटान को और कम करने की आवश्यकता नहीं थी। यह निपटान डिजाइन विस्तृत जीएसटीआर-1, 2, 3 आर्किटेक्चर के मद्देनजर निपटान नियमों में रखा गया था। जीएसटीएन ने आगे कहा कि टीडीएस कटौती करने वाले प्राप्तकर्ताओं और गैर-निवासी कर योग्य व्यक्तियों को की गई आपूर्ति के मामलों के लिए निपटान, जो बाद में क्रेडिट नोट्स/बीजक मूल्यों के डाउनवर्ड संशोधन द्वारा कम कर दिए जाते हैं, का निपटान निपटान फॉर्म एसटीएल 01.05 के माध्यम से किया जाता है। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जीएसटीआर 3बी में शुद्ध मूल्य की रिपोर्टिंग और अन्य निपटान रूपों के तहत कवरेज में रिवर्स निपटान की सभी स्थितियों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। (क) उन करदाताओं के लिए आईजीएसटी राशि का प्रति निपटान नहीं किया जा रहा है, जिन्होंने
9	05.02	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा क्रेडिट नोट जारी करना, जहां आपूर्ति सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17, एसजीएसटी अधिनियम और यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 21 के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र नहीं है।	
10	05.03	कम्पोजीशन लेवी स्कीम के तहत कर योग्य व्यक्ति को क्रेडिट नोट जारी करने के कारण कमी।	
11	05.04	गैर-पंजीकृत व्यक्तियों को क्रेडिट नोट जारी करने के कारण कमी।	
12	05.05	अपील दायर करने के लिए जमा राशि के साथ ब्याज की वापसी के कारण कटौती।	

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>निपटान रिपोर्ट (जीएसटी एसटीएल संख्या)</th><th>जीएसटी एसटीएल फॉर्म का संक्षिप्त उद्देश्य</th><th>जीएसटीएन का उत्तर और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ</th></tr>
<tr><td>13</td><td>05.06</td><td>इनपुट टैक्स क्रेडिट /क्रेडिट नोट के असंगति के कारण पहले आवंटित ब्याज के कारण कमी, लेकिन अब वापस ले ली गई।</td><td rowspan="4">सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 18 (1) (क) से 18 (1) (घ) के तहत आईटीसी -01 (विशेष परिस्थितियों में स्टॉक में रखे गए इनपुट के लिए) दाखिल किया था, क्योंकि जीएसटी एसटीएल 05.07 तैयार नहीं किया जा रहा है।

जीएसटीएन ने कहा कि धारा 18 (1) (क) से (घ) के तहत आईटीसी -01 फॉर्म में घोषित आईजीएसटी का निपटारा वर्तमान में नहीं किया जा रहा है और एक कार्यक्षमता विकसित की जाएगी।

ख) अपील आदेश के कारण आईजीएसटी (पहले से आवंटित) और उस पर देय ब्याज (यदि कोई हो) के विरूद्ध उत्पन्न आईजीएसटी प्रतिदाय जीएसटी एसटीएल-05.08 तैयार न होने के कारण प्रति निपटान नहीं हो रहा है।

जीएसटीएन ने कहा कि ऐसे मामलों में रिवर्स निपटान का प्रावधान करने के लिए तकनीकी टीम को एक परिवर्तन अनुरोध दिया गया है और इसे कार्यान्वित किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>05.07</td><td>अंतर-राज्यीय आवक आपूर्ति के कारण आवंटित राशि जिसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपात्र घोषित किया गया था, लेकिन अब वह पात्र हो जाती है।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>05.08</td><td>बकाया राशि की वसूली के कारण प्रभाजित राशि और बाद में अपील आदेश के कारण ब्याज के साथ वापस कर दी गई।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>05.09</td><td>(क) विवरणियों में संशोधन, या (ख) निर्दिष्ट श्रेणियों में प्रतिदाय को जारी करना (ग) पहले से आवंटित राशि का कोई अन्य कारण।</td></tr>
<tr><td>17</td><td>06.01</td><td>केंद्र (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्र (संघ राज्य क्षेत्र कर) के बीच किसी कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या प्रतिपूर्ति से किसी अन्य राशि की</td><td>जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) में कहा कि यह (क) केंद्र और संबंधित राज्य/राज्यों को प्रतिदाय से वसूली और निपटान की गई आईजीएसटी से संबंधित रिपोर्टों का समेकन है, करदाता-वार और दीर्घ और लघु शीर्ष-वार, और (ख) नकद खातों के भीतर अंतर-प्रमुख हस्तांतरण, फिर से करदाता-वार और दीर्घ और लघु शीर्ष-वार से संबंधित प्रतिवेदनों का संकलन है। उपरोक्त (क)</td></tr>
</table>

क्रम सं.	निपटान रिपोर्ट (जीएसटी एसटीएल संख्या)	जीएसटी एसटीएल फॉर्म का संक्षिप्त उद्देश्य	जीएसटीएन का उत्तर और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
		वसूली के कारण निपटान की रिपोर्ट।	में रिपोर्ट एसटीएल 6.02 (करदाता-वार) और 6.02ए (दीर्घ और लघु शीर्ष-वार) के रूप में तैयार और प्रेषित की जाती हैं जबकि (ख) में रिपोर्ट एसटीएल 6.03 (करदाता-वार) और 6.03ए (दीर्घ और लघु शीर्ष-वार) के रूप में तैयार और प्रेषित की जाती हैं।

3.7.2 तैयार की जा रही रिपोर्टों में आईजीएसटी निपटान में विसंगतियां

तैयार की जा रही 14 निपटान रिपोर्टों की समीक्षा में आईजीएसटी निपटान और कुछ निपटान रिपोर्टों में आवंटन में विसंगतियों को दर्शाया गया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया हैः

i. **अपंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति पर एकत्र किए गए आईजीएसटी के निपटान में विसंगतियां:** अपंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति पर एकत्र किए गए आईजीएसटी के निपटान से संबंधित डेटा आउटपुट की समीक्षा रिपोर्ट नं. जीएसटी एसटीएल 01.04 में अपंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति पर एकत्र किए गए आईजीएसटी के निपटान से संबंधित, 81 मामलों में प्राप्त और व्यवस्थित आईजीएसटी के बीच विसंगतियों का खुलासा किया गया। 81 मामलों में से 50 में कम आईजीएसटी का निपटारा किया गया, जबकि शेष 31 मामलों में आईजीएसटी का निपटारा प्राप्त आईजीएसटी के मुकाबले अधिक था और इसे आवंटित किया जाना था।

इस ओर इंगित किए जाने पर (मई 2025), जीएसटीएन ने (जुलाई 2025) स्रोत डेटा बिंदु की मांग की जिसके साथ निपटान मूल्यों की तुलना की गई। यह स्पष्ट किया गया कि समझौता की तुलना के लिए उपयोग किया जाने वाला आधार गैर-पंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति के लिए जीएसटीआर 3बी-आईजीएसटी की तालिका 3.2 के कॉलम 4 था। हालांकि, अभ्युक्ति पर जीएसटीएन की टिप्पणियों का इंतजार है (मार्च 2026)।

ii. **अपराधों के प्रशमन के लिए वसूले गए आईजीएसटी का निपटान न करना :** निपटान रिपोर्टों के प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश के अनुसार, एक निपटान फॉर्म (जीएसटी एसटीएल 03.02) है जिसमें आयुक्तों[41] द्वारा फॉर्म जीएसटी सीपीडी -02 के माध्यम से अपराधों के प्रति एकत्र किए गए आईजीएसटी के निपटान की परिकल्पना की गई है। आईजीएसटी की राशि का निपटारा केंद्र और करदाता के पंजीकरण के राज्य के बीच किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीपीडी-02 में सूचना की अनुपलब्धता के कारण जीएसटी एसटीएल 03.02 के तहत अपराधों के प्रशमन का आईजीएसटी का निपटान नहीं हो रहा है।

जब इस बात की ओर इशारा किया गया (मई 2025) तो जीएसटीएन ने स्वीकार किया (जुलाई 2025) कि फॉर्म जीएसटी सीपीडी -02 में अपराधों के प्रशमन पर किसी भी आईजीएसटी भुगतान के लिए आपूर्ति के स्थान की जानकारी नहीं है और यह कि इस मामले को विधि समिति को भेजा जा रहा है ताकि निपटान की सुविधा के लिए किसी भी संशोधन पर विचार किया जा सके।

अनुशंसा 11: जीएसटीएन संशोधित निपटान प्रक्रिया के साथ नियमों की असंगति के मुद्दे और अपराधों के शमन के बदले एकत्रित आईजीएसटी का समायोजन न करने के मामले का समाधान करे।

अनुशंसा 12: जीएसटीएन उन करदाताओं के लिए आईजीएसटी के प्रति निपटान की प्रक्रिया शुरू करे जो आईटीसी -01 फाइल करते हैं और अपील आदेशों पर आईजीएसटी प्रतिदाय देते हैं।

3.8 आईटी शासन और आईटी सुरक्षा

आईटी शासन एक समग्र ढांचा है जो किसी संगठन में आईटी संचालन का मार्गदर्शन करता है। यह उद्यम शासन का एक अभिन्न अंग है और इसमें संगठनात्मक नेतृत्व, संस्थागत संरचनाएं और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईटी प्रणाली संगठनात्मक लक्ष्यों और

---

[41] सीजीएसटी नियमों के नियम 162(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

रणनीति को बनाए रखते हुए जोखिमों, अनुपालन और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को संतुलित करती है।

आईटी शासन नियंत्रण वातावरण को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और प्रबंधन की निगरानी और समीक्षा के लिए कार्यात्मक स्तरों पर सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रथाओं और रिपोर्टिंग की स्थापना के लिए नींव रखता है। आईटी शासन के प्रमुख तत्वों में संगठनात्मक संरचनाओं का निर्माण और मानकों, नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना सम्मिलित है।

सूचना सुरक्षा किसी प्रणाली की सूचना और प्रणाली संसाधनों की गोपनीयता और अखंडता के संबंध में सुरक्षा करने की क्षमता है। सरकारी संस्थानों के लिए सूचना सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि सार्वजनिक और निजी नेटवर्क का आपस में जुड़ना और सूचना संसाधनों को साझा करना पहुंच को नियंत्रित करने और डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को संरक्षित करने की जटिलता को बढ़ाता है। इसलिए, सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा के प्रमुख तत्वों में सूचना सुरक्षा वातावरण का विकास और कार्यान्वयन, सुरक्षा नीति का विकास, सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा का संगठन, परिसंपत्ति प्रबंधन, अभिगम नियंत्रण, घटना प्रबंधन और अनुपालन, सुरक्षा लेखापरीक्षा और उपयोगकर्ता जागरूकता का निर्माण और बढ़ावा सम्मिलित हैं।

जीएसटीएन के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और इन्फोसिस की संबंधित साइबर सुरक्षा टीम जीएसटीएन और डेटा सेंटर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इन्फोसिस जीएसटी प्रणाली के विकास, संवर्धन और संचालन के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीएन काफी हद तक लागू सूचना प्रोद्योगिकी ढांचे, अवसंरचना के निर्माण और सेवा स्तर समझौतों के अनुसार प्रदर्शन की निगरानी की आवश्यकताओं के अनुरूप था। हालांकि, इन क्षेत्रों में कुछ अंतराल थे, जिनमें सूचना प्रोद्योगिकी ढांचे के आंशिक अनुपालन, पोर्टल क्षमता बढ़ाने और अधिक लचीले डेटा केंद्रों पर जाने के संदर्भ में अवसंरचना की योजना में अंतराल सम्मिलित थे।

3.8.1 सूचना प्रोद्यौगिकी ढांचे के अनुपालन में त्रुटियाँ

सरकारी सूचना प्रोद्यौगिकी ढांचे, वेबसाइट और एप्लिकेशन मानकों के अनुपालन में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित खामियां पाई गई हैं:

i. **एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों का आंशिक अनुपालन:** एमईआईटीवाई/ सीईआरटी-इन व्यापक जांच सूची में सम्मिलित 71 नियंत्रणों में से डेटा संरक्षण और गोपनीयता से संबंधित डेटा संरक्षण और गोपनीयता अधिनियम, 2023 से संबंधित तीन नियंत्रणों को पूरी तरह से हासिल नहीं किया गया है। मार्च 2024 में जीएसटीएन प्रणाली सुरक्षा समीक्षा के दौरान इस बात पर ध्यान देने के बावजूद, जीएसटीएन ने एमईआईटीवाई/सीईआरटी-आईएन दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन को प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बनाई है।

इस ओर इंगित किए जाने पर (जनवरी 2025) जीएसटीएन ने (फरवरी 2026) कहा कि उसने सीएसए चेकलिस्ट को 282 अंकों पर संशोधित किया है। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के दौरान 282 अंकों की चेकलिस्ट और 40 अंकों की मूल्यांकन शीट के आधार पर केपीएमजी (एमईआईटीवाई/ एनआईसी द्वारा नियुक्त) द्वारा एक विस्तृत लेखापरीक्षा की गई थी और सीएसए लेखापरीक्षा का अंतिम स्कोर "0" था, जो कि सबसे अधिक अनुपालन स्कोर है।

ii. **भारतीय सरकार की वेबसाइटों और ऐप्स (जीआईजीडबल्यू) मानकों/लेखापरीक्षा मानकों का आंशिक अनुपालन:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीएन भारतीय सरकार की वेबसाइटों और ऐप्स (जीआईजीडबल्यू) मानकों/लेखापरीक्षा के साथ पूर्णतः अनुपालन में नहीं है। जीएसटीएन द्वारा अनुरक्षित कुछ वेबसाइटों के वेबपृष्ठ नीचे दिए गए अनुसार उचित जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।

क. वेबसाइट उपलब्ध नहीं होना: जीआईजीडबल्यू 3.0 दिशानिर्देशों के पैरा 5.4.7 के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए कि किसी वेबसाइट के किसी भी वेबपृष्ठ पर 'पेज नॉट फाउंड' त्रुटि न आए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पोर्टल[42] पर राज्यों और सीबीआईसी की वेबसाइटों के लिंक उपलब्ध थे, परंतु त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिंक पर क्लिक करने पर कोई वेबसाइट नहीं मिली।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अप्रैल 2025), जीएसटीएन ने (जुलाई 2025) बताया कि जीएसटी सामान्य पोर्टल केवल राज्यों/सीबीआईसी की वेबसाइटों के लिए एक प्लेसहोल्डर है और इन वेबसाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं की है।

यद्यपि लेखापरीक्षा इस बात से सहमत है कि अपनी-अपनी वेबसाइटों के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं की है, फिर भी जीएसटीएन की वेबसाइट को उपयोगकर्ताओं को निष्क्रिय या गलत पृष्ठों पर भेजने के बजाय सक्रिय वेबसाइटों के लिंक प्रदान करने चाहिए।

ख. लिंक किए गए वेबपृष्ठों में सिस्टम त्रुटि दिखाई देना: *https://selfservice.gst.system.in/Default.aspx* में एक 'सूचना' खंड प्रदर्शित था और 21.02.2024 तथा 28.02.2024 दिनांकित दो मामलों में यादृच्छिक रूप से क्लिक करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लिंक किए गए वेबपृष्ठों में सिस्टम त्रुटि दिखाई दे रही थी। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अप्रैल 2025), जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2025) कि टूटे हुए लिंक की समस्या की जाँच की जाएगी और उसे तदनुसार ठीक किया जाएगा।

ग. वेबपृष्ठ पर जानकारी अद्यतन नहीं की गई: जीएसटीएन के पोर्टल के वेबपृष्ठ *https://www.gstn.org.in/post-press-release* पर जीएसटी से संबंधित विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों की जानकारी उपलब्ध है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रेस विज्ञप्तियों की जानकारी दिसंबर 2020 से अद्यतन नहीं की गई थी।

जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2026) कि इन सभी मुद्दों की सूचना वित्त वर्ष 2024 में राजस्व विभाग को दे दी गई थी और इन्हें जीएसटी 2.0 आरएफ़पी कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में संबोधित किया जाएगा।

---

[42] https:/services.gst/gov.in/services/gstlaw/gstlawlist

3.8.2 अवसंरचना के उन्नयन की योजना में त्रुटियाँ

सुशासन के प्रमुख पहलुओं में से एक तकनीकी अवसंरचना पर निगरानी बनाए रखना, उन्नयन पर विचार करना तथा भविष्य की योजना बनाना सम्मिलित है। अवसंरचना के उन्नयन की योजना में त्रुटियाँ निम्नानुसार हैं:

i. **कम समवर्ती दर के कारण अधिकतम क्षमता को संभालने में कठिनाई:** जीएसटीएन स्टीयरिंग समिति समीक्षा बैठक (23 जून 2022) के दौरान, जीएसटीएन ने अवलोकन किया कि उच्च समवर्ती क्षमता, अधिक करदाता क्षमता सुनिश्चित करने तथा उन अवसंरचना घटकों को प्रतिस्थापित करने के लिए, जिनकी समर्थन अवधि समाप्त हो चुकी है, एक विस्तृत योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। यह भी रेखांकित किया गया कि हाल के समय में जीएसटी प्रणाली की अवसंरचना के कुछ घटक अपनी आवंटित 70 प्रतिशत क्षमता से अधिक उपयोग में आ चुके हैं। जीएसटीएन ने इसे एक महत्वपूर्ण विषय माना, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

जीएसटीएन ने अपनी क्षमता का उन्नयन नहीं किया था और लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 10 और 11 अप्रैल 2024 को, अर्थात मार्च 2024 के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथियों पर, जीएसटी पोर्टल बंद था और जीएसटीएन ने एक करदाता को उत्तर देते हुए बताया कि प्रणाली अपनी उच्चतम समवर्ती सीमा तक पहुँच चुकी है।

लेखापरीक्षा में पोर्टल संबंधी निम्नलिखित त्रुटियों के उदाहरण भी देखे गए, जिनमें से कुछ प्रणाली द्वारा अधिकतम भार को संभालने में विफल रहने के कारण तैयार हुईं, जिसके परिणामस्वरूप विवरणी जमा करने की तिथियों को बढ़ाना पड़ा।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अप्रैल 2025), जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2026) कि जीएसटी 2.0 आरएफ़पी कार्यान्वयन में जीएसटी पोर्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर को 5,00,000 समकालिक करदाताओं को समर्थन देने के लिए बढ़ाने पर विचार किया गया है, जो मौजूदा 3,00,000 समकालिक उपयोगकर्ताओं की क्षमता से अधिक है।

ii. **अधिक सुदृढ़ एवं लचीले डेटा केंद्र की और स्थानांतरण:** जीएसटीएन वर्तमान में आउटसोर्स्ड मॉडल में टियर-3 डेटा केंद्र (डीसी/डीआर/एनडीसी/एनडीआर) का उपयोग करता है, जिसमें बहु-स्तरीय भौतिक और पर्यावरणीय सुरक्षा नियंत्रण सम्मिलित हैं। टियर 4 डेटा केंद्र तकनीकी प्रगति के अगले स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इनमें (सभी महत्वपूर्ण अवयवों के लिए अतिरेक व्यवस्थाओं सहित) उच्चतम स्तर की अतिरेक व्यवस्था एवं दोष सहनशीलता उपलब्ध होती है, जिससे अत्यंत विश्वसनीय अवसंरचना सुनिश्चित होती है। शासन के दृष्टिकोण से, जीएसटीएन के पास वर्तमान में तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने और अधिक मजबूत टियर 4 डेटा केंद्रों की ओर बढ़ने के लिए एक दस्तावेज़ित योजना मौजूद है।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मई 2025) जीएसटीएन ने स्वीकार किया (फरवरी 2026) कि भविष्य में अधिक मजबूत डेटा केंद्र की ओर बढ़ने की योजनाओं पर विचार किया जाएगा।

iii. **डेटा एन्क्रिप्शन के लिए नवीनतम कूटलेखीय कलनविधि का उपयोग न करना:** मार्च 2024 के महीने के जीएसटी सुरक्षा समीक्षा में, जीएसटीएन ने डेटाबेस (डीबी) उपयोगकर्ताओं के लिए एक भेद्यता की पहचान की कि उन्हें 'माईएसक्यूएल_नेटिव_पासवर्ड' प्रमाणीकरण प्लगइन का उपयोग नहीं करना चाहिए। डीबी सर्वर वर्तमान में प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षित हैशिंग एल्गोरिथ्म 1 (एसएचए1) का उपयोग करते हैं, जो डेटा सुरक्षा के लिए मौलिक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन्क्रिप्शन तकनीक इनपुट डेटा को एक निश्चित आकार के हैश मान में परिवर्तित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर हैश मान में भारी बदलाव हो जाता है। उपयोग की जा रही एन्क्रिप्शन तकनीक एसएचए एन्क्रिप्शन के शुरुआती संस्करणों में से एक है। इसकी शक्ति इसकी सरलता और हैश एल्गोरिदम तैयार करने की गति में निहित है। हालांकि, इसकी सरलता में अंतर्निहित क्रिप्टोग्राफिक कमजोरियाँ हैं।

जैसे-जैसे अन्य अनुप्रयोगों में एसएचए-1 पर हमले अधिक गंभीर होते गए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी (एनआईएसटी) ने कहा था कि वह 31 दिसंबर 2030 तक अपने अंतिम शेष निर्दिष्ट प्रोटोकॉल में एसएचए-1 का उपयोग बंद कर देगा। 2022 में, एजेंसी ने अनुशंसा की थी कि सूचना प्रोद्यौगिकी पेशेवर उन सीमित परिस्थितियों में जहाँ अभी भी एसएचए-1 का उपयोग हो रहा था, उसे अधिक सुरक्षित नए एल्गोरिदम से बदल दें। उसने आगे यह भी अनुशंसा की कि सुरक्षा के लिए एसएचए-1 पर निर्भर किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द उच्च स्तरीय एन्क्रिप्शन में स्थानांतरित हो जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीएन के पास उपलब्ध उन्नत तकनीकों का उपयोग करने और एसएचए-2 (एसएचए-256) या एसएचए-3 में माइग्रेट करने की कोई दस्तावेज़ीकृत योजना नहीं थी, ताकि साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों को प्रबंधित करने की उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। आगे,

जीएसटीएन ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या हैश तकनीक के साथ साल्ट[43] फ़ंक्शन जोड़ा गया था ताकि समान इनपुट (अर्थात संदेश) का अलग आउटपुट (अर्थात डाइजेस्ट) सुनिश्चित किया जा सके।

इस बात की ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद (फरवरी 2025), जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2026) कि जीएसटी सिस्टम के सभी घटकों (डीबी सर्वर सहित) में एसएचए-2 का उत्पादन कार्यान्वयन मार्च 2025 में पूरा कर लिया गया था, जिससे जोखिम पूरी तरह समाप्त हो गया।

3.8.3 शासन विधि में अन्य त्रुटियाँ

प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी अनुबंधों के विभिन्न घटकों पर पर्यवेक्षण स्थापित करने और उसे बनाए रखने से संबंधित अन्य अंतराल, जिनका लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया, निम्नलिखित हैं:

i. **लाइसेंस प्रबंधन:** जीएसटीएन के लाइसेंस प्रबंधन प्रक्रिया दस्तावेज़ के अनुसार, लाइसेंस प्रबंधन का अर्थ प्रत्येक खरीदे गए लाइसेंस के आरंभ से अंत तक उसके सभी पहलुओं का प्रबंधन और ट्रेसबिलिटी है, और इसमें प्रमुख प्रक्रिया क्षेत्र सम्मिलित हैं, अर्थात लाइसेंस का नाम, ओईएम का नाम, खरीदे/तैनात/अतिरिक्त लाइसेंस की मात्रा और उसकी वैधता, लाइसेंस का मेट्रिक, समय-समय पर समीक्षा आदि। आगे यह निर्धारित करता है कि लाइसेंस की तैनाती व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार की जाएगी। एसेट मैनेजर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस (एसक्यूए) और एप्लिकेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट (एआईएस) टीमें लाइसेंस प्रबंधन प्रक्रिया के उपयोगकर्ता और इसके लिए जिम्मेदार होंगी।

जनवरी 2024 के जीएसटीएन मासिक गवर्नेंस समीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर, लेखापरीक्षा ने उन लाइसेंसों (समाप्ति तिथि, नवीनीकरण तिथि आदि) के विवरण से संबंधित अभिलेख मांगे, जो 31 मार्च/1 अप्रैल 2024 तक नवीनीकरण के लिए देय थे, और ये अभिलेख पूर्ण रूप से लेखापरीक्षा को

---

[43] सॉल्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हैशिंग से पहले पासवर्ड के अंत में एक विशिष्ट मान जोड़ा जाता है। हैश को सॉल्ट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एन्क्रिप्शन प्रक्रिया समान पासवर्ड होने पर भी भिन्न हैश मान उत्पन्न करती है।

उपलब्ध नहीं कराए गए। इसलिए लाइसेंस प्रबंधन की दक्षता का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा आपत्ति (मई 2025) के उत्तर में जीएसटीएन ने (जुलाई 2025) लाइसेंसों की नई समाप्ति तिथियाँ प्रदान कीं, लेकिन नवीनीकरण और प्रतिस्थापन की तिथियों के अन्य विवरण प्रदान नहीं किए।

जीएसटीएन ने आगे कहा (फरवरी 2026) कि जीएसटीएन ने सत्यापित किया है कि सभी हार्डवेयर परिसंपत्तियाँ और सॉफ्टवेयर लाइसेंस विधिवत नवीनीकृत किए गए हैं और 30 सितम्बर 2025 तक वैध हैं। तदनुसार, उक्त वैधता अवधि के भीतर जीएसटी 1.0 के लिए कोई भी हार्डवेयर परिसंपत्ति या सॉफ्टवेयर लाइसेंस नवीनीकरण या प्रतिस्थापन के लिए लंबित नहीं है।

यह उत्तर इस मुद्दे को संबोधित नहीं करता कि क्या लाइसेंस समय पर नवीनीकृत किए गए थे या लाइसेंस की समाप्ति और नवीनीकरण तिथियों के बीच की अवधि में जोखिम का एक्सपोज़र था, जिसे प्रणालीगत रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है।

ii. **उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण:** जीएसटीएन ने परिकल्पित[44] किया था कि एमएसपी प्रत्येक तिमाही में उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करेगा। सर्वेक्षण के प्रतिभागियों का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 1.5 प्रतिशत करदाताओं, 1.5 प्रतिशत जीएसटीपी और मॉडल-2 कर अधिकारियों के 5 प्रतिशत सम्मिलित होंगे। एसएलए के अनुसार, प्रतिक्रियाएँ चार श्रेणियों में होंगी: उत्कृष्ट, संतोषजनक, सुधार की आवश्यकता और असंतोषजनक। आगे यह प्रावधान था कि यदि 75 प्रतिशत का इष्टतम स्कोर, जिसमें 'उत्कृष्ट' या 'संतोषजनक' प्रतिक्रियाएँ सम्मिलित हैं, प्राप्त नहीं होता है, तो शास्ति का प्रावधान होगा।

एमएसपी को प्राप्त प्रतिक्रियाएँ (मई 2025) 'पूर्णतः सहमत', 'सहमत', 'तटस्थ', 'असहमत', 'पूर्णतः असहमत' श्रेणियों में थीं। उसने 'पूर्णतः सहमत', 'सहमत' और 'तटस्थ' प्रतिक्रियाओं को एक साथ जोड़कर 75 प्रतिशत का इष्टतम स्कोर प्राप्त कर लिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये श्रेणियाँ एसएलए में उल्लिखित नहीं थीं। आगे, 'तटस्थ' (18 प्रतिशत स्कोर के साथ) प्रतिक्रिया किसी भी

[44] मद 3.37 - एसएलए कार्यप्रणाली दस्तावेजों पर 16 अक्टूबर 2018 दिनांकित उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण का परिणाम।

प्रकार की सहमति नहीं दर्शाती है, और इसलिए यदि इसे बाहर रखा जाता, तो एमएसपी दंडात्मक क्षति के लिए उत्तरदायी हो सकता था।

जब यह इंगित किया गया (मई 2025), जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2026) कि मानकीकरण और वास्तविक भावना वितरण को पकड़ने के लिए एक अधिक परिचित और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला नामकरण, लाइकेर्ट स्केल, अपनाया गया था, अर्थात 'पूर्णतः सहमत', 'सहमत', 'तटस्थ', 'असहमत', 'पूर्णतः असहमत'। सर्वेक्षण डिजाइन में तटस्थ विकल्प को सम्मिलित करना उन उत्तरदाताओं की वास्तविक भावना को पकड़ने के लिए आवश्यक था जिनकी कोई मजबूत राय नहीं है या जो उदासीन हैं। इससे जबरन विकल्प चुनने से बचाव होता है जो पक्षपाती या ध्रुवीकृत परिणाम दे सकते हैं। लेखापरीक्षा की यह राय कि वास्तविक सीएएसटी स्केल श्रेणियाँ एसएलए में निर्दिष्ट श्रेणियों के अनुरूप होनी चाहिए, को आरएफ़पी 2.0 के संबंधित एसएलए में सम्मिलित किया जा रहा है।

iii. **जीएसटीएन के लोगो का बिना अनुमति उपयोग:** जीएसटीएन और बीजक पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) के बीच समझौते की धारा 14.6 के अनुसार, कोई भी डिज़ाइन, उत्पादन, विपणन/प्रचार सामग्री या विज्ञापन जिसमें जीएसटीएन का नाम, लोगो और/या ट्रेडमार्क सम्मिलित हो, उसे आईआरपी द्वारा बिना जीएसटीएन की पूर्व लिखित अनुमति के उपयोग/वितरित/जारी नहीं किया जाएगा।

आईआरपी पोर्टलों की परीक्षण जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एम/एस डेफमैक्रो सॉफ्टवेयर के आईआरपी होमपेज पर *clearIRP.in* नाम दर्शाया गया था और यह वेबपेज जीएसटीएन द्वारा प्रबंधित ई-बीजक वेब पोर्टल (यानि ईइनवॉयस4) पर ले जाता है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि *clearirp.in* के होमपेज पर क्लियर टैक्स और जीएसटीएन दोनों के लोगो प्रदर्शित थे। चूंकि जीएसटीएन ने समझौते के तहत clearirp.in को जीएसटीएन लोगो उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं दिया था, इसलिए लोगो का उपयोग उपरोक्त समझौते का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2025), जीएसटीएन ने कहा (फरवरी 2026) कि उसने सितंबर 2025 में 'जीएसटीएन ब्रांडिंग दिशानिर्देश

आईआरपी' जारी कीं और अक्टूबर 2025 में सभी निजी आईआरपी, जिसमें क्लियर टैक्स भी सम्मिलित है, के लिए प्रारंभिक अनुपालन मूल्यांकन किया तथा अनुपालन पालन हेतु संबंधित आईआरपी को अवलोकन साझा किए।

iv. **आईआरपी के एसएलए की निगरानी के लिए जीएसटीएन में तंत्र की अनुपस्थिति:** *https://www.gstn.org.in/IRP* में उल्लिखित "आईआरपी की निगरानी एवं समीक्षा के लिए संचालन, सेवा स्तर एवं मानदंड " के तहत, जीएसटीएन ने कुछ सेवा स्तर अनुबंध (एसएलएस) और परिचालन पैरामीटर सूचीबद्ध किए हैं जिन्हें आईआरपी द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। आगे, आईआरपी को एक लाइव डैशबोर्ड प्रदान करना होगा जो जीएसटीएन के लिए हर समय उपलब्ध हो। यह डैशबोर्ड जीएसटीएन को सभी लाइव स्वास्थ्य, परिचालन और प्रदर्शन मेट्रिक्स प्रदान करेगा, जैसे ही वे तैयार होते हैं। हालांकि, संबंधित आईआरपी वेबसाइटों पर इस प्रकार की सभी जानकारी देने वाला कोई डैशबोर्ड नहीं देखा गया।

जब इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया (अप्रैल 2025), जीएसटीएन ने बताया (फरवरी 2026) कि जीएसटीएन ने स्वयं संपूर्ण ई-बीजक पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड विकसित किया है। यह डैशबोर्ड लाइव है और आईआरपी तथा जीएसटी सिस्टम के प्रमुख परिचालन मेट्रिक्स का समग्र दृश्य प्रदान करता है।

3.9 निष्कर्ष

वर्तमान लेखापरीक्षा जीएसटीएन के सूचना प्रोद्यौगिकी सिस्टम की लेखापरीक्षा का तीसरा चरण थी, जिसे मुख्य रूप से पूर्व के दो चरणों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अनुवर्तन के रूप में किया गया था, साथ ही अप्रैल 2019 से मार्च 2023 के बीच लागू किए गए रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स मॉड्यूल में अतिरिक्त कार्यक्षमताओं का मूल्यांकन किया गया तथा आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों की समीक्षा के साथ-साथ मार्च 2025 तक की अवधि के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी गवर्नेंस और सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा तंत्र की मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की गई।

पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अनुवर्तन से पता चला कि पिछले दो चरणों के लेखापरीक्षा के 56 निष्कर्षों में से जीएसटीएन ने 38 मुद्दों का निवारण कर दिया था, एक मुद्दे का आंशिक रूप से निवारण किया गया है और तीन मामलों में निवारण की प्रक्रिया जारी है, जबकि शेष मामलों में संशोधन शुरू नहीं किया गया था, अपर्याप्त था या प्रावधानों में बदलाव के कारण आवश्यक नहीं थे।

रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स मॉड्यूल में समीक्षा की गई अतिरिक्त कार्यक्षमताओं में, लेखापरीक्षा ने सत्यापन में 39 त्रुटियाँ, कार्य नियमों के मानचित्रण में कमी और कार्यक्षमताओं के कार्यान्वयन में कमी पाई। फ्रंट एंड करदाता पंजीकरण मॉड्यूल में त्रुटियाँ अपर्याप्त और अनुचित सत्यापन और कर अधिकारियों के मॉड्यूल में पंजीकरण के अनुमोदन और निरस्तीकरण, संभावित उल्लंघनों की निगरानी हेतु अलर्ट तंत्र, तथा पंजीकरण अनुमोदन में प्रक्रिया विलंब से संबंधित त्रुटियाँ थीं। इसी प्रकार, विवरणी मॉड्यूल में लेखापरीक्षा ने कार्य नियमों के मानचित्रण में त्रुटियाँ, विवरणी दाखिल करने, करदाताओं की पात्रता सत्यापन, कर देयता के निर्वहन, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल और उचित अधिकारियों को निगरानी में सहायता हेतु प्रणालीगत अलर्ट से संबंधित कार्यक्षमताओं के कार्यान्वयन में त्रुटियाँ पाईं। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कुछ लागू की गई कार्यक्षमताएँ अपेक्षित रूप से कार्य नहीं कर रही थीं।

इसके अलावा, परिकल्पित 31 आईजीएसटी सेटलमेंट रिपोर्टों में से जीएसटीएन केवल 14 रिपोर्टें ही तैयार कर रहा था। यद्यपि कुछ निपटान प्रतिवेदनों की अब आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आईजीएसटी निपटान में कुछ कमियाँ बनी हुई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सूचना प्रोद्यौगिकी गवर्नेंस और सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा संबंधित लागू सूचना प्रोद्यौगिकी फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तथा सेवा स्तर समझौतों के प्रति प्रदर्शन की निगरानी के संदर्भ में काफी हद तक अनुपालन में थे। हालांकि, सूचना प्रोद्यौगिकी फ्रेमवर्क के अनुपालन और इंफ्रास्ट्रक्चर योजना में कुछ त्रुटियाँ थीं, विशेषकर पोर्टल क्षमता बढ़ाने और अधिक मजबूत डेटा सेंटरों की ओर स्थानांतरण के संदर्भ में।

3.10 अनुशंसाओं का सारांश

जीएसटीएन

i. फ्रंट-एंड करदाता पंजीकरण मॉड्यूल में सत्यापन संबंधी त्रुटियों के निवारण में तेजी लाए।

ii. कंपोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनने वाले पात्र करदाताओं पर लगाए गए अनुचित प्रतिबंधों के संशोधन में तेजी लाए।

iii. भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अपलोड करने की कार्यप्रणाली में कमियों, पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्य नियमों की गलत मैपिंग और बैंकिंग प्लेटफार्मों के एकीकरण में त्रुटियों को दूर करे।

iv. वह सुविधा जिससे कर अधिकारी कंपोजिशन लेवी योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने वाले करदाताओं की निगरानी कर सकें को शीघ्रातिशीघ्र सम्मिलित करे।

v. त्रैमासिक दाखिल करने की पात्रता को लागू करने, जीएसटीआर 9 में अतिरिक्त देयता को समाप्त करने, विलंबित विवरणी दाखिल करने पर ब्याज की स्वतः गणना करने, आईटीसी -03 का समय पर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन विकसित करे और बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा में सत्यापन की कमजोरी को दूर करे।

vi. आईटीसी के उत्क्रमण के लिए, जब आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता के जीएसटीएन में संशोधन करता है, कार्यक्षमता विकसित करने में और सभी विवरणी दाखिल करने वाले चूककर्ताओं को नोटिस जारी करने में तेजी लाए।

vii. कंपोजिशन लेवी योजना के तहत करदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने में तेजी लाए।

viii. क्रमिक विवरणी दाखिल करने की कार्यक्षमता में विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया में तेजी लाए।

ix. जीएसटीआर 4ए में सारांश पत्रक उपलब्ध कराने पर विचार करे ताकि करदाताओं को कंपोजिशन लेवी योजना के तहत सुविधा प्रदान की जा सके।

x. विवरणी में स्वतः भरे गए मूल्यों में असंगतियों और विसंगतियों को ठीक करे क्योंकि यह विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के अनुपालन और सरलीकरण को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है।

xi. संशोधित निपटान प्रक्रिया के साथ नियमों की असंगति के मुद्दे और अपराधों के शमन के बदले एकत्रित आईजीएसटी का समायोजन न करने के मामले का समाधान करे।

xii. उन करदाताओं के लिए आईजीएसटी के प्रति निपटान की प्रक्रिया शुरू करे जो आईटीसी-01 फाइल करते हैं और अपील आदेशों पर आईजीएसटी प्रतिदाय देते हैं।

अध्याय IV माल एवं सेवा कर के अंतर्गत कार्य संविदा और निर्माण सेवाएं

4.1 परिचय

निर्माण एक व्यापक शब्द है जिसमें वस्तुओं, प्रणालियों या संगठनों को बनाने की कला और विज्ञान सम्मिलित है। लैटिन शब्द कोन्स्ट्ट्एरे से व्युत्पन्न, जिसमें कोन का अर्थ 'एक साथ' और स्ट्एरे का अर्थ 'इकट्ठा करना' होता है, यह शब्द भवनों, अवसंरचना, और औद्योगिक सुविधाओं को अस्तित्व में लाने में सम्मिलित पूरी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर योजना, वित्तपोषण और डिज़ाइन के साथ शुरू होती है, इसके बाद वास्तविक निर्माण चरण होता है, और उपयोग के लिए परिसंपत्ति तैयार होने की स्थिति के माध्यम से जारी रहती है। इसमें मरम्मत, रखरखाव, उन्नयन, विस्तार और अंततः संरचना के भंजन या सेवा समाप्ति जैसी बाद की गतिविधियां भी सम्मिलित हैं।

भारत में, निर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह संबद्ध उद्योगों की एक श्रृंखला में निवेश के अवसर पैदा करता है। श्रम-गहन क्षेत्र होने के नाते, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पांच करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिससे यह देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। भारतीय निर्माण कौशल विकास अनुसंधान परिषद के निष्कर्ष के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत कार्यबल में अकुशल श्रमिक का है। इसके अलावा, निष्कर्ष में यह भी कहा गया है कि निर्माण उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग नौ प्रतिशत का योगदान देता है, जो इसके आर्थिक महत्व[45] को रेखांकित करता है।

[45] भारत निर्माण कौशल विकास परिषद के अनुसंधान निष्कर्ष (सितंबर 2022)।

4.1.1 पहले से लगाए गए मूल्य वर्धित कर और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत कार्य संविदा सेवाओं का कराधान

गैनन डंकरले[46] के मामले में मूल्य वर्धित कर (वैट) के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि निर्माण संविदा के मामले में, संविदा का प्रमुख उद्देश्य निर्माण कार्य का निष्पादन है, जो एक सेवा है और इसमें वस्तुओं की बिक्री शामिल नहीं है, (वस्तुओं की बिक्री अधिनियम के अनुसार)। चूंकि संविदा एक अविभाज्य संविदा है, इसे निर्माण संविदा के निष्पादन में सम्मिलित वस्तुओं की बिक्री पर वैट वसूलने के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता है। 1983 में, भारत के संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 366 (29ए) (बी)[47] जोड़ा गया, जिसने राज्य सरकारों को कार्य संविदा के निष्पादन में सम्मिलित वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण (चाहे वह वस्तुओं के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) पर कर (वैट) वसूलने में सक्षम बनाया।

सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65बी में कार्य संविदा को ऐसे संविदा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें ऐसे संविदा के निष्पादन में सम्मिलित वस्तुओं में संपत्ति का हस्तांतरण वस्तुओं की बिक्री के रूप में कर योग्य है और ऐसा अनुबंध किसी चल या अचल संपत्ति या ऐसी संपत्ति के संबंध में किसी अन्य समान गतिविधि या उसके हिस्से के निर्माण, संस्थापन, आरंभ करने, स्थापना, पूरा करने, फिटिंग करने, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण, परिवर्तन करने के उद्देश्य से है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ई के आधार पर, निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन में सम्मिलित सेवा भाग एक घोषित सेवा थी। इस प्रकार, सेवा कर केवल कार्य संविदा के सेवा भाग पर लगाया जा सकता है। वस्तुओं के मूल्य के पृथक्करण के सिद्धांत सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 2ए में दिए गए थे।

---

[46] द स्टेट ऑफ मद्रास बनाम गैनन डंकरले एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड, 1959 एससीआर 379।

[47] अनुच्छेद 366(29ए)(बी) संविधान के 46वें संशोधन द्वारा 1982 में 2 फरवरी 1983 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 366(29ए)(बी) के अनुसार वस्तुओं की बिक्री एवं खरीद पर कर में कार्य संविदा के निष्पादन में सम्मिलित वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण (वस्तु के रूप में या किसी अन्य रूप में) पर कर शामिल है।

4.1.2 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कार्य संविदा सेवाओं की कर-योग्यता

'कार्य संविदा' की अवधारणा को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 2(119) में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार, कार्य संविदा का अर्थ ऐसे किसी भी अनुबंध से है जिसमें किसी अचल संपत्ति के बनाने, निर्माण, सुसज्जा, पूर्णता, स्थापित करने, संस्थापना, फिटिंग करने, सुधार, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण, परिवर्तन या आरंभ करने से संबंधित कार्य सम्मिलित हों, बशर्ते अनुबंध के निष्पादन के दौरान माल में संपत्ति का हस्तांतरण हो, चाहे वह वस्तु के रूप में हो या किसी अन्य रूप में। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत किसी सेवा को कार्य संविदा के रूप में योग्य होने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण होना अति आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 6(ए) के अनुसार, कार्य संविदा एक समग्र आपूर्ति के अंतर्गत आता है और इसे सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा। इसी अनुसूची के प्रविष्टि संख्या 5(बी) में यह भी कहा गया है कि किसी कॉम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके भाग का निर्माण, जिसमें किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स या भवन का निर्माण भी सम्मिलित है जो किसी खरीदार को बिक्री के लिए अभिप्रेत हो, उसे सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।

इस प्रकार, कार्य संविदा वस्तुओं और सेवाओं दोनों की एक समग्र आपूर्ति है, जिसमें पक्षों के बीच अनुबंध में सेवा प्रदान करना प्रमुख होता है। सामान्य अर्थ में, कार्य संविदा चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों से संबंधित हो सकता है। जीएसटी कानून के अंतर्गत 'कार्य संविदा' की परिभाषा को केवल किसी 'अचल संपत्ति' के लिए किए गए कार्य तक सीमित कर दिया गया है, जबकि पूर्ववर्ती वैट और सेवा कर प्रावधानों में चल संपत्तियों से संबंधित कार्य संविदा भी सम्मिलित थे।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) का उद्देश्य करदाताओं और/या विभाग द्वारा अनुपालन के प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ गैर-अनुपालन के

मामलों की पहचान करना था। इस एसएससीए का उद्देश्य निम्नलिखित पहलुओं का मूल्यांकन करना था:

(i) क्या प्रशासन जो कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं में शामिल कर उद्ग्रहण और संग्रहण से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)[48] की प्राप्ति और करदाताओं द्वारा दावा किये गये छूटों से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम, नियमावली, अधिसूचनाओं और निर्धारित प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में कितना प्रभावी था; तथा

(ii) संवीक्षा की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए रेंजों (विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं) के कार्यों का मूल्यांकन करना और कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं से संबंधित विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) रिपोर्टों का आकलन और अनुपालन करना।

4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

एसएससीए के कार्यक्षेत्र में विभाग द्वारा की गई विवरण संवीक्षा की समीक्षा करना और वित्तीय वर्ष (विव) 2020-21 और 2021-22 से संबंधित अप्रैल 2020 से मार्च 2022 की अवधि हेतु सीबीआईसी द्वारा प्रशासित करदाताओं के रिकॉर्ड का सत्यापन करना सम्मिलित था। रेंज लेखापरीक्षा के लिए, 2020-21 से 2023-24 की अवधि के लिए रिकॉर्ड की जांच की जानी थी।

4.4 लेखापरीक्षा पद्धति

एसएससीए को दो अलग-अलग घटकों में संरचित किया गया था:

- भाग I में एक विस्तृत लेखापरीक्षा सम्मिलित थी, जिसे क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में डेस्क समीक्षा के माध्यम से तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के क्षेत्रीय गठन में करदाता रिकॉर्ड के ऑन-साईट सत्यापन के माध्यम से किया गया।
- भाग II में रेंज/विभागीय क्षेत्रीय गठन की लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य संबंधित रेंजों की कार्य प्रणाली और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था।

[48] आईटीसी करों के आवर्ती प्रभाव ('कर पर कर') से बचने की एक व्यवस्था है।

एसएससीए में केवल केंद्रीय रूप से (सीबीआईसी द्वारा) प्रशासित करदाताओं को ही सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक की गई। दिसंबर 2025 के अंत तक आयुक्तालयों और निम्नतर गठन से प्राप्त उत्तरों को रिपोर्ट में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है। सीबीआईसी के साथ 12 अगस्त 2024 को एक 'एंट्री कांफ्रेंस' आयोजित की गई और कांफ्रेंस के दौरान, इस एसएससीए के लेखापरीक्षा उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर चर्चा के लिए 13 फरवरी 2026 को एक 'एग्जिट कांफ्रेंस' आयोजित की गई और 12 फरवरी 2026 को प्राप्त हुए लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर मंत्रालय के उत्तर को रिपोर्ट में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

4.5 नमूना चयन

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना चयन हेतु अपनाई गई नमूना पद्धति और मूल्यांकन तंत्र नीचे वर्णित हैं:

4.5.1 नमूना पद्धति

कार्य संविदा सेवाएँ प्रदान करने वाले करदाताओं का विभाजन निम्नानुसार किया गया:

वित्तीय महत्ता: प्रारंभ में अधिकार-क्षेत्रों में विभाजित करने के बाद, कुल करदाताओं को, उनके आवर्त के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया:

- **एल1 श्रेणी**: शीर्ष एक प्रतिशत करदाता (बड़े करदाता)
- **एल2 श्रेणी**: अगले दो प्रतिशत करदाता (बड़े करदाताओं का अगला स्तर)
- **एम1 श्रेणी**: अगले तीन प्रतिशत करदाता (मध्यम स्तर के करदाता)
- **एम2 श्रेणी**: अगले चार प्रतिशत करदाता (मध्यम स्तर करदाताओं का एक अन्य खंड)
- **छोटे नकारात्मक आवर्त /छोटे सकारात्मक आवर्त:** यह अंतिम श्रेणी शेष करदाताओं को सम्मिलित करती थी। इस समूह में, सबसे अधिक छोटे नकारात्मक आवर्त वाले अधिकतम दो करदाताओं का चयन किया गया।

यदि ऐसे करदाता उपलब्ध नहीं थे, तो छोटे सकारात्मक आवर्त वाले करदाताओं को चुना गया।

इन तीन श्रेणियों अर्थात बड़े, मध्यम और छोटे में से क्रमशः 36 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 27 प्रतिशत का चयन किया गया, जो कुल मिलाकर नमूना आकार का 90 प्रतिशत था। इन्हें ***पैराग्राफ 4.5.2*** में दिए गए 12 जोखिम मानकों के आधार पर, निर्धारित जोखिम स्कोर के साथ चुना गया। शेष 10 प्रतिशत नमूना यादृच्छिक चयन पर आधारित था।

4.5.2 स्कोरिंग प्रणाली - जोखिम मापदंड

स्कोरिंग मॉडल ने विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के जोखिम-आधारित चयन को सुगम बनाया। करदाताओं के चयन के लिए उपयोग किए गए जोखिम मापदंड **तालिका 4.1** में दिए गए हैं

तालिका सं. 4.1 - जोखिम मापदंड

क्र. सं.	जोखिम का विवरण
1.	सेवा लेखा कोड (एसएसी)[49] 99541 के अंतर्गत नई निर्माण परियोजनाओं की जानकारी न देना और पूरी हो चुकी परियोजनाओं यानी जिनके लिए आरईजी-06[50] में अधिग्रहण प्रमाण-पत्र (ओसी) मिल गया है, को न हटाना।
2.	रियायती दरों[51] (यानी 1-1.5 प्रतिशत/5-7.5 प्रतिशत/12 प्रतिशत) पर चुकाए गए कर और सामान्य दरों यानी 18 प्रतिशत पर चुकाए गए कर का अनुपात।
3.	कम दरों (यानी 1-1.5 प्रतिशत/5-7.5 प्रतिशत) पर चुकाए गए कर का चुकाए गए कर-योग्य मूल्य और कुल कर-योग्य मूल्य का अनुपात, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर

[49] एसएसी एक छः-अंकीय पहचानकर्ता है जिसका उपयोग भारत में जीएसटी के अंतर्गत सेवाओं के वर्गीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (यूएनसीपीसी) के आधार पर किया जाता है, जिसे सीबीआईसी द्वारा भारतीय कर आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया गया है।

[50] आरईजी-06 एक पंजीकरण प्रमाणपत्र है, जो सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें व्यवसाय का प्रधान स्थान तथा अतिरिक्त व्यवसाय स्थान या स्थानों को दर्शाया जाता है।

[51] कार्य संविदा सेवा पर जीएसटी की दर अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के क्रमांक 3 में, समय-समय पर संशोधित रूप में, निर्धारित की गई है। कुछ कार्य संविदा सेवाएँ रियायती जीएसटी दर के लिए पात्र हैं। लागू दर कार्य की प्रकृति, प्राप्तकर्ता तथा संबंधित विशिष्ट छूटों पर निर्भर करती है।

क्र. सं.	जोखिम का विवरण
	नियम, 2017 (सीजीएसटी नियमावली) के नियम 42 और 43 के अंतर्गत प्राप्त/उपयोग किए गए आईटीसी के संदर्भ में।
4.	जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 में स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) क्रेडिट और जीएसटीआर-3बी में बताई गई कर योग्य दर में अंतर।
5.	(क) एसएसी 995433 (खुदाई और मिट्टी हटाने का काम) के अंतर्गत छूट/रियायती दरों का लाभ उठाना (ख) एसएसी 99546 (संस्थापना सेवाओं) के अंतर्गत छूट/रियायती दरों का लाभ उठाना
6.	समय सीमा समाप्त होने के बाद आईटीसी का लाभ उठाना
7.	शून्य- मूल्यांकित/छूट प्राप्त/गैर-जीएसटी आपूर्ति और कुल बहिर्गामी आपूर्ति का अनुपात
8.	क्रेडिट नोट्स (कर) और चुकाए गए कर का अनुपात
9.	जीएसटीआर-3बी में प्रतिलोम प्रभार व्यवस्था (आरसीएम)[52] के अंतर्गत चुकाया गया कर शून्य है या आरसीएम (जीएसटीआर-3बी) के अंतर्गत कर के दायरे में आने वाली आंतरिक आपूर्ति पर कर योग्य मूल्य कुल कर योग्य-मूल्य (जीएसटीआर-1) का अनुपात बहुत अधिक है।
10.	आरसीएम के अंतर्गत अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के प्रति चुकाए गए कर का अनुपात, लिए गए आईटीसी की तुलना में 20 प्रतिशत से कम है।
11.	पंजीकरण तिथि और पंजीकरण के तीन महीने के भीतर लिए गए आईटीसी की मूल्य ₹20 लाख से अधिक है।
12.	इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) क्रेडिट का लाभ उठाना।

4.5.3 चयनित नमूनों की संख्या

आईटीसी और बकाया देनदारी से जुड़े पूर्व निर्धारित 12 जोखिम मापदंड जिनमें से हर एक का विशेष जोखिम स्कोर है, के आधार पर सीबीआईसी के अंतर्गत 69 आयुक्तालयों में (104 आयुक्तालयों में से) आने वाले कुल 715 करदाताओं (**पैराग्राफ 4.5.1 और 4.5.2** में बताए गए तरीके से अलग किए गए कुल 2.16 लाख करदाताओं में से) को लेखापरीक्षा नमूने के रूप में चुना गया। ऊपर बताए गए **715 करदाताओं** के अतिरिक्त, मेट्रो परियोजनाओं में विशेष तौर पर

52 आरसीएम का अर्थ है कि अधिसूचित आपूर्ति श्रेणियों में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर का भुगतान करने की देयता आपूर्तिकर्ता के स्थान पर प्राप्तकर्ता पर होती है।

सम्मिलित 12 आयुक्तालयों के **20 करदाताओं** (96 करदाताओं में से) को भी लेखापरीक्षा के लिए चुना गया।

इसके अलावा, एसएससीए के अंतर्गत, ये नमूने उन मामलों में से लिए गए थे जिनका लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए निर्माण संविदा/ निर्माण सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना था, इनमें से लेखापरीक्षा आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र से **115 करदाताओं** का एक नमूना चुना गया।

अंत में, लेखापरीक्षा ने रेंज के कार्यों की समीक्षा के लिए इस एसएससीए के अंतर्गत 71 (528 रेंज में से) का नमूना चुना।

इस प्रकार, कुल मिलाकर लेखापरीक्षा ने **850** करदाताओं और **71** रेंज का चयन किया।

4.6 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा के मापदंडों के स्रोतों में सीजीएसटी अधिनियम, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (आईजीएसटी अधिनियम) और इनके अंतर्गत बनाए गए नियम और अधिसूचनाएं सम्मिलित थे। अधिनियम के वे अहम प्रावधान जो आम तौर पर सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं और वे विशेष प्रावधान जो निर्माण सेवाओं और कार्य संविदा सेवाओं पर लागू होते हैं, उन्हें **तालिका 4.2** में दिया गया है:

तालिका 2: अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के महत्वपूर्ण प्रावधान

क्रम सं.	लेखापरीक्षा क्षेत्र	अधिनियम/नियम/अधिसूचना के प्रावधान
1.	रिटर्न दाखिल करना	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37, 38 और 39 सीजीएसटी नियमावली का नियम 59, 60, 61 और 80
2.	बकाया देयता	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 और 49, सीजीएसटी नियमावली का नियम 85 से 88
3.	पंजीकरण	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 22 से 25 सीजीएसटी नियमावली का नियम 8 से 26
4.	वर्गीकरण और कर की दर	सामान्य व्याख्यात्मक नियम (जीआईआर) नियम 1 से 5, अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 जैसा समय-समय पर संशोधित।
5.	आपूर्ति की प्रकृति	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7
6.	आपूर्ति का समय	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 और 13

क्रम सं.	लेखापरीक्षा क्षेत्र	अधिनियम/नियम/अधिसूचना के प्रावधान
7.	आपूर्ति का मूल्य	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15
8.	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12(3) और 13(4)
9.	कर का भुगतान	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 11(2), 32(1), 49 से 52 और धारा 76
10.	आरसीएम	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(3) के साथ अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) और 8/2017 केंद्रीय कर (दर) दोनों दिनांक 28 जून 2017।
11.	आईटीसी	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 और 17
12.	आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 65 और 66 और सीजीएसटी नियमावली का नियम 101

कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं पर लागू विशेष प्रावधान

क्रम सं.	लेखापरीक्षा क्षेत्र	अधिनियम/नियम/ अधिसूचना के प्रावधान
1.	मूल्य निर्धारण	अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017 का पैराग्राफ 2
2.	कर की दर	अधिसूचना सं. 11/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017 अधिसूचना सं. 20/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 22 अगस्त 2017 अधिसूचना सं. 1/2018- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी 2018 अधिसूचना सं. 3/2019- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 29 मार्च 2019 अधिसूचना सं. 15/2021- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 18 नवंबर 2021
3।	आईटीसी	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5)(सी) और 17(5)(डी) अधिसूचना सं. 11/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017 जिसमें अधिसूचना सं. 3/2019 केंद्रीय कर (दर), दिनांक 29 मार्च 2019 और बाद में अधिसूचना सं. 15/2021- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 18 नवंबर 2021 द्वारा संशोधन किया गया।
4.	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12(3) और 13(4)

4.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सेवाओं के वर्गीकरण और कर की दर की योजना को 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017- केंद्रीय कर (दर) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। सेवाओं का वर्गीकरण संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण पर आधारित है। जीएसटी स्वरूप के अंतर्गत, निर्माण सेवाओं को एसएसी 9954 के अंतर्गत रखा गया है। इस कोड में कई तरह की सेवाएं सम्मिलित हैं जैसे कि भवन निर्माण (99541), सिविल इंजीनियरिंग कार्यों की सामान्य निर्माण सेवाएँ (99542), कार्यस्थल तैयार करने की सेवा (99543), पूर्वनिर्मित निर्माण को जोड़ना और परिनिर्माण करना (99544), विशेष व्यापार निर्माण सेवाएँ (99545), स्थापना सेवाएँ (99546) और भवन बनाने और परिष्करण सेवाएं (99547)।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5)(सी) के अनुसार, अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी के अतिरिक्त) के निर्माण के लिए दी जाने वाली कार्य संविदा सेवाओं के मामले में कार्य संविदा सेवा की भावी आपूर्ति के लिए इनपुट सेवा को छोड़कर आईटीसी प्रदान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार, कार्य संविदा के लिए आईटीसी का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जो उसी तरह के व्यवसाय में हो और कार्य संविदा सेवा की भावी आपूर्ति के लिए ऐसी सेवाओं का प्रयोग कर रहा हो।

4.7.1 कार्यक्षेत्र की सीमा

इस एसएससीए में रिकॉर्ड की जांच दो चरणों में हुई: पहले चरण में जीएसटी रिटर्न और करदाताओं के मूल रिकॉर्ड जैसे वित्तीय विवरण और जीएसटी खाताबही की जांच सम्मिलित थी जो आम तौर पर विभाग के बैक एंड एप्लिकेशन में डिजिटल रूप से उपलब्ध होने चाहिए और दूसरे चरण में करदाताओं के विस्तृत रिकॉर्ड जैसे सहायक बही-खाते, समझौते, बीजक की जांच सम्मिलित थी जिन्हें पहले चरण की जांच में पहचाने गए जोखिम के आधार पर मांगा गया था।

रिकॉर्ड अनुपलब्धता: आम तौर पर करदाताओं को जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय जीएसटीआर-9सी और वित्तीय विवरण अपलोड करने होते हैं और

करदाताओं का स्वतः प्रारूपित जीएसटीआर-2ए, जीएसटीएन द्वारा प्रबंध किए जाने वाले विभाग के बैकएंड एप्लिकेशन पर उपलब्ध होना चाहिए। कुल 735 करदाताओं के नमूनों में से, 22 मामलों में विभाग के बैकएंड एप्लिकेशन पर जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9सी और वित्तीय विवरण उपलब्ध न होने के कारण पहले चरण की जांच सीमित रही और इन मामलों में कर भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने और कार्य संविदा आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागू रियायती कर दर के संबंध में ₹36.09 करोड़[53] के संभावित अंतर की पहचान की गई। छः अलग-अलग रेंज के अंतर्गत छः मामलों में, विभाग ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पूरा होने के बाद रिकॉर्ड प्रस्तुत किए लेकिन रिपोर्टिंग से जुड़ी चुनौतियों के कारण उनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

जब यह इंगित किया गया (अगस्त 2024 और अप्रैल 2025 के बीच) तो मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2026) कि जीएसटीएन ने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) को डेटा तक सीधी पहुंच दी है। इस तरह, लेखापरीक्षा के लिए जीएसटीआर-2ए और 9सी जैसे विवरण की पहुंच उपलब्ध होगी। अगर ऐसे रिकॉर्ड तक पहुँचने में कोई समस्या आती है तो मामला सीधे जीएसटीएन के साथ उठाना होगा और इस मामले में विभाग की कोई भूमिका नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भले ही लेखापरीक्षा के पास जीएसटीएन डेटा तक सीधी पहुंच है, फिर भी जीएसटीआर-2ए, 9सी और वित्तीय विवरण विभाग से तभी मांगे गए थे जब वे जीएसटीएन प्रणाली में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, यह एक्सेस की समस्या नहीं है और मंत्रालय को करदाताओं द्वारा नियमों के पालन में रह गई कमियों को दूर करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये दस्तावेज़ विभाग के बैकएंड प्रणाली में उपलब्ध हों।

[53] आयुक्तालय - भुवनेश्वर (तीन मामले - ₹27.65 करोड़); बेंगलुरु पूर्व (तीन मामले - ₹2.84 करोड़); बेलगावी (दो मामले - ₹2.31 करोड़); बेंगलुरु उत्तर (तीन मामले - ₹1.62 करोड़); कोच्चि (एक मामला - ₹1.16 करोड़); बेंगलुरु पश्चिम (एक मामला - ₹0.34 करोड़); डिब्रूगढ़, गुवाहाटी (दो मामले - ₹0.17 करोड़); रायपुर, इंदौर, भोपाल और ईटानगर (सात मामले - शून्य)।

करदाताओं के विस्तृत रिकॉर्ड का आंशिक रूप से उपलब्ध होना: इसके अतिरिक्त, पहचाने गए जोखिमों के आधार पर मांगे गए और फॉलो-अप किए गए करदाताओं के विस्तृत[54] रिकॉर्ड के आंशिक रूप से उपलब्ध होने के कारण दूसरे चरण का सत्यापन प्रभावित हुआ। वे विस्तृत रिकॉर्ड जो विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे, उन्हें संबंधित करदाताओं से प्राप्त करना था। चार सौ इकतीस मामलों (जिनमें 392 करदाता सम्मिलित थे) में ये रिकॉर्ड नहीं मिल पाए; इन मामलों में लेखापरीक्षा ने कर देनदारी और आईटीसी रियायती कर दर दोनों से उठाये गये लाभ के बीच ₹2,732.56 करोड़ के अंतर की पहचान की थी जैसा कि **तालिका 4.3** में दिखाया गया है:

तालिका 4.3: करदाताओं के विस्तृत रिकॉर्ड का आंशिक रूप से प्रदान करना

अधिकार क्षेत्र	नमूना	कर देनदारी/ आईटीसी और रियायती दर के लाभ में अंतर	
	करदाताओं की सं.	करदाताओं की सं.	विचलन के संभावित जोखिम की राशि** (₹ करोड़ में)
मेरठ	36	23	831.96
हैदराबाद	43	33	603.94
लखनऊ	22	16	369.50
कोलकाता	91	73	264.31
पुणे	37	13	225.08
दिल्ली	34	11	127.94
भुवनेश्वर	27	12	113.11
भोपाल	68	38	71.31
बेंगलुरु	37	6	73.33
रांची	24	24	24.49
चंडीगढ़	21	9	9.55
विशाखापत्तनम	32	24	5.84
चेन्नई	56	42	4.60
तिरुवनंतपुरम	30	2	3.56
पंचकूला	19	4	1.63

[54] अनुपूरक वित्तीय बही-खाते, बीजक, समझौता प्रतियाँ आदि।

अधिकार क्षेत्र	**नमूना**	**कर देनदारी/ आईटीसी और रियायती दर के लाभ में अंतर**	
	करदाताओं की सं.	**करदाताओं की सं.**	**विचलन के संभावित जोखिम की राशि** (₹ करोड़ में)**
गुवाहाटी	24	11	1.52
मुंबई	35	13	0.89
जयपुर	41	18	0
अहमदाबाद	24	14	0
वडोदरा	19	5	0
नागपुर	15	1	0
योग	**735**	**392**	**2,732.56**

**देखे गए अंतर से सीधे तौर पर कर अपवंचन का पता नहीं चलता बल्कि यह आईटीसी दावे और करदाताओं द्वारा रियायती दरों का लाभ उठाने से जुड़े संभावित जोखिम को दिखाता है। ये लाभ संबंधित अधिसूचनाएं, अधिनियम या नियमों में बताई गई विशेष शर्तों के अधीन होते हैं। हालाँकि, ज़रूरी रिकॉर्ड और सहायक जानकारी न मिलने के कारण, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि उन शर्तों को ठीक से पूरा किया गया था या नहीं।

दो सौ चौदह मामलों में, विभाग ने या तो क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पूरा होने के बाद रिकॉर्ड पेश किए या उन करदाताओं को एससीएन जारी किए जिनकी रिपोर्टिंग से जुड़ी चुनौतियों के कारण लेखापरीक्षा नहीं हो पाई थी।

जब इसे इंगित किया गया (अगस्त 2024 और अप्रैल 2025 के बीच) तो मंत्रालय ने (फरवरी 2026 में) बताया कि लेखापरीक्षा के लिए रिकॉर्ड /जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के संबंध में सीबीआईसी ने क्षेत्रीय कार्यालयों को 2 मई 2025 का निर्देश सं. 5/2025- जीएसटी जारी की गई है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन मामलों में करदाताओं के पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनसे पत्र लिखकर वे रिकॉर्ड मांगे जाएं और जल्द से जल्द सीएजी लेखापरीक्षा टीम को उपलब्ध कराए जाएं। क्षेत्रीय अधिकारियों के पास मौजूद रिकॉर्ड/दस्तावेज़/विवरण लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हालाँकि, लेखापरीक्षा के दौरान मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज़, जो विभाग के पास आसानी से उपलब्ध नहीं होते, उन्हें करदाताओं से मंगाना पड़ता है। कभी-कभी करदाता रिकॉर्ड देने से इनकार कर सकते हैं या रिकॉर्ड जमा करने में काफी विलंब हो सकता है।

हालांकि सीबीआईसी ने 2 मई 2025 को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को लेखापरीक्षा के लिए रिकॉर्ड/जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद, जीएसटी प्रशासन में यह समस्या लगातार बनी हुई है और विभाग एक स्थायी तरीका अपनाने पर विचार कर सकता है–जैसे कि जीएसटी कानून में उचित प्रावधान सम्मिलित करना–ताकि क्षेत्रीय कार्यालय, पहचाने गए जोखिमों के आधार पर, लेखापरीक्षा के लिए ज़रूरी रिकॉर्ड करदाताओं से हासिल कर सकें और उन्हें आगे सीएजी लेखापरीक्षा टीम को सौंप सकें।

4.7.2 लेखापरीक्षा के परिणामों का सार

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने कार्य संविदा आपूर्ति (जिसमें मेट्रो परियोजना का कार्य और विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए करदाता सम्मिलित हैं) से जुड़े करदाताओं द्वारा कर चुकाने और आईटीसी लेने के पहलुओं की समीक्षा की और कार्य संविदा/निर्माण सेवा आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत करदाताओं के संबंध में रेंज के कामकाज की भी समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा में कार्य संविदा/निर्माण आपूर्ति से जुड़े करदाताओं द्वारा कर चुकाने और आईटीसी का लाभ उठाने के पहलुओं की समीक्षा की गई। साथ ही, एसएसी कोड 9954 के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं के संबंध में रेंज के कामकाज की भी समीक्षा की गई और नतीजों को अग्रलिखित चार श्रेणियों में बांटा गया है:

- क) कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं से जुड़े अनुपालन संबंधी मुद्दे
- ख) अन्य अनुपालन मुद्दे
- ग) रेंज कार्यों में खामियां
- घ) विभाग द्वारा करदाताओं की लेखापरीक्षा

कार्य संविदा और निर्माण सेवाओं पर किए गए इस एसएससीए के लेखापरीक्षा परिणामों में 1,334 अनुपालन कमियां पाई गईं, जिनसे ₹401.42 करोड़ की राशि जुड़ी थी। अनुपालन में इन कमियों में से, विभाग ने 903 कमियों को स्वीकार किया, जिनसे ₹268.36[55] करोड़ का राजस्व प्रभाव जुड़ा था।

[55] इसमें से ₹15.88 करोड़ की राशि लेखापरीक्षा किये जाने पर वसूल की गई।

4.7.3 कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं से जुड़े अनुपालन संबंधी मुद्दे

कार्य संविदा सेवाओं पर अधिनियम, नियमों और अधिसूचनाओं के अंतर्गत विशेष प्रावधान लागू होते हैं जो सेवाओं के मूल्य निर्धारण, जीएसटी दरों के लागू होने और आईटीसी का लाभ उठाने से संबंधित हैं।

सात सौं पैंतीस करदाताओं के नमूना जांच में से, लेखापरीक्षा के दौरान ये मामले इन वजहों से थे: सड़क, पुल, रेलवे और मिट्टी की खुदाई के कार्य से जुड़े कार्य संविदा पर रियायती कर रेट/छूट का गलत फायदा उठाना; सरकारी प्राधिकारी/इकाई को दी गई कार्य संविदा सेवा पर कम कर चुकाना; आरसीएम के अंतर्गत बिल्डर/डेवलपर द्वारा कम कर चुकाना; आवासीय अचल संपत्ति/ अचल संपत्ति परियोजनाओं में गड़बड़ियां; चल रहे/पूरी हो चुके परियोजनाओं पर आईटीसी का गलत फायदा उठाना; आयकर अधिकारियों द्वारा पता लगाई गई बिना हिसाब-किताब वाले 'धन से' आय पर जीएसटी न चुकाना और मेट्रो परियोजनाओं को पूरा करने में कर की देनदारी कम चुकाना जैसे कारण से नियमों के पालन में कमी के 123 मामले पाये गये, जिनसे ₹190.98 करोड़ का राजस्व प्रभाव पड़ा।

इन मुद्दों को अग्रलिखित पैरा में बताया गया है:

4.7.3.1 सड़क, पुल और रेलवे के निर्माण से जुड़े कार्य संविदा पर रियायती कर दर और छूट का गलत लाभ उठाना

अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017, क्रम सं. 3(iv) और 3 (v) क्रमश: मोनोरेल और मेट्रो सहित आम जनता और रेलवे द्वारा उपयोग के लिए सड़क परिवहन के लिए सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल के निर्माण के संबंध में कार्य संविदा के लिए 12 प्रतिशत की रियायती दर की अनुमति देता है। जनवरी 2018[56] के बाद जारी की गई अधिसूचना में प्रविष्टि 3 (ix) के अनुसार, उप-संविदाकार द्वारा मुख्य संविदाकार को प्रविष्टि 3 (iii) और 3 (vi) के अंतर्गत वर्गीकृत आपूर्ति पर कर की 18 प्रतिशत दर से छूट दी गई थी। विशेष बात यह है कि आम जनता और मोनोरेल और मेट्रो सहित रेलवे के इस्तेमाल के लिए सड़क परिवहन से जुड़े सड़क परिवहन के लिए

[56] सं. 1/2018 दिनांक 25 जनवरी 2018।

सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल के लिए उप-संविदाकार की ओर से मुख्य संविदाकार को दी जाने वाली कार्य संविदा सेवा पर 18 प्रतिशत कर की दर से कोई विशेष छूट नहीं है।

लेखापरीक्षा में 18 करदाताओं से जुड़े 19 मामलों (जांच किये गये कुल 715 करदाताओं में से) में नियमों के पालन में कमियां पाई गईं करदाताओं द्वारा निर्माण कार्य संविदा सेवाओं पर छूट/रियायती दरों का गलत तरीके से लाभ उठाने के कारण और इसके परिणामस्वरूप कम दरों पर कर चुकाने के कारण इन मामलों में कुल ₹107.54 करोड़ की गड़बड़ी हुई थी।

जब इसे इंगित किया गया (अगस्त 2024 से जनवरी 2025) तो विभाग/मंत्रालय ने 12 मामलों (नवंबर 2024 और फरवरी 2025) में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की (कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/मूल आदेश (ओआईओ) जारी किया या वसूली की) और इन मामलों की कुल राशि ₹71.43 करोड़ थी जिसमें से तीन मामलों में ₹0.10 करोड़ की वसूली की गई और तीन मामलों में ₹42.80 करोड़ की मांग की पुष्टि की गई। बाकी सात मामलों में उत्तर प्रतिक्षित था/उनका खंडन किया गया था (फरवरी 2026)।

कुछ मामले उदाहरणार्थ नीचे दिए गए हैं:

(i) मंचेरियल रेंज, मेडचल आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले एक करदाता ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान एसएसी कोड 9954 के अंतर्गत एक अन्य करदाता को 48 बीजकों द्वारा ₹630.33 करोड़ की कार्य संविदा सेवाएँ प्रदान कीं और 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी उद्ग्रहण किया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एक अन्य करदाता ने अक्टूबर 2019 में एक अनुबंध पत्र के माध्यम से करदाता को कार्य संविदा सेवाएँ दी थी। यह काम तेलंगाना राज्य में मंचेरियल से रेपाल्लेवाड़ा तक एनएच 363 के चार-लेन वाले हिस्से के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर सड़क निर्माण, सिविल और उससे जुड़े अन्य कामों को पूरा करने के लिए था। इससे पता चलता है कि करदाता, दूसरे करदाता के लिए उप-संविदाकार था।

इसलिए, करदाता ने जीएसटी की रियायती दर का अनुचित लाभ उठाया और 18 प्रतिशत की अपेक्षा केवल 12 प्रतिशत जीएसटी प्रभारित किया। ऊपर बताई गई अधिसूचना का पालन न करने के कारण ₹37.82 करोड़ का कर कम जमा हुआ।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (अक्टूबर 2024) तो विभाग/मंत्रालय ने नवंबर 2024 में एससीएन जारी करने की जानकारी दी और फरवरी 2025 में ₹37.82 करोड़ की मांग की पुष्टि की।

(ii) नुआपाडा रेंज, राउरकेला आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता ने, वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के वित्तीय विवरण से पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से जुड़े कार्य के लिए एक दूसरे करदाता जो एक उप-संविदाकार था के साथ अनुबंध किया था। चूंकि करदाता उप-संविदाकार के लिए सेवा प्रदाता के रूप में काम कर रहा था इसलिए अधिसूचना सं. 11/2017 के अनुसार 12 प्रतिशत जीएसटी की रियायती दर लागू नहीं होती थी। इसके बावजूद, करदाता ने दूसरे करदाता को जारी किए गए बिलों पर 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान किया जिसके कारण ₹27.44 करोड़ की देनदारी का कम भुगतान हुआ।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (अक्टूबर 2024), तो विभाग/मंत्रालय ने मार्च 2025 में एससीएन जारी करने की जानकारी दी।

(iii) पटना-I आयुक्तालय के भागलपुर रेंज के करदाता द्वारा भरे गए वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के जीएसटीआर-1 की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने कई प्राइवेट कंपनियों के लिए किए गए काम के बदले बीजक जारी किए और 12 प्रतिशत की रियायती दर पर जीएसटी प्रभारित किया। हालांकि, ऊपर बताए गए अधिसूचनाओं के अनुसार, रियायती दर केवल मद सं. 3(iv) जैसे आम जनता और अन्य लोगों के उपयोग के लिए सड़क, पुल, सुरंग या सड़क परिवहन टर्मिनल और मुख्य संविदाकार द्वारा सरकार को दी जाने वाली सेवाओं के लिए उपलब्ध है। उप-संविदाकार की ओर से मुख्य-संविदाकार को दी जाने वाली सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। इस मामले में, करदाता ने उप-संविदाकार के रूप में मुख्य-संविदाकारों

को सेवाएं दी थीं। ऐसी परिस्थिति में, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए मुख्य-संविदाकारों (निजी कंपनियों) को जारी किए गए ₹184.52 करोड़ के सभी बीजक जिनमें कर योग्य मूल्य सम्मिलित थे, पर 12 प्रतिशत की रियायती दर के बजाय 18 प्रतिशत की सामान्य दर से जीएसटी लगाया प्रभारित किया जाना चाहिए था। इसके कारण ₹11.07 करोड़ का कर कम उद्ग्रहण किया गया।

इस तथ्य को इंगित किया गया (अक्टूबर 2024) और विभाग/मंत्रालय के उत्तर प्रतिक्षित है (फरवरी 2026)।

(iv) चेन्नई दक्षिण आयुक्तालय के रेंज-II के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, अप्रैल 2020 से मार्च 2022 की अवधि के लिए जीएसटीआर-1 रिटर्न और बिक्री बीजकों की जांच से पता चला कि करदाता एसएसी 995421[57] के अंतर्गत व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) सेवाएं दे रहा था। ये सेवाएं 12 प्रतिशत की रियायती दर के लिए योग्य नहीं हैं लेकिन करदाता ने लागू 18 प्रतिशत के बजाय गलत तरीके से 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी प्रभारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹4.94 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (अक्टूबर 2024), तो विभाग/मंत्रालय ने नवंबर 2024 में एससीएन जारी करने की जानकारी दी जिसकी पुष्टि फरवरी 2025 में हुई।

अनुशंसा सं. 1

विभाग, करदाताओं द्वारा कर के उचित निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए जांच या आंतरिक लेखापरीक्षा में, जहाँ उप-संविदाकार/ उप-उप-संविदाकार जो सड़क, पुल और रेलवे के काम के लिए कार्य संविदा सेवाओं से जुड़ी छूट का लाभ उठाते हैं, ऐसे ज़्यादा मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक प्रणाली बनाए।

विभाग दावा की जा रही रियायतों को विनियमित करने के लिए उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को सम्मिलित करने की संभावना पर भी विचार करे।

---

[57] राजमार्गों, गलियों, सड़कों, रेलमार्गों और हवाईपट्टी रनवे, पुलों एवं सुरंगों के सामान्य निर्माण संबंधी सेवाएँ।

4.7.3.2 मिट्टी के काम से संबंधित कार्य संविदा पर छूट/रियायती दरों का गलत लाभ उठाना

अधिसूचना सं. 11/2017-कैंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, क्रम सं. 3 (vii) के अंतर्गत, कार्य संविदा जिनमें मुख्य रूप से मिट्टी के काम सम्मिलित हो (जो कार्य संविदा का 75 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा हो) की संयुक्त आपूर्ति के लिए पाँच प्रतिशत की रियायती दर की अनुमति है। बशर्ते कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई को दी गई हों। 1 जनवरी 2022 से, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई को सेवाएँ देने पर यह रियायती दर लागू नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017 के क्रम सं. 3 (x) के अनुसार, मिट्टी के काम के लिए पांच प्रतिशत की यह रियायती दर उस उप-संविदाकार को दी गई थी जो मुख्य संविदाकार को कार्य संविदा की संयुक्त आपूर्ति देता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मिट्टी के काम के लिए उप-संविदाकार के अलावा किसी अन्य सेवा प्रदाता के लिए कोई विशेष छूट नहीं है।

लेखापरीक्षा में 10 करदाताओं से (715 करदाताओं के नमूने में से) जुड़े 12 मामलों में नियमों के पालन में कमियां पाई गईं, करदाताओं द्वारा मिट्टी के काम से जुड़ी कार्य संविदा सेवा पर गलत तरीके से छूट या रियायती दरों का लाभ उठाने के कारण ₹35.70 करोड़ की गड़बड़ी थी और परिणामस्वरूप कम दरों पर टैक्स चुकाया।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (अगस्त 2024 से जनवरी 2025) तो विभाग/मंत्रालय ने 10 मामलों में कार्रवाई शुरू की (एससीएन जारी किया/रकम वसूली); इन मामलों में ₹34.64 करोड़ की राशि सम्मिलित थी (अप्रैल 2023 से नवंबर 2024)। बाकी दो मामलों के उत्तर का खंडन किया गया (फरवरी 2026)।

कुछ मामले उदाहरणार्थ नीचे दिए गए हैं:

(i) पुणे-I आयुक्तालय के रेंज-III के अंतर्गत एक करदाता ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एक दूसरे करदाता को एसएसी 995433 के अंतर्गत बीजकों

के अनुसार ₹44.67 करोड़ की खुदाई सेवाएं दीं और पांच प्रतिशत की रियायती दर पर जीएसटी का भुगतान किया। यह देखा गया कि करदाता ने खुदाई सेवाओं के लिए रियायती दर पर जीएसटी का भुगतान किया था। एसएसी 995433 में खुदाई और मिट्टी हटाने के काम संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है जिनमें सामान के मालिकाना हक का हस्तांतरण सम्मिलित नहीं होता है और इसलिए ये रियायती दर के लिए योग्य नहीं थीं। इस सेवा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि सेवाएं लेने वाले को *समृद्धि महामार्ग परियोजना* के लिए मुख्य संविदाकार के तौर पर सूचीबद्ध नहीं किया गया था इसलिए करदाता उप-संविदाकार नहीं था (और वह उप-उप-संविदाकार के तौर पर काम कर रहा था) और इसलिए अधिसूचना सं. 11/2017 के अंतर्गत रियायती दर के लिए पात्र नहीं था। ब्याज सहित जीएसटी भुगतान में कमी का अनुमान ₹9.51 करोड़ लगाया गया था।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (नवंबर 2024) विभाग/मंत्रालय ने बताया कि सितंबर 2025 में करदाता को एससीएन जारी किया गया था।

(ii) हैदराबाद आयुक्तालय के पूजागुट्टा-II रेंज के अंतर्गत आने वाले एक करदाता ने 2020-22 की अवधि के दौरान किसी अन्य को ₹70.35 करोड़ मूल्य के कार्य संविदा पाँच प्रतिशत की रियायती कर दर पर प्रदान की।

अप्रैल 2019 में करदाताओं के बीच हुए उप-अनुबंध समझौते की जांच से पता चला लेखापरीक्षा में पाया गया तेलंगाना सरकार ने काम का मूल अनुबंध उसी करदाता को दिया था। इसके अलावा, करदाता ने काम का कुछ हिस्सा किसी दूसरे करदाता को उप-अनुबंधित कर किया और उस करदाता ने आगे वह काम किसी और करदाता को उप-उप-अनुबंधित कर दिया।

इसलिए, चूंकि कर देने वाला व्यक्ति उप-संविदाकार के लिए सेवा प्रदाता (उप-उप-संविदाकार) है इसलिए वह पाँच प्रतिशत की रियायती कर दर के लिए पात्र नहीं था और उसे 18 प्रतिशत की सामान्य दर से कर देना था। कुल ₹12.66 करोड़ (18 प्रतिशत - सामान्य दर) के देय कर के प्रति, केवल

₹3.51 करोड़ (पाँच प्रतिशत - रियायती दर) का भुगतान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹9.14 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ।

जब यह इंगित किया गया (जनवरी 2025) तो विभाग/मंत्रालय ने जानकारी दी कि करदाता को 15 सितंबर 2025 को एससीएन जारी किया गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जारी किए गए एससीएन में लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कर की कम अदायगी को सम्मिलित किया गया था।

(iii) मेडचल आयुक्तालय के कुकटपल्ली रेंज के एक करदाता ने वि.व. 2020-21 में एसएसी 995421 के अंतर्गत एक दूसरे करदाता को मिट्टी के काम से जुड़ी सेवाएँ दीं और चार बीजकों द्वारा ₹73.16 करोड़ की कर योग्य मूल्य पर पाँच प्रतिशत जीएसटी प्रभारित किया गया। पाँच प्रतिशत की रियायती दर केवल तभी लागू होती थी जब मिट्टी के काम से जुड़ी सेवाएँ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई (1 जनवरी 2022 तक) को दी गई हों। चूंकि करदाता ने मिट्टी के काम से जुड़ी सेवाएँ दूसरे करदाता को दी थी इसलिए रियायती दर लागू नहीं होती थी और करदाता को 18 प्रतिशत की दर से कर देना था। इसके परिणामस्वरूप ₹9.51 करोड़ का कर कम उद्ग्रहण किया गया।

जब यह इंगित किया गया (नवंबर 2024), तो विभाग/मंत्रालय ने नवंबर 2024 में एससीएन जारी करने की जानकारी दी और फरवरी 2025 में इस मामले को न्यायिक निर्णय लिया गया।

(iv) विव 2020-21 के लिए मेडचल आयुक्तालय के मूसापेट रेंज के करदाता के जीएसटीआर-1 की जांच से पता चला कि करदाता ने एसएसी 995422 के अंतर्गत एक दूसरे करदाता को ₹20.60 करोड़ की कर योग्य मूल्य वाले चार बीजकों के माध्यम से कार्य संविदा सेवाएं दी थीं और पाँच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया था। हालांकि, ऊपर बताई गई अधिसूचना के अनुसार, पाँच प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर केवल उन करदाताओं पर लागू होती है जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्थानीय प्राधिकरण को सेवा प्रदान करते हों या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई (1 जनवरी 2022 तक) को सेवा दी हों। चूंकि करदाता ने एक निजी इकाई को सेवा दी थी इसलिए

18 प्रतिशत की सामान्य दर से कर लगाया जाना चाहिए था। इसमें ₹2.67 करोड़ के कर का कम भुगतान किया गया था।

जब यह इंगित किया गया (अक्टूबर 2024), तो विभाग/मंत्रालय ने नवंबर 2024 में एससीएन जारी करने की जानकारी दी और फरवरी 2025 में उस पर न्यायिक निर्णय लिया गया।

अनुशंसा संख्या 2

विभाग जांच या आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत ज़्यादा मामलों को सम्मिलित करते हुये करदाता सही तरीके से कर का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनाए जहाँ उप-संविदाकार के अतिरिक्त सेवा प्रदाताओं (उप-उप-संविदाकार) - द्वारा किए गए निर्माण कार्य संविदा सेवाओं पर मिट्टी के काम से जुड़ी सेवाओं के लिए रियायती दर का दावा किया गया हो।

विभाग दावा की जा रही रियायतों को विनियमित करने के लिए उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को सम्मिलित करने की संभावना पर भी विचार करे।

4.7.3.3 सरकारी प्राधिकरण/इकाई को दी गई कार्य संविदा सेवाओं पर दायित्व का कम भुगतान

18 नवंबर 2021 की अधिसूचना सं. 15/2021-केंद्रीय कर (दर) और 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना सं. 22/2021-केंद्रीय कर (दर) जो 1 जनवरी 2022 से लागू हैं, के अनुसार, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को दी जाने वाली कार्य संविदा सेवा की संयुक्त आपूर्ति पर 1 जनवरी 2022 से 18 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से कर लगेगा जबकि इससे पहले इस पर 12 प्रतिशत की रियायती दर लागू थी।

लेखापरीक्षा में 24 करदाताओं से (715 करदाताओं के नमूने में से) जुड़े 24 मामलों में नियमों के पालन में कमियां पाई गईं, 1 जनवरी 2022 के बाद सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को दी गई कार्य संविदा सेवा पर जीएसटी की कम दर गलत तरीके से लागू करने के कारण इन मामलों में कुल ₹12.57 करोड़ की राशि पाई गई थी।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (अगस्त 2024 से जनवरी 2025) तो विभाग/मंत्रालय ने ₹10.37 करोड़ की राशि वाले 14 मामलों में अवलोकन

स्वीकार किये (स्वीकृत किया, एससीएन जारी किया और मांग की पुष्टि की)। बाकी 10 मामलों के उत्तर प्रतिक्षित थे या उन का खंडन किया गया था (फरवरी 2026)।

कुछ मामले उदाहरणार्थ नीचे दिए गए हैं:

(i) दक्षिणी दिल्ली आयुक्तालय के रेंज-48 के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता के मामले में 2021-22 की अवधि के लिए यह पता चला कि करदाता ने दो सरकारी संस्थाओं को ₹105.19 करोड़ की कर योग्य मूल्य वाली निर्माण सेवाएं दी थीं। चूंकि 1 जनवरी 2022 से इन संस्थाओं को दी जाने वाली सेवाओं पर रियायती दर लागू नहीं होती है इसलिए जीएसटी का भुगतान 12 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए था। बारह प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के कारण ₹6.31 करोड़ के जीएसटी का कम भुगतान हुआ।

दक्षिणी दिल्ली आयुक्तालय के रेंज-77 के अन्य एक करदाता के मामले में भी ₹2.20 करोड़ के लिए समान अवलोकन सामने आया।

जब इस तथ्य इंगित किया गया (दिसंबर 2024), विभाग/मंत्रालय ने जनवरी 2026 में करदाताओं को एससीएन जारी करने की जानकारी दी।

(ii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि वाराणसी आयुक्तालय के अर्बन-II रेंज के अंतर्गत एक करदाता ने जनवरी 2022 से मार्च 2022 के दौरान सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई को एसएसी 9954 के अंतर्गत ₹11.26 करोड़ की कार्य संविदा सेवाएं प्रदान कीं और 12 प्रतिशत की रियायती दर पर जीएसटी उद्ग्रहित किया गया।

चूंकि सेवाएं लेने वाले सरकारी निकाय/सरकारी प्राधिकरण थे, इसलिए 12 प्रतिशत की रियायती दर लागू नहीं होती थी और कर सामान्य 18 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहित किया जाना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप ₹67.59 लाख का कर कम भुगतान हुआ।

इसे जब इंगित किया गया (जनवरी 2025) और विभाग/मंत्रालय के उत्तर प्रतिक्षित था। (फरवरी 2026)।

(iii) हुबली-बी रेंज, बेलगावी आयुक्तालय के एक करदाता ने पूरी चित्रदुर्ग शाखा नहर के निर्माण कार्य के लिए उप-संविदाकार के तौर पर निर्माण कार्य संविदा सेवाएं प्रदान करते हुए एक दूसरे करदाता (मुख्य संविदाकार) के साथ समझौता किया। यह कार्य संविदा मूल रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिलों के सूखा-ग्रस्त इलाकों में पीने के पानी और सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के विशेष उद्देश्य योजना के रूप में मुख्य संविदाकार को कर्नाटक सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले एक उपक्रम ने प्रदान किया था।

करदाता के बिक्री बीजकों और मुख्य संविदाकार के साथ हुए समझौते की जांच करने पर यह पता चला कि करदाता ने 1 जनवरी 2022 से जारी बीजकों पर 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान किया था। इसके कारण ₹48.07 लाख का कर कम भुगतान किया गया।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (नवंबर 2024) तो विभाग/मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया (मई 2025) और कहा कि जल्द ही एससीएन जारी किया जाएगा। आगे की कार्रवाई के संबंध में (फरवरी 2026) उत्तर प्रतिक्षित है।

4.7.3.4 आरसीएम के अंतर्गत बिल्डरों/डेवलपर्स द्वारा देयता का कम भुगतान

28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यावसायिक इकाई को दी जाने वाली सेवाओं के लिए, ऐसी सेवाओं को लेने वाले को प्रतिलोम प्रभार के आधार पर भुगतान करना होगा।

सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, जैसे कि हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) (जिसमें अतिरिक्त एफएसआई भी सम्मिलित है) और विकास शुल्क पर, 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद दी जाने वाली सेवाओं के मामले में आरसीएम के अंतर्गत 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। समापन प्रमाणपत्र जारी होने की दिनांक या परियोजना में पहली बार रहने की दिनांक, इनमें से जो भी पहले हो, से लागू होता है; जैसा कि सीबीआईसी एफएक्यू (भाग II), सं. 7, दिनांक 14 मई 2019 में स्पष्ट

किया गया है, यह व्यावसायिक अपार्टमेंट और बिना बुक हुए आवासीय अपार्टमेंट, दोनों पर लागू होता है।

इसके अतिरिक्त, 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में यह प्रावधान किया गया था कि जहां किसी वित्तीय वर्ष (या समापन प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि या परियोजना पर पहली बार अधिकार लेने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के वित्तीय वर्ष के भाग) के दौरान पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से मिले इनपुट और इनपुट सेवा का मूल्य, कुल इनपुट और इनपुट सेवा का मूल्य के 80 प्रतिशत से कम है वहां प्रवर्तक को उस कमी वाले मूल्य पर 18 प्रतिशत की दर से प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर देना होगा। सीजीएसटी अधिनियम के सभी प्रावधान प्रवर्तक पर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वह ऐसे सामान या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर कर चुकाने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति हो।

लेखापरीक्षा में 16 करदाताओं (715 करदाताओं के नमूने में से) से जुड़े 21 मामलों में नियमों के अनुपालन में कमियां पाई गईं। बिल्डर/डेवलपर द्वारा टीडीआर, विकास शुल्क पर आरसीएम के अंतर्गत देनदारी का पूरा भुगतान न करने और पंजीकृत करदाताओं से खरीदारी में कमी (80 प्रतिशत से कम) के कारण कुल ₹15.35 करोड़ का कम भुगतान किया गया।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (अगस्त 2024 से जनवरी 2025), तो विभाग/मंत्रालय ने ₹14.47 करोड़ से जुड़े 16 मामलों में इस तथ्य को स्वीकार किया लिया। इन 16 मामलों में से, ₹12.78 करोड़ वाले 11 मामलों में एससीएन जारी किया गया और दो मामलों में ₹29.54 लाख की वसूली (आंशिक वसूली सहित) की गई। बाकी पांच मामलों में उत्तर प्रतिक्षित था/उत्तर पर असहमति जताई गई थी (फरवरी 2026)।

कुछ मामले उदाहरणार्थ नीचे दिए गए हैं:

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि पुणे-I आयुक्तालय के रेंज-I के अंतर्गत आने वाले एक करदाता ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान एक व्यावसायिक कांपलैक्स के विकास शुल्क के लिए स्थानीय प्राधिकरण को क्रमशः ₹9.09 करोड़ और ₹8.38 करोड़ का भुगतान किया, लेकिन संबंधित अधिसूचना

के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान नहीं किया, इसके परिणामस्वरूप, ब्याज सहित ₹4.99 करोड़ का कर कम भुगतान किया गया।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (दिसंबर 2024), तो विभाग/मंत्रालय ने बताया कि करदाता को जनवरी 2026 में एससीएन जारी किया गया है।

(ii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि पुणे-I आयुक्तालय के रेंज-V के एक करदाता ने विव 2020-21 और 2021-22 के दौरान पुणे नगर निगम (पीएमसी) को ₹11.62 करोड़ का भुगतान किया लेकिन उसने आवासीय और व्यावसायिक कांपलैक्स के लिए आरसीएम पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया। इस जीएसटी की ब्याज सहित कुल रकम ₹2.39 करोड़ थी।

जब इसे इंगित किया गया (जनवरी 2025), तो विभाग/मंत्रालय ने जानकारी दी कि करदाता को फरवरी 2026 में डीआरसी-01ए (एससीएन से पहले का नोटिस) जारी किया गया है।

(iii) पुणे-II आयुक्तालय के रेंज-III के एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विव 2020-21 और 2021-22 के दौरान पंजीकृत करदाताओं से की गई खरीदारी क्रमशः ₹1.74 करोड़ और ₹6.74 करोड़ थी, जो कुल इनपुट और इनपुट सेवाओं के 80 प्रतिशत से कम थी। करदाता ने आरसीएम के अंतर्गत ₹1.50 करोड़ का जीएसटी का भुगतान नहीं किया जो खरीदारी में हुई कमी के कारण देय था।

जब इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया (दिसंबर 2024), तो विभाग/मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2026 में करदाता को एससीएन जारी किया गया है।

(iv) पुणे-II आयुक्तालय के रेंज-III के अंतर्गत एक करदाता के वित्तीय विवरण की जांच से पता चला कि पीएमसी विकास शुल्क, टीडीआर/एफएसआई (व्यावसायिक इकाईयों के मामले में), परियोजना से जुड़े विधिक खर्च और साइट सुरक्षा शुल्क जैसे खर्च दिखाए गए थे जिन पर आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करना ज़रूरी है। करदाता ने अपनी रिटर्न में जो आरसीएम कर दिखाया था, वह वित्तीय विवरण में बताए गए ऐसे खर्चों पर बनने वाली आरसीएम कर देयता से कम था। इसके कारण आरसीएम के अंतर्गत ₹1.18 करोड़ का कर कम भुगतान किया गया।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (नवंबर 2024), तो विभाग/मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2026 में करदाता को एससीएन जारी किया गया है।

अनुशंसा संख्या 3

विभाग ऐसे मामलों की समीक्षा (जांच-पड़ताल या आंतरिक लेखापरीक्षा आदि के लिए चुनकर) करने के लिए एक प्रणाली बनाए जहां ऐसे करदाता आरसीएम के अंतर्गत कर का सही तरीके से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कार्य संविदा या निर्माण सेवा देने वाले करदाता सरकारों से सेवा लेते हैं या बिना पंजीकरण वाले आपूर्तिकर्ता से इनपुट और इनपुट सेवा खरीदते हैं।

4.7.3.5 आवासीय अचल संपत्ति/अचल संपत्ति परियोजना में पाई गई अनियमितता

28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) के अनुसार, 'अचल संपत्ति परियोजना' (आरईपी) का अर्थ वही होगा जो अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (ज़ेडएन) में बताया गया है। इस परिभाषा के अनुसार, आरईपी का अर्थ है बेचने के उद्देश्य से किसी बिल्डिंग या अपार्टमेंट वाले भवन का विकास करना या किसी मौजूदा भवन या उसके किसी हिस्से को अपार्टमेंट में बदलना या ज़मीन को प्लॉट या अपार्टमेंट में विकसित करना। इसके अतिरिक्त, आवासीय अचल संपत्ति परियोजना (आरआरईपी)[58] का अर्थ एक ऐसा आरईपी है जिसमें व्यावसायिक अपार्टमेंट का कारपेट एरिया, उस आरईपी के सभी अपार्टमेंट के कुल कारपेट एरिया के 15 प्रतिशत से ज़्यादा न हो।

28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017 के क्रम सं. (i) से (if) के अनुसार, बन रहे किफायती[59] आवासीय अपार्टमेंट की बिक्री पर कीमत के एक प्रतिशत की दर से कर लगाया जायेगा, जबकि आरआरईपी परियोजना में बन रहे महंगे आवासीय अपार्टमेंट और व्यावसायिक इकाईयों की बिक्री पर पांच प्रतिशत की

[58] अधिसूचना सं. 11/2017 दिनांक 28 जून 2017 के अनुसार।

[59] महानगरीय शहरों में 60 वर्ग मीटर से अधिक नहीं अथवा महानगरीय शहरों के अतिरिक्त अन्य नगरों/शहरों में 90 वर्ग मीटर से अधिक नहीं कार्पेट क्षेत्रफल वाले आवास, तथा जिनके लिए वसूल की गई सकल राशि ₹45 लाख से अधिक नहीं है।

दर से कर लगाया जायेगा। जिन इकाईयों पर एक प्रतिशत[60] या पांच प्रतिशत की दर से कर लगता है, उनकी बिक्री के मामले में कोई आईटीसी नहीं मिलेगा।

बन रही व्यावसायिक इकाईयों (आरआरईपी के अंतर्गत) की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाया जायेगा। संबंधित अधिसूचना की प्रविष्टी सं. 3 (xii) के अनुसार, 3(i) से 3(if) में बताई गई निर्माण सेवा के अतिरिक्त बाकी निर्माण सेवा पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगता है। आईटीसी केवल व्यावसायिक इकाईयों के मामले में (आरईपी के अंतर्गत और व्यावसायिक क्षेत्र के अनुपात में) उपलब्ध है और कम दरों पर बेचे गए आवासीय अपार्टमेंट इकाईयों के मामले में, कर का भुगतान नकदी अर्थात करना होगा इलेक्ट्रॉनिक नकदी बहीखाते में डालकर।

लेखापरीक्षा में पांच करदाताओं (715 करदाताओं के नमूने में से) से जुड़े पांच मामलों में नियमों के पालन में कमियां पाई गईं, आरआरईपी/आरईपी परियोजनाओं में सम्मिलित बिल्डर/डेवलपर द्वारा देनदारी का पूरा भुगतान न करने के कारण यह कमी ₹2.04 करोड़ की थी।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (अगस्त 2024 से जनवरी 2025), तो विभाग/मंत्रालय ने ₹1.04 करोड़ के तीन मामलों में एससीएन/ओआईओ जारी करने की जानकारी दी। बाकी दो मामलों के उत्तर प्रतिक्षित थे/उनका खंडन किया गया था (फरवरी 2026)।

कुछ मामले उदाहरणार्थ नीचे दिए गए हैं:

(i) जीएसटी रेंज-IV, जोधपुर आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले एक करदाता ने अलग-अलग संविदाकार को एकल या बहु-आवासीय/ बहु-मंजिला आवासीय भवन (आवासीय इमारतों) के लिए सेवाएं देने का काम उप-संविदाकार के तौर पर किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता ने एसएसी 995411 के अंतर्गत क्रमशः ₹7.31 करोड़ और ₹8.24 करोड़ की कार्य संविदा सेवाएं दीं और 12 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया, जबकि एसएसी 995411 के लिए लागू दर 18 प्रतिशत थी। इसके कारण ₹93.31 लाख का कर कम उद्ग्रहण हुआ।

---

[60] कुल प्रतिफल से भूमि लागत के लिए 1/3 भाग की कटौती करने के बाद।

इस तथ्य को जब इंगित किया गया (नवंबर 2024) और विभाग/मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा की गई (फरवरी 2026)।

(ii) वडोदरा-I आयुक्तालय के रेंज-V के एक करदाता ने वडोदरा (जो महानगरीय शहर नहीं है) में 69 डुप्लेक्स इकाईयाँ बेचीं। करदाता ने सभी डुप्लेक्स इकाई पर एक प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान किया क्योंकि उसने इन्हें किफायती आवास योजना के अंतर्गत माना था। हालाँकि, वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) द्वारा जारी बिक्रीनामा (दस्तावेज़) के साथ लगे सनदी लेखाकार के फॉर्म-3[61] और 'राजा चिट्ठी' (भवन अनुमति) की पुनः जाँच से पता चला कि इस योजना में ऐसी डुप्लेक्स इकाई सम्मिलित थीं जिनमें भूतल, पहला तल और छत पर एक स्टोर केबिन था। इकाई के मंजिल की योजना इंटरनेट से प्राप्त से पता चला कि इकाई का कुल कारपेट एरिया 112.09 वर्ग मीटर था, जो कि किफ़ायती आवास के लिए तय 90 वर्ग मीटर की सीमा से ज़्यादा है। इसके अलावा, करदाता ने डुप्लेक्स इकाईयों में से एक (सं. 22) को ₹55.01 लाख में बेचा, जो किफ़ायती आवास योजना के अंतर्गत तय ₹45 लाख की सीमा से ज़्यादा है। इस तरह, यह स्कीम किफ़ायती आवास योजना के तौर पर योग्य नहीं थी और करदाता अधिसूचना के क्रम सं. 3 (i) के अंतर्गत एक प्रतिशत की रियायती दर के लिए योग्य नहीं था। करदाता द्वारा पाँच प्रतिशत की दर से कर दिया जाना चाहिए। नियमों का पालन न करने के कारण ₹81.90 लाख का कर कम उद्ग्रहण हुआ।

जब इस तथ्य को इंगित किया गया (सितंबर 2024), तो विभाग/मंत्रालय ने मई 2025 में एससीएन जारी करने की जानकारी दी।

(iii) हैदराबाद आयुक्तालय के गनफाउंड्री-II रेंज के अंतर्गत आने वाले एक करदाता ने एसएसी 995413, 995461 और 995469 के अंतर्गत विद्युतीय संस्थापना सेवाओं से संबंधित कार्य संविदा सेवाएं प्रदान कीं जिन पर कर की दर 18 प्रतिशत है। लेखापरीक्षा में तेलंगाना राज्य से संबंधित करदाता के आपूर्ति रजिस्टर से पता चला कि विव 2021-22 के दौरान, करदाता ने चार

[61] फॉर्म-3 एक सनदी लेखाकार(सीए) प्रमाणपत्र है, जो आरईआरए अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक होता है और मुख्यतः निर्माण एवं भूमि पर किए गए व्यय का प्रमाणन करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि निर्दिष्ट आरईआरए बैंक खाते से धन निकाला जा सके।

ग्राहकों को ₹3.52 करोड़ मूल्य की विद्युतीय स्थापना सेवाएं (एसएसी 995461) प्रदान कीं जिनमें विद्युतीय तार और फिटिंग सेवाएं, अग्नि अलार्म स्थापना सेवाएं और चोरी-रोधी अलार्म प्रणाली सम्मिलित थे और इन सेवाओं पर लागू 18 प्रतिशत की दर के बजाय 12 प्रतिशत की रियायती दर पर कर प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹21.17 लाख जीएसटी (कर योग्य मूल्य का छः प्रतिशत) का कम उद्ग्रहण हुआ।

जब इसे इंगित किया गया (जनवरी 2025), तो विभाग/मंत्रालय ने जून 2025 में एससीएन जारी करने की जानकारी दी जिस पर जुलाई 2025 में न्यायिक निर्णय लिया जा चुका है।

(iv) पुणे-I आयुक्तालय के रेंज-III के अंतर्गत आने वाले एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा के दौरान लाभ और हानि लेखा से पता चला कि आवासीय इकाईयों की बिक्री से हुई ₹10.30 करोड़ की कुल आय में से ₹54 लाख को अवसंरचना से जुड़े प्रभार के रूप में पर दिखाया गया था। हालांकि, करदाता ने अवसंरचना से जुड़े प्रभार समेत पूरी आय पर पाँच प्रतिशत की रियायती दर से जीएसटी का भुगतान किया था। चूंकि अवसंरचना से जुड़े शुल्क रिहायशी इकाईयों की बिक्री की श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिए उन पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगता है। इसके परिणामस्वरूप ₹7.02 लाख के कर का कम भुगतान हुआ।

जब इसे इंगित किया गया (अक्टूबर 2024), तो विभाग ने इस बात को स्वीकार न करते हुए कहा (अप्रैल 2024) कि अवसंरचना से जुड़े प्रभार फ़्लैट की कीमत में सम्मिलित होते हैं और यह कोई अलग सेवा नहीं बल्कि रिहायशी अपार्टमेंट की निर्माण सेवा का ही एक हिस्सा है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिल्डर द्वारा अवसंरचना से जुड़े प्रभार के रूप में वसूले गए अन्य प्रभार रियायती कर दर के लिए पात्र नहीं हैं। मंत्रालय उत्तर प्रतिक्षित था (फरवरी 2026)।

4.7.3.6 चल रही/पूरी हो चुकी परियोजनाओं पर आईटीसी का अनियमित लाभ उठाना

मार्च 2019 में संशोधित 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) के क्रम सं. 3 में यह बताया गया है कि चल रही परियोजना के

मामले में, जिस प्रवर्तक ने अपार्टमेंट के निर्माण पर कर चुकाने का विकल्प चुना है, जैसा कि उसमें बताया गया है, उसे आईटीसी का लाभ लेते हुए 12 प्रतिशत की रियायती दर पर कर चुकाना होगा। यह विकल्प मार्च 2019 की संशोधित अधिसूचना के साथ दिए गए प्रपत्र अनुबंध IV में 20 मई 2019 को या उससे पहले चुनना होगा और अगर ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना जाता है, तो यह माना जाएगा कि करदाता ने आईटीसी के बिना 1/1.5 प्रतिशत[62] या 5/7.5 प्रतिशत[63] की दर से कर चुकाने का विकल्प चुना है।

इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 18(4) में यह प्रावधान है कि यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति, जिसने आईटीसी का लाभ उठाया है, धारा 10 के अंतर्गत कर चुकाने का विकल्प चुनता है अथवा यदि उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सामान या सेवाएं या दोनों पूरी तरह से करमुक्त हो जाते हैं तो उसे स्टॉक में मौजूद इनपुट, अर्ध-निर्मित या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट और पूंजीगत माल पर लिए गए आईटीसी के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। इस राशि का भुगतान करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाते में बचा हुआ कोई भी आईटीसी समाप्त हो जाएगा।

लेखापरीक्षा में 9 करदाताओं (जांच किए गए 715 करदाताओं में से) से जुड़े 12 मामलों में नियमों के पालन में कमियां पाई गईं, करदाताओं (बिल्डर्स/डेवलपर्स) द्वारा निर्माण सेवाओं के अंतर्गत चल रहे या पूरे हो चुके परियोजनाओं पर गलत तरीके से आईटीसी का लाभ उठाने के कारण ₹3.22 करोड़ की अनियमितता सामने आई।

जब यह इंगित किया गया (सितंबर 2024 से जनवरी 2025), तो विभाग/मंत्रालय ने 10 मामलों/अवलोकनों में सुधार की कार्रवाई (वसूल किया, एससीएन जारी किया और स्वीकार किया) शुरू की जिसमें ₹2.50 करोड़ की मौद्रिक मूल्य सम्मिलित था और तीन मामलों में ₹44.65 लाख की वसूली की गई। बाकी दो मामलों के उत्तर प्रतिक्षित हैं (फरवरी 2026)।

[62] सस्ती आवासीय इकाइयों के लिए 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी एक प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत जीएसटी।

[63] गैर-सस्ती आवासीय इकाइयों तथा वाणिज्यिक इकाइयों के लिए 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी पाँच प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत जीएसटी।

कुछ मामले उदाहरणार्थ नीचे दिए गए हैं:

(i) कोच्चि आयुक्तालय के कक्कानाड रेंज-I के तहत आने वाले एक करदाता ने विव 2020-21 और 2021-22 के दौरान रियायती दर (एक प्रतिशत) पर कर का भुगतान किया। हालांकि, क्रेडिट बहीखाते और जीएसटीआर-3बी रिटर्न की जांच करने पर पता चला कि करदाता ने 2020-21 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹73.36 लाख का आईटीसी (वापस किए जाने के बाद) लिया था। आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण पूरा होने पर नगरपालिका (थ्रिक्काकारा) द्वारा 18 मार्च 2023 को समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाते के अनुसार, इस परियोजना के लिए कुल उपलब्ध आईटीसी (जब समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया था) ₹63.96 लाख था। जीएसटीआर-1 रिटर्न के अनुसार, करदाता ने अप्रैल 2020 से फरवरी 2022 की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य संविदा सेवा नहीं ली थी इसलिए क्रेडिट बहीखाते में जमा ₹63.96 लाख का आईटीसी आवासीय अपार्टमेंट से संबंधित था जिसे वापस किया जाना था।

इसे इंगित किया गया (जनवरी 2025) और विभाग/मंत्रालय ने अगस्त 2025 में करदाता को एससीएन जारी करने की जानकारी दी।

(ii) कोच्चि आयुक्तालय के कक्कनाड रेंज-5 के एक करदाता ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान एक ऐसी परियोजना पर काम किया जो 10 अगस्त 2016 को शुरू हुई थी और दो अन्य परियोजनाओं पर भी काम किया जो 1 अप्रैल 2019 के बाद शुरू हुई थीं। परियोजनाओं से जुड़े उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करने पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि करदाता ने चल रहे परियोजनाओं के लिए तय किए गए प्रपत्र में आईटीसी का लाभ उठाते हुए कर चुकाने का विकल्प चुना हो। इसलिए यह माना गया कि करदाता ने कम दर पर कर चुकाने का विकल्प चुना था और इस वजह से आईटीसी पाने की पात्रता खो दी थी। हालाँकि, करदाता द्वारा 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए दाखिल की गई रिटर्न की जांच करने पर पता चला कि करदाता ने चल रहे परियोजनाओं के लिए 2020-21 में ₹49.00 लाख और 2021-22 में ₹52.31 लाख का आईटीसी दावा किया था। करदाता को दावा किए गए अयोग्य आईटीसी को वापस करना था।

जनवरी 2025 में इस को इंगित किया गया; विभाग/मंत्रालय ने मार्च 2025 में करदाता को एससीएन जारी करने की जानकारी दी।

(iii) सूरत आयुक्तालय के रेंज IV के अंतर्गत आने वाले एक करदाता के मामले में, जो आवासीय निर्माण परियोजनाओं में सम्मिलित था, उसने नगर नियोजन योजना सं. 21 के अंतर्गत निर्माण किया और 13 सितंबर 2021 तक सभी खंडों के लिए इमारत का इस्तेमाल की स्वीकृति प्राप्त कर ली। धारा 18(4) के अनुसार, इमारत का इस्तेमाल की स्वीकृति मिलने पर आईटीसी खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अचल संपत्ति की आपूर्ति (समापन प्रमाणपत्र या इमारत का इस्तेमाल करने की स्वीकृति मिलने के बाद) एक छूट-प्राप्त आपूर्ति होती है। हालाँकि, करदाता ने न केवल इमारत का इस्तेमाल की स्वीकृति मिलने पर उपलब्ध ₹28.86 लाख के आईटीसी को वापस करने में चूक की बल्कि इमारत का इस्तेमाल की स्वीकृति के बाद अतिरिक्त ₹5.80 लाख का आईटीसी भी ले लिया जिससे कुल राशि ₹34.67 लाख हो गई।

जब यह इंगित किया गया (नवंबर 2024), विभाग/मंत्रालय ने जानकारी दी (दिसंबर 2024) कि करदाता ने दिसंबर 2024 में डीआरसी-03 (कर भुगतान के लिए प्रपत्र) के ज़रिए ₹42.30 लाख की रकम का भुगतान किया था।

4.7.3.7 अघोषित 'ऑन-मनी' आय पर जीएसटी लागू, जो आयकर विभाग द्वारा बिल्डर/डेवलपर से खोजी गई

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के अनुसार, जहाँ उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है, वह भी धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण देने या कर से बचने के लिए तथ्यों को छिपाने के कारण, तो वह उस कर योग्य व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिस पर कर देय है लेकिन जिसका भुगतान नहीं किया गया है, और उससे कारण बताने को कहेगा कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि के साथ धारा 50 के अंतर्गत देय ब्याज तथा नोटिस में निर्दिष्ट कर के बराबर शास्ति क्यों न लगाया जाए।

कर अपवंचन की रोकथाम और कर आधार का विस्तार प्रभावी कर प्रशासन के महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनका उद्देश्य कर संग्रहण को अधिकतम करना है। चूँकि कर प्रणाली स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करती हैं, इसलिए कर प्राधिकरणों

के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने और उसे प्रति-सत्यापित करने के लिए मजबूत तंत्र लागू करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पात्र करदाताओं को उचित रूप से कर दायरे में लाया जा रहा है।

केंद्रीय आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (सीईआईबी) के साथ जानकारी साझा करने की एक व्यवस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और सीबीआईसी दोनों द्वारा 25 जुलाई 2018 की अधिसूचना/आदेश तथा 16 अगस्त 2021 के निर्देश सं. 2/2021-22 क्रमश: के माध्यम से निर्धारित की गई है।

इस संदर्भ में, चयनित करदाताओं के एक नमूने पर लेखापरीक्षा किया गया, जिन्हें एसएससीए के अंतर्गत आच्छादित किए गए वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) या 153ए के अंतर्गत आकलित किया गया था। आकलन आदेशों की तुलना करदाताओं के जीएसटी रिटर्न से की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 715 करदाताओं में से दो मामलों में, जहाँ धारा 143(3) या 153ए के तहत आकलन लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए थे, उन आकलनों में योग अघोषित 'ऑन-मनी' आय के संबंध में कुल ₹42.58 करोड़ की वृद्धि पाई गई थी। ये वृद्धि, जो कि अपंजीकृत व्यावसायिक प्राप्तियाँ थीं, लागू दरों पर जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य थीं। इन दो मामलों में जीएसटी प्रभाव ₹5.65 करोड़ निकला।

इन दोनों मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) नासिक आयुक्तालय के तपोवन रेंज के अंतर्गत एक करदाता आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के से जुड़ा था। आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत एवाई 2022-23 (विव 2021-22) के लिए आयकर निर्धारण में फ्लैटों और दुकानों की 'ऑन-मनी' बिक्री से ₹33.58 करोड़ की बिना हिसाब नकद प्राप्तियों का खुलासा हुआ, जिन्हें आयकर विभाग द्वारा कर योग्य आय में जोड़ा गया। चूंकि ये प्राप्तियां खाता बही में दर्ज नहीं थीं, इसलिए इन्हें जीएसटी देयता घोषणाओं में भी सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य आवर्त को नहीं दर्शाया गया और जीएसटी का कम भुगतान किया गया।

जब यह इंगित (जनवरी 2025 में) किया गया, विभाग/मंत्रालय ने सूचित किया कि ₹4.03 करोड़ की कर देयता में से करदाता ने जून 2025 में ₹2.62 करोड़

का भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ₹1.41 करोड़ की कर राशि के कम भुगतान के संबंध में एससीएन (सितंबर 2025) जारी किया था।

(ii) रंगारेड्डी आयुक्तालय के कोंडापुर-II रेंज के अंतर्गत एक करदाता पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133ए के तहत सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में किसी अन्य करदाता से प्राप्त ₹ नौ करोड़ की बिना हिसाब व्यापार प्राप्तियों का खुलासा हुआ। इन प्राप्तियों को न तो जीएसटीआर-1 में घोषित किया गया और न ही संबंधित ₹1.62 करोड़ (18 प्रतिशत की दर से) की जीएसटी देयता का भुगतान किया गया।

जब यह इंगित (दिसंबर 2024 में) किया गया, विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024 में) कि निष्कर्ष तृतीय-पक्ष परिसर में जब्त सामग्री पर आधारित थे और करदाता के अपने रिकॉर्ड में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयकर विभाग ने करदाताओं के बीच व्यावसायिक लेनदेन की पुष्टि की थी और ₹ नौ करोड़ को बिना हिसाब आय मानते हुए आयकर मांग उठाई थी। आयकर कार्यवाहियों से संबंधित जानकारी का उपयोग बिना हिसाब आपूर्ति पर संबंधित जीएसटी देयताओं को ध्यान में रखने हेतु किया जाना चाहिए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

अनुशंसा संख्या 4

विभाग को सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए तथा आयकर प्राधिकरणों के पास उपलब्ध अलेखांकित आय की जानकारी का उपयोग कार्य संविदा और निर्माण सेवाएं प्रदान करने वाले करदाताओं की संबंधित जीएसटी देयता निर्धारित करने हेतु करना चाहिए।

4.7.3.8 मेट्रो परियोजनाओं के निष्पादन में कर देयता का आंशिक निर्वहन

मेट्रो परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के संविदाकार सम्मिलित होते हैं जो निर्माण, प्रणाली और संचालन के अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। प्रमुख संविदाकारों में सिविल निर्माण कंपनियाँ, प्रणाली समेकन कंपनियाँ और रोलिंग स्टॉक आपूर्तिकर्ता सम्मिलित हैं। विशिष्ट कार्यों जैसे विद्युत कार्य, सिग्नलिंग, दूरसंचार और लिफ्ट कार्य के लिए अतिरिक्त विशेषज्ञों की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार, कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं पर लागू

अधिसूचनाएँ और मेट्रो परियोजनाओं के निष्पादन पर छूट समान रूप से लागू होती हैं।

लेखापरीक्षा में 14 करदाताओं से संबंधित 28 अनुपालन त्रुटियाँ पाई गईं, जिनमें ₹8.91 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, जो देयता के आंशिक निर्वहन के कारण थीं।

जब यह इंगित (मार्च से अप्रैल 2025 के दौरान) किया गया, तो विभाग ने सुधारात्मक उपाय (स्वीकृत, एससीएन जारी और वसूली) शुरू किए 22 मामलों में ₹3.74 करोड़ की राशि के साथ, और ₹22.37 लाख की वसूली की गई। शेष छः मामलों के उत्तर प्रतीक्षित/खंडन किया गया थे (फरवरी 2026)।

कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे प्रस्तुत हैं:

(i) सीजीएसटी नियमावली के नियम 12 तथा अधिसूचना सं. 50/2018-केंद्रीय कर दिनांक 13 सितंबर 2018 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों को वस्तुओं और/या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान से स्रोत पर दो प्रतिशत की दर से कर कटौती करना आवश्यक है।

मदुरावॉयल रेंज, चेन्नई आउटर आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता एक सरकारी विभाग को कार्य संविदा सेवाएँ प्रदान कर रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता द्वारा जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट किया गया आवर्त ₹48.74 करोड़ था, जबकि संबंधित सरकारी विभाग द्वारा उस कार्य संविदा सेवा के लिए स्रोत पर कर कटौती के आंकड़ों के आधार पर गणना किया गया आवर्त ₹74.82 करोड़ था। इस प्रकार, ₹26.08 करोड़ की आपूर्तियों की कम रिपोर्टिंग हुई और इसके परिणामस्वरूप ₹3.13 करोड़ का जीएसटी का कम भुगतान हुआ।

जब यह इंगित (अप्रैल 2025) किया गया, तो विभाग/मंत्रालय ने बताया कि करदाता ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और माननीय न्यायालय ने करदाता को अंतरिम स्थगन प्रदान किया है।

(ii) लिफ्ट और एस्केलेटर संस्थापना सेवाएँ एसएसी 9954 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और 18 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। हालांकि, किफ़ायती

आवास योजना या सरकारी आपूर्ति या समग्र आपूर्ति के अंतर्गत इन सेवाओं को प्रदान करने वाले संविदाकारों के लिए 12 प्रतिशत की रियायती दर लागू होती है। मै. बी.जी. एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 9 मार्च 2021 के एडवांस अथॉरिटी रूलिंग (एएआर) ने भी सभी आपूर्तियों पर 18 प्रतिशत कर देयता की पुष्टि की है।

सूरत आयुक्तालय के रेंज-V के अंतर्गत वर्ष 2020-21 और 2021-22 हेतु करदाता के रिकॉर्ड की समीक्षा से, पाया गया कि करदाता ने निजी इकाइयों और सरकारी एजेंसियों को लिफ्टों की संस्थापना और कमीशनिंग ₹24.94 करोड़ के कर योग्य मूल्य पर की और 12 प्रतिशत की रियायती दर पर ₹2.99 करोड़ कर का भुगतान किया। चूंकि करदाता किफायती आवास योजना के संविदाकार नहीं थे या सरकारी इकाई के आपूर्तिकर्ता नहीं थे, इसलिए वे 12 प्रतिशत की रियायती दर के पात्र नहीं थे और कर 18 प्रतिशत की दर से देय था। रियायती दर के गलत लाभ लेने के कारण लागू ब्याज ₹1.49 करोड़ कर का कम भुगतान हुआ।

जब यह इंगित (मार्च 2025) किया गया, तो विभाग/मंत्रालय ने सूचित किया कि अगस्त 2025 में एससीएन जारी किया गया है।

4.7.4 अन्य अनुपालन मुद्दे

जीएसटी अधिनियम में उन व्यवसायों का पंजीकरण अनिवार्य है जिनका वार्षिक आवर्त सेवाओं के लिए ₹20 लाख (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए ₹10 लाख) से अधिक हो, साथ ही व्यवसाय के स्थानों का उचित प्रकटीकरण भी आवश्यक है। जीएसटी अधिनियम की धारा 37, 38, 39 या 45 के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा निर्धारित देय तिथियों के भीतर आवधिक जीएसटी रिटर्न या रिटर्न दाखिल करना और अन्य अनुपालनों का पालन करना भी अनिवार्य है।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के तहत, करदाताओं द्वारा दाखिल विवरण का निर्धारित उचित अधिकारी, सामान्यतः रेंज अधिकारी, द्वारा जांच (संवीक्षा) की जानी आवश्यक है ताकि उनकी सटीकता की पुष्टि की जा सके और किसी भी असंगति या विसंगति की पहचान की जा सके। ऐसी समस्याएँ पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में 522 करदाताओं से संबंधित 1,057 अनुपालन त्रुटियाँ पाई गईं, जो 715 करदाताओं के नमूने में थीं, जिनमें जीएसटी पंजीकरण में सेवा कोड और अतिरिक्त व्यवसाय स्थानों का उल्लेख न करना, आईटीसी के लाभ में असंगति तथा कर और ब्याज के कम उद्ग्रहण जैसी त्रुटियाँ सम्मिलित थीं, जिनमें ₹188.98 करोड़ की राशि सम्मिलित थी।

इन मुद्दों को अग्रलिखित पैरा में दर्शाया गया है:

4.7.4.1 पंजीकरण - पंजीकरण प्रमाणपत्र में नया एसएसी कोड घोषित न करना

सीजीएसटी नियमावली के नियम 24(2)(ए) के अनुसार, पूर्व कर व्यवस्था से माइग्रेट किए गए और उप-नियम (1) के तहत अस्थायी पंजीकरण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को फॉर्म जीएसटी आरईजी-26 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह आवेदन, आवश्यक जानकारी और सहायक दस्तावेजों के साथ, सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से दाखिल किया जाना चाहिए।

उक्त नियमों के नियम 24(2)(बी) के अनुसार यह जानकारी तीन महीने के भीतर या आयुक्त द्वारा अनुमत किसी विस्तारित समय के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 24(2)(सी) के अनुसार, यदि प्रस्तुत की गई जानकारी को उचित अधिकारी द्वारा सही और पूर्ण पाया जाता है, तो फॉर्म जीएसटी आरईजी-06 में एक स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा। इसके विपरीत, नियम 24(3) यह निर्दिष्ट करता है कि यदि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है या गलत या अपूर्ण पाई जाती है, तो उचित अधिकारी को फॉर्म जीएसटी आरईजी-27 में एक एससीएन जारी करना चाहिए और करदाता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, फॉर्म जीएसटी आरईजी-28 में आदेश के माध्यम से अस्थायी पंजीकरण रद्द करना चाहिए।

मंत्रालय के 2012 के प्रकाशन "काले धन पर श्वेत पत्र[64]" में अचल संपत्ति को उन क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है जो विशेष रूप से कर अपवंचन और अलेखांकित आय के सृजन के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए, सेवाओं का

[64] काले धन पर सरकार का श्वेत पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 16 मई 2012।

सही वर्गीकरण न केवल सटीक कर रिपोर्टिंग और अनुपालन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सरकार को क्षेत्र-विशिष्ट नीति निर्माण में भी सहायता करता है, विशेष रूप से कार्य संविदा और निर्माण सेवाओं जैसे क्षेत्रों में।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 715 मामलों के नमूने में से 176 मामलों में, करदाताओं ने जीएसटी व्यवस्था में कार्य संविदा या निर्माण सेवाओं (9954XX) से संबंधित सही एसएसी कोड के बजाय पुरानी सेवा कर व्यवस्था से संबंधित पुराने सेवा कर कोड (00440XXX) का उपयोग करके अपनी सेवाओं की घोषणा जारी रखी।

जब यह इंगित (अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच) किया गया, तो विभाग/मंत्रालय ने 135 मामलों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया। शेष 41 मामलों के उत्तर प्रतीक्षित थे/उनका खंडन किया गया था (फरवरी 2026)।

4.7.4.2 पंजीकरण - अतिरिक्त व्यवसाय स्थल को घोषित न करना/गलत तरीके से घोषित करना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(85) के अनुसार, 'व्यवसाय का स्थान' में कोई भी ऐसा स्थान सम्मिलित है जहाँ व्यवसाय सामान्य रूप से संचालित होता है, जिसमें गोदाम, भंडारगृह या कोई अन्य परिसर सम्मिलित है जहाँ पंजीकृत व्यक्ति माल का भंडारण करता है या माल या सेवाओं को प्राप्त या आपूर्ति करता है। 'अतिरिक्त व्यवसाय स्थल' से आशय राज्य के भीतर ऐसे किसी भी व्यवसाय-संबंधी स्थान से है, जो मुख्य व्यवसाय स्थल के अतिरिक्त हो, जहाँ से करदाता अपने संचालन करता है। सीजीएसटी नियमावली का नियम 19 पंजीकरण विवरणों में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसमें मुख्य और अतिरिक्त व्यवसाय स्थलों से संबंधित संशोधन भी सम्मिलित हैं।

आईटीसी दावों की परियोजना-वार निगरानी और सीजीएसटी अधिनियम एवं नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय स्थलों की सटीक घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 715 मामलों के नमूने में से 15 मामलों में, करदाताओं ने या तो अतिरिक्त व्यवसाय स्थलों की संख्या घोषित नहीं की थी या उसे गलत तरीके से घोषित किया था।

जब यह इंगित (अगस्त 2024 से जनवरी 2025) किया गया, विभाग/मंत्रालय ने आठ मामलों में इस अवलोकन को स्वीकार किया, जबकि शेष सात मामलों के उत्तर लंबित थे/खंडन किया गया था (फरवरी 2026)।

कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) पुणे-I आयुक्तालय के रेंज-III के अंतर्गत आने वाले एक करदाता के मामले में, करदाता एसएसी 995433 के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के साथ खुदाई सेवाएं भी प्रदान कर रहा था, कर बीजक और कार्य आदेशों की जांच से पता चला कि सेवाएं कई स्थानों पर निष्पादित की गईं, जिनमें वैभववाड़ी (जिला सिंधुदुर्ग), रंग हिल कॉर्नर (पुणे), एरंडवणे (पुणे), और भागपुर (जिला जलगांव) सम्मिलित थे। हालांकि, पंजीकरण विवरणों से संकेत मिला कि करदाता ने किसी भी अतिरिक्त व्यवसाय स्थल की घोषणा नहीं की थी।

जब यह इंगित (जनवरी 2025) किया गया, तो विभाग ने दिसंबर 2025 में करदाता के उत्तर को अग्रेषित किया, जिसमें करदाता ने इस अवलोकन को स्वीकार किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

(ii) रंगारेड्डी आयुक्तालय के चंदानगर रेंज के अंतर्गत करदाता द्वारा निष्पादित कार्यों की जांच से पता चला कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान करदाता द्वारा दो परियोजनाएं पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज व्यवसाय स्थल के अलावा अन्य स्थानों से ली गई थीं।

जब यह इंगित (अक्टूबर 2024) किया गया, विभाग/मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया गया है, और करदाता को एससीएन जारी किया गया था (मार्च 2025)।

4.7.4.3 विवरण दाखिल करना - ब्याज, विलंब शुल्क और शास्ति का भुगतान न करना/कम भुगतान

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर (पूरे या आंशिक रूप से) कर का भुगतान करने में विफल रहता है, उसे विलंब की अवधि के लिए ब्याज का

भुगतान करना आवश्यक है। लागू ब्याज दर अधिनियम के तहत अधिसूचित के अनुसार होती है।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 47 के अनुसार, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 37, 38, 39, या 45 के तहत आवश्यक रिटर्न या रिटर्न[65] निर्धारित नियत तिथियों तक दाखिल करने में विफल रहता है, उस पर ₹100 प्रति दिन का विलंब शुल्क लगाया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 है। इसके अतिरिक्त, धारा 44 के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विलंब के लिए ₹100 प्रति दिन का विलंब शुल्क लागू है, जिसकी सीमा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में करदाता के आवर्त के 0.25 प्रतिशत तक सीमित है।

रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए 1 जून 2021 दिनांकित अधिसूचना सं. 19/2021 के अनुसार, विलंब शुल्क प्रति विवरण ₹500 निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य करदाताओं के लिए यह संबंधित अनुभाग में स्पष्ट किए गए टर्नओवर स्लैब के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जीएसटीआर-3बी के विलंबित फाईलिंग के लिए विलंब शुल्क में एक सशर्त छूट भी प्रदान की गई थी, जो 1 जून से 31 अगस्त 2021 के बीच रिटर्न दाखिल करने पर लागू थी, जिसमें प्रति अधिनियम प्रति विवरण विलंब शुल्क ₹500 तक सीमित था।

लेखापरीक्षा में जीएसटीआर-3बी रिटर्न विलंबित रूप से दाखिल करने और परिणामस्वरूप विव 2020-21 और 2021-22 के दौरान कर के विलंबित भुगतान के कारण ब्याज (केवल नकद में भुगतान की गई शुद्ध कर देयता को ध्यान में रखते हुए), विलंब शुल्क और शास्ति की कम वसूली पाई गई, जो 715 करदाताओं के नमूने में से 205 करदाताओं से जुड़े 243 मामलों में ₹4.08 करोड़ की राशि थी।

जब इसे इंगित किया गया (अगस्त 2024 से जनवरी 2025), विभाग/मंत्रालय ने ₹2.81 करोड़ के मौद्रिक मूल्य से जुड़े 176 मामलों में अवलोकन को स्वीकार किया और ₹1.81 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। शेष 67 मामलों में उत्तर लंबित थे/खंडन किए गए थे (फरवरी 2026)।

[65] बाह्य आपूर्तियों का विवरण प्रस्तुत करना, अंतर्वर्ती आपूर्तियों एवं इनपुट कर क्रेडिट का विवरण संप्रेषित करना, विवरण प्रस्तुत करना तथा अंतिम विवरण।

कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) लेखापरीक्षा ने पाया कि पुणे-I आयुक्तालय के रेंज-V के अंतर्गत एक करदाता ने ₹5.70 करोड़ के रॉयल्टी व्यय (वर्ष 2021-22 के जीएसटीआर-9सी की तालिका 14जी के अनुसार) पर ₹1.19 करोड़ की आईटीसी का लाभ लिया और वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के लिए क्रमशः ₹4.80 लाख, ₹49.25 लाख और ₹54.46 लाख का कर केवल वर्ष 2021 में डीआरसी-03 दिनांक 16 जुलाई 2021 के माध्यम से आरसीएम आधार पर जमा किया। हालांकि, विलंबित कर भुगतान पर ₹34.75 लाख का ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

जब यह इंगित किया गया (जनवरी 2025) और विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (फरवरी 2026)।

(ii) लेखापरीक्षा ने हैदराबाद आयुक्तालय के अमीरपेट-II रेंज के अंतर्गत एक करदाता द्वारा जीएसटीआर-1 रिटर्न में घोषित बीजक और 2020-22 के दौरान बाद के जीएसटीआर-3बी रिटर्न के माध्यम से कर भुगतान की तिथि का सत्यापन किया और 20 बीजकों के संबंध में कर के विलंबित भुगतान का निरीक्षण किया, जिसके प्रति ब्याज की ₹19.17 लाख का कम उद्ग्रहण किया गया।

जब इसे इंगित (दिसंबर 2024), किया गया विभाग/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2025) कि पूरी राशि वसूल (डीआरसी-03 दिनांक 1 अगस्त 2025 के माध्यम से) कर ली गई है।

(iii) चेन्नई साउथ आयुक्तालय के रेंज-III के अंतर्गत एक करदाता के जीएसटीआर-3बी रिटर्न की समीक्षा में पाया गया कि करदाता ने जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 (अगस्त 2021 को छोड़कर) तथा मार्च 2022 के महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न विलंब से फाईल किए थे। इसके परिणामस्वरूप 2020-21 और 2021-22 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज का कम भुगतान/भुगतान न की गई कुल राशि ₹13.12 लाख आंकी गई।

जब इसे इंगित (दिसंबर 2024), किया गया विभाग ने ₹13.12 लाख की राशि वसूल (डीआरसी-03 दिनांक 19 नवंबर 2024 के माध्यम से) की गई।

4.7.4.4 रिटर्न फाईल करना - आईटीसी के उपयोग और कर भुगतान में विसंगतियाँ

सीजीएसटी नियमावली के नियम 36 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(2) के अंतर्गत पर आईटीसी के उपयोग की विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं। इन शर्तों में वह रिटर्न फाईल करना सम्मिलित है जिसमें करदाता द्वारा आईटीसी का दावा किया गया है तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किया गया हो। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 उन क्रेडिटों को निर्धारित करती है जिन्हें उपयोग करने से रोका गया है, जबकि धारा 9 कर के अधिरोपण और संग्रहण का प्रावधान करती है, जिसमें कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर आरसीएम के अंतर्गत कर लगाना भी सम्मिलित है, तथा धारा 49 कर भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करती है।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 यह प्रावधान करती है कि करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न की जांच नामित उचित अधिकारी द्वारा की जाएगी ताकि रिटर्न और संबंधित विवरणों की प्रमाणिकता की पुष्टि की जा सके तथा विसंगतियों की सूचना करदाताओं को सुधार हेतु दी जा सके।

चयनित करदाताओं के नमूने में दाखिल जीएसटी रिटर्न की समीक्षा से आईटीसी के उपयोग और कर भुगतान में असंगतियों से संबंधित 451 मामलों में विसंगतियाँ पाई गईं, जो 376 करदाताओं से संबंधित थीं, तथा जिनका राजस्व प्रभाव ₹144.67 करोड़ था, जिसका विवरण अग्रलिखित पैरा में विस्तार से दिया गया है।

आईटीसी के उपयोग और कर भुगतान में पाए गए असंतुलन के आयाम-वार मामलों तथा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का वर्णन **तालिका 4.4** में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.4: आईटीसी के लाभ उठाने और कर भुगतान के निर्वहन में असंगतियाँ

आयाम	पहचानी गईं विसंगतियाँ			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतीक्षित/खंडन किया गया	
	करदाताओं की सं.	मामलों की सं.	₹ करोड़ में	स्वीकृत मामलों की सं.[66]	₹ करोड़ में	मामलों की सं.	₹ करोड़ में
जीएसटीआर-2ए /2बी /3बी /9 /9सी रिटर्न के अनुसार प्राप्त आईटीसी में असंगति	158	195	38.07	140	27.34	55	10.73
आरसीएम- आईटीसी का अधिक लाभ लेना / कर का भुगतान किए बिना आईटीसी का दावा करना	6	6	0.58	3	0.08	3	0.50
प्राप्तकर्ताओं द्वारा आईएसडी क्रेडिट पर आईटीसी का अनियमित लाभ लेना	2	2	0.76	0	0	2	0.76
आईटीसी का वापस न करना / आंशिक रूप से वापस करना	50	57	11.62	41	10.23	16	1.39
जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी[67] और 12एफ़[68] में असंगत आईटीसी	17	18	7.33	7	0.24	11	7.09
अयोग्य आईटीसी का लाभ लेना जिसे अवरुद्ध क्रेडिट के रूप में पहचाना गया है	26	28	2.67	23	1.74	5	0.93

66 उन मामलों सहित जहाँ एससीएन जारी किया गया, ओआईओ पारित किया गया और वसूली की गई।

67 वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण/लेखा बही के अनुसार व्ययों पर लिए गए आईटीसी से सामंजस्य - असामंजस्यपूर्ण आईटीसी।

68 जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ़ का उपयोग लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और जीएसटीआर-9 विवरण के बीच असामंजस्यपूर्ण आईटीसी की रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है।

आयाम	पहचानी गईं विसंगतियाँ			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतीक्षित/खंडन किया गया	
	करदाताओं की सं.	मामलों की सं.	₹ करोड़ में	स्वीकृत मामलों की सं.[66]	₹ करोड़ में	मामलों की सं.	₹ करोड़ में
जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर और 7जी में असंगत आवर्त / कर योग्य आवर्त	5	5	0.31	2	0.04	3	0.27
जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में असंगत कर देयता	6	6	0.31	2	0.24	4	0.07
रिटर्न (जीएसटीआर-1/3बी/9/9सी) के अनुसार कर देयता को कम रिटर्न बताया जाना	106	134	83.02	72	44.47	62	38.55
योग	**376**	**451**	**144.67**	**290**	**84.38**	**161**	**60.29**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, जब इन पहचाने गए विसंगतियों को संप्रेषित किया गया, तो विभाग/मंत्रालय ने ₹ 84.38 करोड़ की राशि से संबंधित 290 विसंगतियों को स्वीकार किया। शेष 161 विसंगतियों, जिनमें ₹60.29 करोड़ सम्मिलित थे, के उत्तर लंबित थे /खंडन किया गया था (फरवरी 2026)।

4.7.4.5 कर योग्य आपूर्ति का अपवर्जन

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 के तहत 'आपूर्ति' में व्यापार के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिफल के बदले किए गए सभी प्रकार के माल या सेवाएँ सम्मिलित हैं, जिसमें आयात और बिना प्रतिफल के किए गए निर्दिष्ट लेन-देन भी सम्मिलित हैं। आपूर्तियाँ कर योग्य क्षेत्र में पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। अनुसूची I में निर्दिष्ट कुछ गतिविधियों को, भले ही वे बिना प्रतिफल के की गई हों, आपूर्ति माना जाता है, जबकि अनुसूची II विशिष्ट लेन-देन को माल या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करती है।

लेखापरीक्षा में 44 करदाताओं से संबंधित 45 मामलों में (715 करदाताओं के नमूने में से) अनुपालन संबंधी त्रुटियाँ देखी गईं, जिनकी राशि ₹15.67 करोड़ थी, जो करदाताओं द्वारा आपूर्ति के अपवर्जन के कारण हुईं।

जब इसे इंगित (अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक), किया गया विभाग/मंत्रालय ने एससीएन जारी किया, अवलोकनों को स्वीकार किया या 25 मामलों में ₹12.34 करोड़ की धनराशि से संबंधित बकाया राशि वसूल की। शेष 20 मामलों के उत्तर प्रतीक्षित थे/खंडन किया गया था। (फरवरी 2026)।

कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिये गए हैं:

(i) ठाणे आयुक्तालय के रेंज-IV के एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए बिक्री आंकड़े और 2020-21 तथा 2021-22 के लिए जीएसटीआर-9 के अनुसार कर पर प्रस्तुत आपूर्तियों के बीच अंतर देखा गया। यह अंतर क्रमशः ₹22.90 करोड़ (₹34.77 करोड़-₹11.87 करोड़) और ₹7.32 करोड़ (₹13.72 करोड़-₹6.39 करोड़) था। इससे विव 2020-21 और 2021-22 के लिए 18 प्रतिशत की दर से कर में कम वसूली हुई, जो क्रमशः ₹4.12 करोड़ और ₹1.31 करोड़ थी।

जब इसे इंगित (अक्टूबर 2024), किया गया विभाग/मंत्रालय ने जून 2025 में एससीएन जारी करने की सूचना दी।

(ii) लेखापरीक्षा ने रंगारेड्डी आयुक्तालय के कोंडापुर-I रेंज के अंतर्गत करदाता के वित्तीय विवरणों से देखा कि करदाता ने 2020-21 के दौरान अपने संबंधित पक्षों को ₹725 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की, जिसे 2020-21 के जीएसटीआर-1 में कर योग्य आपूर्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था और करदाता ने इस लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया। करदाता ने 2020-21 से पहले भी ₹1,080 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की थी, इसे भी इसी प्रकार सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप एक प्रतिशत की आपूर्ति मूल्य मानकर और 18 प्रतिशत (₹1805 करोड़ x 1 प्रतिशत x जीएसटी 18 प्रतिशत) की दर से कर योग्यता के आधार पर ₹3.25 करोड़ का कर कम वसूल हुआ।

जब इसे इंगित (अक्टूबर 2024), किया गया विभाग/मंत्रालय ने सितंबर 2025 में एससीएन जारी करने की सूचना दी।

4.7.4.6 वस्तुओं की आपूर्ति के गलत वर्गीकरण/कर दर के गलत अनुप्रयोग के कारण कर देयता का कम भुगतान

जीएसटी ढाँचे के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें अधिसूचना 1/2017 - केंद्रीय कर (दर) तथा 1/2017 - एकीकृत कर (दर) द्वारा विनियमित होती हैं, जिन्हें छः दर अनुसूचियों में संरचित किया गया है। इन अधिसूचनाओं की व्याख्या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में शामिल, उसके अध्याय टिप्पणियों तथा सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर की जानी है। सेवाओं के वर्गीकरण की योजना संबंधी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ यह भी स्पष्ट करती हैं कि जब कोई सेवा एक से अधिक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत हो सकती है, तो सामान्य विवरणों की अपेक्षा सबसे विशिष्ट वर्गीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में 11 करदाताओं से (715 करदाताओं के नमूने में से) संबंधित 13 मामलों में अनुपालन संबंधी त्रुटियाँ पाई गईं, जिनकी राशि ₹2.35 करोड़ थी, ये त्रुटियाँ आपूर्ति के गलत वर्गीकरण अथवा कर की दर के गलत अनुप्रयोग के कारण तैयार हुईं, जिससे कर देयता का कम निर्वहन हुआ।

जब इसे इंगित (अगस्त 2024 से जनवरी 2025), किया गया तब विभाग/मंत्रालय ने 11 मामलों में, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹2.06 करोड़ था, सुधारात्मक कार्रवाई (स्वीकृति, वसूली, एससीएन एससीएन जारी करना) प्रारंभ की तथा ₹5.10 लाख की राशि वसूल की। शेष दो मामलों के उत्तर प्रतिक्षित (फरवरी 2026)।

कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) राउरकेला आयुक्तालय के देवगढ़ रेंज के अंतर्गत एक करदाता ने फरवरी 2018 से मई 2022 की अवधि के दौरान हाइब्रिड एन्युटी मोड[69] के अंतर्गत कार्य संविदा सेवा की आपूर्ति हेतु एनएचएआई के साथ एक समझौता किया था। आगे की जाँच में यह पाया गया कि 2020-21 और 2021-22 की अवधि

---

[69] हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत निर्माण अवधि के दौरान निर्माण सहायता के रूप में सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है तथा शेष 60 प्रतिशत परिचालन अवधि में ब्याज सहित रियायतग्राही को वार्षिकी भुगतान के रूप में दिया जाता है।

के दौरान करदाता ने विद्युत उपयोगिता सेवा तथा सरकारी भवनों आदि के स्थानांतरण पर करयोग्य मूल्य का 12 प्रतिशत जीएसटी अदा किया था। तथापि, 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017 के अनुसार 12 प्रतिशत की दर केवल मूल कार्यों पर लागू होती है, न कि उपयोगिता सेवाओं पर। अतः कर का भुगतान 18 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹97.96 लाख का कर कम अदा किया गया।

जब इसे इंगित (अक्टूबर 2024) किया गया, तब विभाग/मंत्रालय ने सूचित किया कि मार्च 2025 में एससीएन जारी किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के जीएसटीआर-1 विवरण से यह पाया गया कि लुधियाना आयुक्तालय के रेंज-II के अंतर्गत एक करदाता ने एसएसी 955461 - विद्युत स्थापना सेवाओं पर लागू 18 प्रतिशत की दर से देय ₹1.41 करोड़ के स्थान पर 12 प्रतिशत की दर से ₹95.36 लाख की कर देयता का निर्वहन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹41.04 लाख का कर कम लगाया गया, साथ ही जीएसटी अधिनियम के अनुसार ब्याज एवं शास्ति भी देय था।

जब इसे इंगित (नवंबर 2024) किया गया, तब विभाग/मंत्रालय ने नवंबर 2024 में ही एससीएन जारी किए जाने की सूचना दी।

4.7.4.7 आपूर्ति के समय पर विचार न करने के कारण अप्रभारित देयता

कार्य संविदा तथा निर्माण सेवाओं के संदर्भ में परियोजनाएँ सामान्यतः कई वर्षों तक चलती हैं, जिनके दौरान कार्य की प्रगति के आधार पर चरणबद्ध रूप से भुगतान जारी किया जाता है। इन भुगतानों को चालू खाता (आरए) बिलों के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है, जिससे संविदाकारों को प्रत्येक चरण में पूर्ण किए गए कार्य के अनुपात में धनराशि प्राप्त होती है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(33) के अनुसार ऐसी सेवाएँ "सेवाओं की निरंतर आपूर्ति" की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, अर्थात ऐसी सेवाएँ जो तीन माह से अधिक अवधि वाले अनुबंध के अंतर्गत निरंतर या आवर्ती आधार पर प्रदान की जाती हैं तथा जिनमें आवधिक भुगतान की बाध्यता होती है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 13 द्वारा विनियमित आपूर्ति के समय संबंधी

प्रावधान यह अपेक्षा करते हैं कि प्राप्त आवधिक भुगतान/अग्रिम भुगतान को कर देयता के निर्वहन हेतु ध्यान में रखा जाए। धारा 31(5) निरंतर सेवा आपूर्ति के मामलों में चालान जारी करने की समय-सीमा भी निर्धारित करती है।

लेखापरीक्षा में 25 करदाताओं से (715 करदाताओं के नमूने में से) संबंधित 27 मामलों में अनुपालन संबंधी त्रुटियाँ पाई गईं, जिनकी राशि ₹9.70 करोड़ थी, ये त्रुटियाँ आपूर्ति के समय संबंधी प्रावधानों पर विचार न करने के कारण हुईं, जिससे कर देयता का कम प्रभारित की गई।

जब इसे इंगित (अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच) किया गया, विभाग/मंत्रालय ने 18 मामलों में, जिनकी राशि ₹6.90 करोड़ थी, कार्रवाई (स्वीकृति, एससीएन जारी करना तथा वसूली) प्रारंभ की और ₹24.77 लाख की राशि वसूल की। शेष नौ मामलों के उत्तर लंबित थे/उनका खंडन किया गया था (फरवरी 2026)।

नीचे कुछ उदाहरणात्मक मामले दिए गए हैं:

(i) रेंज डीडबल्यूडी4, सीजीएसटी आयुक्तालय बेंगलुरु पश्चिम के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹8.85 करोड़ और ₹10.42 करोड़ की अग्रिम राशि प्राप्त की थी। आपूर्ति के समय संबंधी प्रावधानों के अनुसार अग्रिम राशि प्राप्त होने के समय करदाता ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया। इसकी अपेक्षा, जब करदाता आपूर्ति हेतु बीजक जारी कर रहा था, तब प्राप्त अग्रिमों का समायोजन किए बिना जीएसटी का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹2.18 करोड़ का कर अल्प भुगतान हुआ तथा 2020-21 और 2021-22 के दौरान जीएसटी भुगतान में विलंब के कारण ₹1.60 करोड़ का ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

जब इंगित (दिसंबर 2024), किया गया तब विभाग/मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में एससीएन जारी किए जाने की सूचना दी।

(ii) रेंज-VI, सीजीएसटी आयुक्तालय कोलकाता उत्तर के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने 31 मार्च 2022 की स्थिति में अपनी तुलन पत्र में 'चालू परिसंपत्तियाँ' अनुसूची के अंतर्गत कार्य

संविदा के निष्पादन के प्रति ₹10.29 करोड़ की प्रतिधारण राशि दर्शाई थी तथा यह टिप्पणी दी थी कि कार्य संविदा के निष्पादन के प्रति प्रतिधारण राशि पर लागू करों का भुगतान वसूली के समय किया जाएगा। तुलन पत्र में दी गई टिप्पणी से स्पष्ट है कि करदाता प्रतिधारण राशि पर जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप 12 प्रतिशत की दर से ₹10.29 करोड़ की प्रतिधारण राशि पर गणना की गई ₹1.23 करोड़ की कर देयता अपूर्ण रही। कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज भी देय है।

जब विभाग को यह इंगित किया गया (दिसंबर 2024), तब विभाग ने (जनवरी 2025) कहा कि सनदी लेखाकार के प्रमाणन के अनुसार ₹10.29 करोड़ में से ₹8.70 करोड़ सुरक्षा जमा था और शेष ₹1.60 करोड़ प्रतिधारण राशि थी, जिसका आधार तुलन पत्र की टिप्पण 2.16 था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खातों में ₹10.29 करोड़ राशि को प्रतिधारण राशि के रूप में दर्ज किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

(iii) बेंगलुरु आयुक्तालय के रेंज ईएनडी2 के अंतर्गत एक करदाता के अभिलेखों की जांच से पता चला कि करदाता ने 2020-22 की अवधि के दौरान कार्य निष्पादन हेतु पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ₹32.04 करोड़ मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त की थी। करदाता प्राप्त अग्रिम राशि तथा उस पर देय ब्याज दोनों का समायोजन कार्य के निष्पादित भाग के लिए जारी बीजक के प्रति कर रहा था। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹3.35 करोड़ की अग्रिम राशि तथा ₹4.32 करोड़ ब्याज का समायोजन आपूर्ति बीजक के प्रति किया गया। इसी प्रकार, विव 2021-22 के दौरान ₹22.15 करोड़ तथा ₹92.57 लाख ब्याज का समायोजन आपूर्ति बीजक के प्रति किया गया। इस प्रकार, विव 2021-22 के अंत में करदाता के पास ₹6.54 करोड़ की मोबिलाइजेशन अग्रिम शेष था। प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी का भुगतान न करना जीएसटी के समय-आपूर्ति प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। चूँकि करदाता ने अगस्त 2020 में पंजीकरण प्राप्त किया था, इसलिए प्राप्त अग्रिमों पर कर देयता पंजीकरण की तिथि से देय हो गई थी। इस मामले में विलंबित भुगतान पर ब्याज देयता ₹83.65 लाख थी। इसके अतिरिक्त, करदाता ₹6.54 करोड़ की अप्रयुक्त अग्रिम राशि पर कर भुगतान के लिए भी उत्तरदायी था। इस भाग पर कर देयता ₹78.55 लाख आंकी गई थी।

जब यह इंगित (फरवरी 2025), किया गया तब विभाग/मंत्रालय ने मई 2025 में एससीएन जारी किए जाने तथा अगस्त 2025 में उस पर न्यायिक निर्णय किए जाने की सूचना दी।

4.7.4.8 आरसीएम के अंतर्गत रॉयल्टी पर कर का भुगतान न करना/अल्प भुगतान

28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) की क्रम सं. 5 के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यावसायिक इकाई को प्रदान की गई सेवाएँ आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी के लिए उत्तरदायी हैं। रॉयल्टी का उद्ग्रहण सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 'आपूर्ति' की परिभाषा में आता है। इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी परिपत्र (सं. 164/20/2021 दिनांक 6 अक्टूबर 2021) स्पष्ट करता है कि ऐसी रॉयल्टी एसएसी 997337 के अंतर्गत वर्गीकृत होती है, जो "खनिजों के उपयोग के अधिकार, जिसमें अन्वेषण एवं मूल्यांकन सम्मिलित है, हेतु लाइसेंसिंग सेवाओं" से संबंधित है, तथा इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर देय है।

लेखापरीक्षा ने 715 करदाताओं के नमूने में से 15 करदाताओं से संबंधित 15 मामलों में अनुपालन संबंधी त्रुटियाँ पाईं, जिनमें खातों में दर्ज रॉयल्टी व्यय पर देयता के अल्प निर्वहन के कारण ₹5.01 करोड़ की राशि सम्मिलित थी।

जब इसे इंगित (अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच), किया गया विभाग/मंत्रालय ने 12 मामलों में, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹4.41 करोड़ था, सुधारात्मक कार्रवाई (स्वीकारोक्ति एवं एससीएन जारी करना) प्रारंभ की तथा ₹0.05 लाख की वसूली की। शेष तीन मामलों के उत्तर प्रतीक्षित थे/उनका खंडन किया गया (फरवरी 2026)।

नीचे कुछ उदाहरणात्मक मामले दिए गए हैं:

(i) जीएसटी-III रेंज, उदयपुर आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता ने विव 2020-21 हेतु आय एवं व्यय विवरण में ₹7.03 करोड़ का रॉयल्टी व्यय दर्ज किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि ₹7.03 करोड़ की रॉयल्टी

राशि सरकार को भुगतान कर दी गई थी, फिर भी 18 प्रतिशत की दर से देय ₹1.26 करोड़ की कर देयता आरसीएम के अंतर्गत अदा नहीं की गई थी, जो लागू ब्याज सहित करदाता से वसूल की जानी थी।

जब यह इंगित किया गया (नवंबर 2024), तब विभाग/मंत्रालय ने सितंबर 2025 में एससीएन जारी किए जाने की सूचना दी।

(ii) रंगारेड्डी आयुक्तालय की वनस्थलीपुरम रेंज के अंतर्गत एक करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि करदाता ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए अपनी लेखा पुस्तकों में तेलंगाना सरकार द्वारा स्वामित्व/सिक्का ढलाई प्रभार, डीएमएफ़, (जिला खनिज फाउंडेशन शुल्क), एसएमईटी (राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट) तथा एनएसी (राष्ट्रीय निमा्रण एकेडमी) के रूप में रोकी गई राशियों को दर्ज किया था, फिर भी करदाता ने इन मदों पर कुल ₹5.90 करोड़ की राशि के संबंध में ₹1.06 करोड़ की जीएसटी देयता का भुगतान नहीं किया।

जब यह इंगित किया गया (दिसंबर 2024), तब विभाग/मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में एससीएन जारी किए जाने की सूचना दी।

(iii) पुणे-I आयुक्तालय की रेंज-III के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, करदाता ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ₹3.23 करोड़ रॉयल्टी के रूप में भुगतान किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उसकी जीएसटीआर-9 फाइलिंग में आरसीएम के अंतर्गत केवल ₹5.39 लाख का करयोग्य मूल्य दर्शाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कर भुगतान में ₹57.17 लाख का कम भुगतान किया गया।

जब यह इंगित किया गया (नवंबर 2024), तब विभाग/मंत्रालय ने एससीएन जारी किए जाने की सूचना दी (अक्टूबर 2025)।

4.7.4.9 आरसीएम के अंतर्गत जीटीए तथा अन्य शुल्कों पर कर का भुगतान न करना/कम भुगतान करना

दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017 - केंद्रीय कर (दर) में आरसीएम के अंतर्गत कर योग्य सेवाओं की कई श्रेणियों का उल्लेख है, जिनमें सम्मिलित हैं: क) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को सड़क मार्ग से माल परिवहन

हेतु माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवाएँ ख) किसी व्यक्तिगत अधिवक्ता या विधि फर्म द्वारा किसी व्यावसायिक इकाई को प्रदान की गई विधिक सेवाएँ ग) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यावसायिक इकाई को प्रदान की गई सेवाएँ, कुछ अधिसूचित सेवाओं को छोड़कर घ) किसी कंपनी या निगमित निकाय को निदेशक द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ और ड़) अन्य विविध शुल्क, जिनमें नगरपालिका शुल्क भी सम्मिलित हैं, जब वे व्यावसायिक इकाइयों को प्रदान किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने 66 करदाताओं से (715 करदाताओं के नमूने में से) संबंधित 72 मामलों में अनुपालन संबंधी त्रुटियाँ पाईं, जिनकी राशि ₹7.50 करोड़ थी, ये त्रुटियाँ जीटीए तथा अन्य सेवाओं पर आरसीएम के अंतर्गत करदाताओं द्वारा कर देयता का भुगतान न करने अथवा कम भुगतान करने के कारण थीं।

जब यह इंगित किया गया (अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच), तब विभाग/मंत्रालय ने 41 मामलों में, जिनमें ₹4.24 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की तथा ₹41.75 लाख की वसूली की। शेष 31 मामलों के उत्तर प्रतीक्षित थे/खंडन किया गया था (फरवरी 2026)।

नीचे कुछ उदाहरणात्मक मामले दिए गए हैं:

(i) मुंबई पश्चिम आयुक्तालय की रेंज-II के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, आकलन वर्ष 2021-22 (विव 2020-21) तथा आकलन वर्ष 2022-23 (विव 2021-22) की आयकर विवरण से यह पाया गया कि क्रमशः ₹43.98 लाख तथा ₹8.87 करोड़ की राशि 'एमसीजीएम प्रभारों'[70] के रूप में डेबिट की गई थी। अधिसूचना सं. 13/2017 की क्रम सं. 5 के अनुसार, उक्त राशियों पर 18 प्रतिशत की दर से प्रतिलोम प्रभार पर कर का भुगतान किया जाना आवश्यक था। तथापि, संबंधित अवधि के जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी से लेखापरीक्षा ने पाया कि कर का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.67 करोड़ का कर कम उद्ग्रहण किया गया।

---

[70] एमसीजीएम अर्थात् **ग्रेटर मुंबई नगर निगम**, राज्य सरकार का आधिकारिक प्राधिकरण है जो मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास की देखरेख करता है। इसलिए यह उन सभी नगर संपत्ति मालिकों पर कर लगाता है जिनके पास रिहायशी प्रमाणपत्र है।

जब यह इंगित किया गया (फरवरी 2025), तब विभाग/मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में एससीएन जारी किए जाने की सूचना दी।

(ii) भुवनेश्वर आयुक्तालय की भुवनेश्वर एक्स रेंज के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, करदाता ने 2020-21 में ₹2.15 करोड़ तथा 2021-22 में ₹9.19 करोड़ मालभाड़ा एवं ढुलाई प्रभार दर्शाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-21 में आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया, जबकि 2021-22 में ₹0.70 करोड़ के करयोग्य मूल्य के प्रति केवल ₹0.03 करोड़ कर का भुगतान किया गया था। करदाता कुल परिवहन शुल्क पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, और इस प्रकार ₹0.53 करोड़ की कर देयता का भुगतान नहीं किया गया।

जब यह इंगित किया गया (दिसंबर 2024), तब विभाग/मंत्रालय ने सूचित किया कि जनवरी 2026 में करदाता को एससीएन जारी कर दिया गया है।

4.7.5 रेंज कार्यों में त्रुटियाँ

रेंज, कर प्रशासन तथा करदाताओं के अनुपालन पर निगरानी बनाए रखने के लिए सीबीआईसी के अंतर्गत सबसे निम्न संगठनात्मक पदानुक्रम हैं। उपयुक्त अधिकारी के रूप में जिम्मेदारियाँ निभाने वाले रेंज अधिकारियों को कर के निर्धारण, अधिरोपण तथा संग्रहण से संबंधित विभिन्न भूमिकाएँ निभानी होती हैं जिसमें पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा फाईल की गई रिटर्न की जांच, कर देयता का निर्धारण एवं बकाया राशि की वसूली की अनुवर्ती कार्रवाई, जीएसटी रिटर्न के विलंब से फाईल करने/फाईल न करने वालों की निगरानी तथा करदाताओं पर निहित अन्य अनुपालन दायित्वों की निगरानी सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा ने 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान रेंजों के पर्यवेक्षण कार्यों की समीक्षा करने हेतु इस एसएससीए के अंतर्गत 71 रेंजों का एक नमूना चयनित किया।

लेखापरीक्षा ने चयनित 71 रेंजों में प्रचलित रिटर्न जांच एवं निर्धारण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। उन्नीस रेंजों ने करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी रिटर्न की जांच संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं कराया। लेखापरीक्षा ने नमूना रेंजों में से 57 रेंजों में पर्यवेक्षण कार्यों में त्रुटियाँ पाईं।

चार रेंजों ने अपेक्षित रूप से जांच नहीं की। ग्यारह रेंजों में जांच किए गए मामलों में त्रुटियाँ पाई गईं, जो निर्धारित कर/ब्याज में अंतराल को दर्शाती हैं, जो ₹3.18 करोड़ की राशि है।

बारह रेंजों के 73 मामलों में, लेखापरीक्षा ने विलंब पाया, जो मुख्यतः एएसएमटी-10 और एएसएमटी-12 जारी करने तथा जीएसटी की धारा 73 और 74 के अंतर्गत कार्रवाई करने में था। लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) द्वारा चिह्नित मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई 10 रेंजों के 76 मामलों में अपर्याप्त पाई गई, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹12.81 लाख था।

बीस रेंजों में 5,652 मामलों से संबंधित विलंबित/दाखिल न करने वालों की निगरानी में त्रुटियाँ थीं, जिनसे ₹3.28 करोड़ का धन-मूल्य संबंधित था।

लेखापरीक्षा ने 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान रेंजों के पर्यवेक्षण कार्यों की समीक्षा करने हेतु इस एसएससीए के अंतर्गत 71 रेंजों के नमूने का चयन किया और संवीक्षा, नोटिसों की अनुवर्ती कार्रवाई, विलंब से फाईल करने/फाईल न करने वालों की निगरानी तथा प्रतिदाय दावों के निपटान में त्रुटियाँ पाईं, जिन्हें अग्रलिखित पैरा में दिया गया है।

4.7.5.1 संवीक्षा में त्रुटियाँ

अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत उचित अधिकारी द्वारा रिटर्न की संवीक्षा का प्रावधान है। नियम 99 में पाई गई विसंगतियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। डीजीएआरएम जोखिम मानकों के आधार पर संवीक्षा हेतु विवरणी का चयन करता है तथा इसकी सूचना संबंधित आयुक्तालयों को भेजता है।

वर्ष 2019-20 तथा उसके बाद दाखिल किए गए रिटर्न की ऑनलाइन संवीक्षा के लिए सीबीआईसी के बैकएंड एप्लिकेशन में एक संवीक्षा मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है तथा इसके संबंध में विस्तृत निर्देश दिनांक 26 मई 2023 के निर्देश सं. 02/2023 में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2024 तक की अवधि के लिए चयनित 71 रेंजों में रिटर्न की संवीक्षा एवं निर्धारण की प्रचलित व्यवस्था की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया, जिसमें निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईं:

i. **सूचना उपलब्ध न कराना:** उन्नीस रेंजों[71] ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान कार्य संविदा अनुबंध एवं निर्माण सेवाओं (एसएसी 9954) के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी रिटर्न की संवीक्षा का विवरण उपलब्ध नहीं कराया।

ii. **संवीक्षा न करना:** चार रेंजों[72] ने अपेक्षित रूप से संवीक्षा नहीं की। उदाहरण के लिए, सूरत आयुक्तालय के डिवीजन-I, रेंज-III में अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि 2020-21 एवं 2021-22 के लिए रिटर्न की संवीक्षा नहीं की गई। 2022-23 में संवीक्षा हेतु प्राप्त 10 मामलों में केवल एक करदाता कार्य संविदा सेवा से संबंधित था। विव 2023-24 में यद्यपि संवीक्षा हेतु 14 मामले प्राप्त हुए, परंतु उनमें से कोई भी कार्य संविदा सेवाओं से संबंधित नहीं था।

    जब इस विषय को सितंबर 2024 में विभाग के संज्ञान में लाया गया, तो संबंधित रेंज के अधीक्षक ने (अक्टूबर 2024) उत्तर दिया कि रेंज स्तर पर केवल डीजीएआरएम द्वारा आवंटित तथा मुख्यालय के माध्यम से प्राप्त मामलों की ही संवीक्षा की जाती है और यह विषय वर्तमान नीतिगत निर्देशों द्वारा नियंत्रित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (फरवरी 2026)।

iii. **अपर्याप्त संवीक्षा के कारण कर एवं ब्याज/शास्ति की कम वसूली:** लेखापरीक्षा ने चयनित 71 रेंजों में से 11 रेंजों के 22 संवीक्षित मामलों में त्रुटियाँ पाईं, जो निर्धारित कर/ब्याज में ₹3.18 करोड़ की कमी को दर्शाती हैं।

जब यह इंगित (अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच) किया गया, विभाग/मंत्रालय ने 18 मामलों (नौ रेंजों) में लेखापरीक्षा की आपत्ति स्वीकार कर ली। शेष चार मामलों (तीन रेंजों) में विभाग/मंत्रालय के उत्तर लंबित थे/ उनका खंडन किया गया।

---

[71] 1. कोयंबटूर आईए; 2. वडापलानी रेंज v; 3. एग्मोर रेंज III; 4. इरोड I; 5. बीईडी-08; 6. रेंज-II (अलवर); 7. आरा; 8. गोपालगंज; 9. रेंज-IV (रांची); 10. मैंगो; 11. बोब्बिली; 12. सरूरनगर; 13. अमरावती कैपिटल सिटी रेंज; 14. गुडीमल्कपुर; 15. कुकटपल्ली; 16. रेंज-15 (गाजियाबाद); 17. रेंज-V टनकपुर; 18. रेंज-1 मुजफ्फर नगर; 19. रेंज-III (पुणे-1)।

[72] 1. आरा; 2. गोपालगंज; 3. III (सूरत); 4. रेंज-1 मुजफ्फरनगर।

रांची आयुक्तालय के अंतर्गत हज़ारीबाग डिवीजन की रेंज-IV में अपर्याप्त संवीक्षा का एक उदाहरण निम्नलिखित है:

एक करदाता ने 2019-20 के लिए केवल ₹28.15 करोड़ का टर्नओवर घोषित किया, जबकि कार्य संविदा सेवाओं से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ ₹34.02 करोड़ थीं। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹1.93 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ। तथापि, यह कमी संवीक्षा के दौरान नहीं पकड़ी गई।

जब यह में इंगित (दिसंबर 2024) किया गया, तो विभाग/मंत्रालय ने सूचित किया कि अगस्त 2025 में एससीएन जारी कर दिया गया है।

4.7.5.2 नोटिस जारी करने में त्रुटियाँ

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 99 के अनुसार, जब किसी पंजीकृत करदाता द्वारा फाईल रिटर्न को संवीक्षा हेतु चुना जाता है, तो उचित अधिकारी को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार उसकी जांच करनी होती है। यदि संवीक्षा के दौरान कोई विसंगति पाई जाती है, तो उचित अधिकारी को प्रपत्र एएसएमटी-10 में नोटिस जारी कर करदाता को उस विसंगति की सूचना देनी होती है तथा नोटिस प्रदान करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अथवा स्वीकृत विस्तारित अवधि में उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहना होता है। करदाता द्वारा प्रपत्र एएसएमटी-11 में उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, यदि वह उचित अधिकारी को संतोषजनक प्रतीत होता है, तो एएसएमटी-11 प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पंजीकृत करदाता को प्रपत्र एएसएमटी-12 में आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

चयनित 71 रेंजों के नमूने में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i. पैंतालीस तालीस मामलों (10 रेंजों में) में करदाताओं को एएसएमटी-10 नोटिस 14 से 82 दिनों के विलंब से जारी किए गए।

ii. अठाईस मामलों (सात रेंजों में) में, जहां करदाताओं द्वारा फॉर्म एएसएमटी-11 में दिए गए स्पष्टीकरण स्वीकार्य पाए गए, वहां फॉर्म एएसएमटी-12 में आदेश जारी करने में पांच से 579 दिनों तक का विलंब हुआ।

जब यह विषय अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच इंगित किया गया, तब विभाग ने 32 मामलों (तीन रेंजों के अंतर्गत) में लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार किया। शेष 41 मामलों (सात रेंजों के अंतर्गत) में मंत्रालय/विभाग के उत्तर फरवरी 2026 तक लंबित थे अथवा उनका खंडन किया गया था।

4.7.5.3 उच्च-जोखिम के रूप में चिह्नित किए गए मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई में कमियां

डीजीएआरएम कार्रवाई हेतु डेटा प्रबंधन निदेशालय पोर्टल (डीडीएम) पर उपलब्ध विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के माध्यम से उच्च-जोखिम वाले करदाताओं की सूचियां सीबीआईसी की क्षेत्रीय इकाइयों के साथ साझा करता है। डीजीएआरएम द्वारा उच्च-जोखिम ऐसे मामलों में रेंज अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यापक सत्यापन प्रक्रिया अपनाएं, जिसमें लागू ब्याज सहित कर अथवा क्रेडिट के अंतर की वसूली भी सम्मिलित हो। कार्रवाई पूरी होने पर सीबीआईसी की क्षेत्रीय इकाइयों को संबंधित डीजीएआरएम रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई का विवरण, जिसमें पता चली विसंगतियों तथा वसूली का विवरण सम्मिलित हो, डीडीएम पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 71 रेंजों के नमूने में से 10 रेंजों के 76 रेड-फ्लैग मामलों में, जिनमें ₹12.81 लाख का कर विचलन सम्मिलित था, रेंजों ने अपेक्षित सत्यापन नहीं किया।

जब यह विषय इंगित (अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच) किया गया इंगित किया गया, तब विभाग/मंत्रालय ने 28 मामलों (सात रेंजों में) में लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार किया, जबकि शेष 48 मामलों (तीन रेंजों में) में विभाग/मंत्रालय के उत्तर फरवरी 2026 तक लंबित थे।

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय के अंतर्गत कोट्टायम डिवीजन की रेंज-II के एक मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजीएआरएम रिपोर्ट में कर के विलंबित भुगतान तथा रिटर्न विलंबित दाखिले/दाखिल न करने के कारण ₹1.60 लाख की ब्याज देयता चिन्हित की गई थी, लेकिन रेंज द्वारा आवश्यक सत्यापन नहीं किया गया। जब यह विषय इंगित किया गया (दिसंबर 2024) तब

विभाग/मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2025) कि जनवरी 2025 में डीआरसी-03 के माध्यम से ₹1.56 लाख की वसूली कर ली गई है

4.7.5.4 रिटर्न दाखिल न करने वालों/विलंब से विवरण दाखिल करने वालों की निगरानी में त्रुटियाँ

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 46, जिसे सीजीएसटी नियमों के नियम 68 के साथ पढ़ा जाए, के तहत कर प्राधिकरणों को उन करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी करना अनिवार्य है जो निर्धारित नियत तिथि तक अपना विवरण दाखिल नहीं करते हैं। यदि करदाता इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अनुपालन नहीं करता है, तो सक्षम अधिकारी उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ निर्णय के आधार पर आकलन कर सकता है तथा फॉर्म एएसएमटी-13 में आकलन आदेश जारी कर सकता है। यह आकलन संबंधित वित्तीय वर्ष के वार्षिक विवरण दाखिल करने की नियत तिथि से पाँच वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। एकरूप प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड ने 24 दिसंबर 2019 के परिपत्र सं. 129/48/2019-जीएसटी के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, जिसमें रेंज अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली निर्धारित की गई।

लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा) में चयनित 71 रेंजों में से 20 रेंजों में यह पाया गया कि रिटर्न दाखिल न किए जाने के 5,652[73] मामलों में जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी किए गए थे। तथापि, आकलन पूरे नहीं किए गए और न ही आकलन आदेश जारी किए गए।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच), विभाग/मंत्रालय ने 15 रेंजों (2,115 मामलों के संबंध) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया। शेष आठ रेंजों (3,537 मामलों से संबंधित) से उत्तर प्रतीक्षित थे/उनका खंडन किया गया था (फरवरी 2026 तक)।

नीचे दो मामलों को रेखांकित किया गया है:

(i) रोहतक आयुक्तालय के अंतर्गत रोहतक डिवीजन की रेंज-02 में वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान 3,541 गैर-फाइलर (विवरण

[73] सोलह मामलों में जीएसटीआर-3ए नोटिस भी जारी नहीं किया गया।

दाखिल न करने वाले) चिन्हित किए गए और उन्हें जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी किए गए। इन नोटिसों के प्रत्युत्तर में 366 गैर-फाइलरों ने विवरण दाखिल कर दिए, जिससे 3,175 गैर-फाइलरों का शेष बचा, जिनके मामलों में विभाग को आकलन कर आकलन आदेश जारी करना आवश्यक था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने इन मामलों में एएसएमटी-13 जारी नहीं किया।

जब इसे इंगित किया गया (अगस्त 2024), तो विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि पोर्टल उन मामलों में एससीएन जारी कर देता है जहाँ करदाता निर्धारित समय के भीतर विवरण दाखिल नहीं करता। आगे, यदि करदाता एससीएन का उत्तर प्रस्तुत नहीं करता, तो पोर्टल स्वतः जीएसटीआईएन के स्वप्रेरित रद्दीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर देता है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि रिटर्न दाखिल न करने के संबंध में नोटिस जारी करना और स्वप्रेरित रद्दीकरण की प्रक्रिया स्वचालित कर दी गई है, कर देयता का आकलन करना दिसंबर 2019 की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अभी भी रेंज अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त, विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रद्द किए गए करदाताओं द्वारा अंतिम विवरण अर्थात् जीएसटीआर-10 दाखिल किया गया हो, क्योंकि मात्र पंजीकरण रद्द होने से करदाता से बकाया देयों की वसूली सुनिश्चित नहीं होती। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026 तक)।

(ii) इसी प्रकार, बेलगावी आयुक्तालय के अंतर्गत होस्पेट डिवीजन की होस्पेट-बी रेंज में वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान 226 गैर-फाइलरों की पहचान की गई और उन्हें जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी किए गए। जीएसटीआर-3ए के प्रत्युत्तर में 140 रिटर्न दाखिल न करने वालों ने विवरण दाखिल कर दिए, जिससे 86 रिटर्न दाखिल न करने वालों का शेष बचा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने इन 86 मामलों में आकलन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की।

जब इसे इंगित किया गया (नवंबर 2024), तो विभाग/मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2025) कि जीएसटीआर-3ए नोटिस प्रणाली द्वारा स्वतः जारी किए जा रहे हैं। शेष 86 करदाताओं में से तीन गैर-फाइलरों ने विलंब से विवरण दाखिल कर दिए तथा शेष 83 करदाताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि रिटर्न दाखिल न करने वालों के संबंध में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया स्वचालित कर दी गई है, कर देयता का आकलन दिसंबर 2019 की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अभी भी रेंज अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो नहीं किया गया। विभाग ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि रद्द किए गए करदाता अपना अंतिम विवरण जीएसटीआर-10 – दाखिल करें।

4.7.6 विभाग द्वारा करदाताओं की लेखापरीक्षा

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 65, जिसे सीजीएसटी नियमों के नियम 101 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का लेखापरीक्षा प्रारंभ कर सकते हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा के रूप में संस्थागत लेखापरीक्षा तंत्र, जीएसटी कानून और संबंधित नियमों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। इस प्रक्रिया में डीजीएआरएम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो जीएसटी डेटा से प्राप्त विश्लेषणात्मक जोखिम आकलनों के आधार पर उच्च-जोखिम वाले करदाताओं की पहचान करता है।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत आंतरिक लेखा-परीक्षा के लिए चयनित करदाताओं में से, 53 करदाताओं से संबंधित 97 मामलों में अनुपालन संबंधी कमियाँ पाई गईं, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹14.87 करोड़ था।

एसएससीएके अंतर्गत, लेखापरीक्षा आयुक्तालयों के अधिकार क्षेत्र से 115 करदाताओं का एक नमूना चुना गया। यह नमूना उन मामलों में से लिया गया था जिन्हें लेखापरीक्षा आयुक्तालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं क्षेत्र के करदाताओं से संबंधित लेखापरीक्षा हेतु नियोजित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि इन मामलों को लेखापरीक्षा हेतु नियोजित किया गया था, फिर भी लेखापरीक्षा आयुक्तालयों ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा नहीं किया। अतः 115 करदाताओं के इस नमूने में 70 ऐसे करदाता सम्मिलित थे जिनका लेखापरीक्षा किया गया था तथा 45 ऐसे करदाता सम्मिलित थे जिनका लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से लेखापरीक्षा किए गए तथा लेखापरीक्षा न किए गए दोनों प्रकार के मामलों में अनुपालन संबंधी त्रुटियाँ उजागर हुईं। लेखापरीक्षा किए गए वर्ग में 70 मामलों में त्रुटियाँ पाई गईं (जिनमें अभिलेख प्रस्तुत न करने/आंशिक रूप से प्रस्तुत करने के 19 मामले सम्मिलित हैं), जो कुल 70 में से 43 करदाताओं से संबंधित थीं तथा जिनका कुल वित्तीय प्रभाव ₹3.14 करोड़ था।

जब यह इंगित किया गया (अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच), तब विभाग ने 31 मामलों में कार्रवाई प्रारंभ की, जिनमें ₹0.86 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, और ₹11.74 लाख की वसूली की। शेष 20 मामलों पर उत्तर की प्रतीक्षा थी/खंडन किया गया था (फरवरी 2026)।

इसी प्रकार, जिन मामलों का लेखापरीक्षा नहीं किया गया था, उनमें 67 मामलों में अनुपालन संबंधी त्रुटियाँ देखी गईं (जिनमें अभिलेख प्रस्तुत न करने/आंशिक रूप से प्रस्तुत करने के 21 मामले सम्मिलित हैं), जो जाँचे गए 45 में से 33 करदाताओं से संबंधित थीं तथा जिनका वित्तीय प्रभाव ₹11.73 करोड़ था।

जब यह इंगित किया गया (अगस्त 2024 और जनवरी 2025), तब विभाग ने 24 मामलों में कार्रवाई प्रारंभ की, जिनमें ₹3.21 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, और ₹1.67 करोड़ की वसूली की। शेष 22 मामलों पर उत्तर की प्रतीक्षा थी/खंडन किया गया था (फरवरी 2026)।

मंत्रालय ने (फरवरी 2026) संबंधित सीबीआईसी लेखापरीक्षा आयुक्तालय का विवरण माँगा, जिसे तत्पश्चात उपलब्ध करा दिया गया (फरवरी 2026)। मंत्रालय का आगे का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

कुछ मामले निम्नानुसार उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के बिक्री रजिस्टर के सत्यापन के दौरान, जो बेंगलुरु दक्षिण आयुक्तालय के ईएसडी6 रेंज के अंतर्गत था, यह पाया गया कि एसएसी 995466 के अंतर्गत ₹114.59 करोड़ के करयोग्य मूल्य वाली सेवाओं की आपूर्ति पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया था। तथापि, अधिसूचना सं. 11/2017 तथा कर्नाटक अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (वस्तु एवं सेवा कर), दिनांक 9 मार्च 2021 के प्रावधानों के अनुसार, एसएसी 995466 के अंतर्गत वर्गीकृत लिफ्ट एवं एस्केलेटर स्थापना सेवाओं की आपूर्ति पर

18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज सहित ₹6.87 करोड़ के जीएसटी की कम वसूली हुई।

जब यह इंगित किया गया (जनवरी 2025), तब विभाग ने इस टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया (अगस्त 2025) और कहा कि एकल आवासीय इकाई से संबंधित कार्य संविदा की समग्र आपूर्ति पर 12 प्रतिशत की रियायती दर लागू होती है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संबंधित आपूर्ति एसएसी कोड 995466 के अंतर्गत वर्गीकृत है, जो "लिफ्ट एवं एस्केलेटर स्थापना सेवाओं" से संबंधित है, और आपूर्ति की प्रभावी दर 18 प्रतिशत है, चाहे आपूर्ति एकल आवासीय इकाई के लिए की गई हो अथवा घरेलू या वाणिज्यिक उपयोग हेतु। इस दृष्टिकोण का समर्थन मैं स्मारटेक एलीवेटर्स केईआर/129/2021, दिनांक 18 फरवरी 2022 के मामले में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा भी किया गया है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

(ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोच्चि आयुक्तालय के कक्कनाड रेंज-III के एक करदाता के जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी की जाँच के दौरान यह पाया गया कि सभी संशोधनों सहित जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹15.85 लाख थी, जबकि करदाता ने जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹1.31 करोड़ की आईटीसी का लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.15 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी प्राप्त की गई।

जब यह इंगित किया गया (दिसंबर 2024), तब विभाग/मंत्रालय ने इस टिप्पणी को स्वीकार किया और मार्च 2025 में एससीएन जारी किया।

(iii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9सी की जाँच के दौरान, रांची लेखापरीक्षा आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता ने 12 प्रतिशत की दर से ₹43.15 करोड़ कर का भुगतान किया था, जबकि ₹365.25 करोड़ के करयोग्य मूल्य पर देय कर ₹43.82 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹67.19 लाख के जीएसटी दायित्व तथा ₹45.79 लाख के लागू ब्याज का कम भुगतान हुआ।

यह इंगित किया गया (जनवरी 2025) में और विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि वर्क्स एवं निर्माण सेवाओं जैसे उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने हेतु लेखापरीक्षा कवरेज तथा लेखापरीक्षा की गुणवत्ता–दोनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

4.8 राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर प्रभाव

जीएसटी भुगतानों में सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी आदि विभिन्न घटक सम्मिलित होते हैं और ये संघ तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के राजस्व को प्रभावित करते हैं। इस रिपोर्ट में रेखांकित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राजस्व पर निष्कर्षों का वित्तीय प्रभाव **परिशिष्ट-I** में दिया गया है।

4.9 निष्कर्ष

एसएससीए का संचालन इस उद्देश्य से किया गया था कि यह जांचा जा सके कि क्या जीएसटी प्रशासन, जीएसटी अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं तथा करारोपण एवं कर संग्रह, आईटीसी (आईटीसी) के उपयोग और कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं में संलग्न करदाताओं द्वारा दावा की गई छूटों से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने में प्रभावी था। एसएससीए ने रेंजों (विभागीय क्षेत्रीय इकाइयों) के कार्यों का भी मूल्यांकन किया ताकि कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं से संबंधित जाँच, निर्धारण तथा लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) की रिपोर्टों के अनुपालन की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।

कार्य संविदा/निर्माण सेवाओं पर एसएससीए में 735 करदाताओं के एक नमूने को सम्मिलित किया गया। सीबीआईसी ने 2 मई 2025 को अपने क्षेत्रीय गठन को लेखापरीक्षा हेतु रिकॉर्ड/सूचनाओं के समयबद्ध प्रस्तुतिकरण के लिए निर्देश जारी किए थे। 735 में से 392 करदाताओं (53.33 प्रतिशत) के मामलों में विस्तृत रिकॉर्ड, जिन्हें विभाग को संबंधित करदाताओं से प्राप्त करना था, उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे सत्यापन और विश्लेषण के दायरे पर महत्वपूर्ण सीमा तैयार हुई।

कार्य संविदा और निर्माण सेवाओं पर इस एसएससीए से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों में ₹401.42 करोड़ की राशि से संबंधित 1,334 अनुपालन त्रुटियाँ

सम्मिलित थीं। इन अनुपालन विचलनों में से विभाग ने ₹268.36 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली 903 कमियों को स्वीकार किया।

एक हज़ार तीन सौ चौंतीस कमियों में से 123 मामले विशेष रूप से कार्य संविदा सेवाओं से संबंधित थे, जिनका राजस्व प्रभाव ₹190.98 करोड़ था। ये त्रुटियाँ सड़कों, पुलों, रेलवे और मृदा-कार्य के निर्माण से संबंधित कार्य संविदा पर रियायती कर दर/छूट का गलत लाभ लेने, सरकारी प्राधिकरण/संस्था को प्रदान की गई कार्य संविदा सेवाओं पर देयता का कम निर्वहन, बिल्डर/डेवलपर द्वारा आरसीएम के अंतर्गत देयता का कम निर्वहन, आवासीय रियल एस्टेट/रियल एस्टेट परियोजनाओं में अनियमितताएँ, चालू/पूर्ण परियोजनाओं पर आईटीसी का अनियमित लाभ, आयकर प्राधिकरणों द्वारा खोजी गई अप्रमाणित 'ऑन-मनी' आय पर जीएसटी का भुगतान न करना तथा मेट्रो परियोजनाओं के निष्पादन में कर देयता का कम निर्वहन जैसे कारणों से तैयार हुईं।

जीएसटी विवरण दाखिल करने, आईटीसी के उपयोग तथा कर देयता के निर्वहन से संबंधित सामान्य अनुपालन त्रुटियाँ 1,334 कमियों में से 1,057 मामलों में देखी गईं, जिनमें 522 करदाता सम्मिलित थे। ये मुख्यतः जीएसटी पंजीकरण में सेवा कोड और अतिरिक्त व्यवसायिक स्थान घोषित न करने, आईटीसी के उपयोग में असंगति तथा कर एवं ब्याज की कम वसूली के कारण थीं, जिनमें ₹188.98 करोड़ की राशि सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा ने विवरणों की जाँच और निर्धारण के लिए चयनित 71 रेंजों में प्रचलित प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन किया। उन्नीस रेंजों ने करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणों की जाँच का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। लेखापरीक्षा ने नमूना रेंजों में से 57 रेंजों में निगरानी संबंधी त्रुटियाँ देखीं। जहाँ चार रेंजों ने कोई जाँच नहीं की, वहीं 11 रेंजों में जाँचे गए मामलों/डीजीएआरएम द्वारा चिह्नित मामलों में त्रुटियाँ पाई गईं, जिनमें ₹3.18 करोड़ की राशि सम्मिलित थी। बारह रेंजों में मुख्यतः एएसएमटी-10, एएसएमटी-12 जारी करने तथा धारा 73 और 74 के अंतर्गत कार्रवाई में विलंब देखा गया। इसके अतिरिक्त, 10 रेंजों में चिह्नित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई में त्रुटियाँ पाई गईं, जिनका वित्तीय मूल्य ₹12.81 लाख

था। बीस रेंजों में 5,652 मामलों से संबंधित विलंबित विवरण दाखिलकर्ताओं/ विवरण न दाखिल करने वालों की निगरानी में त्रुटियाँ थीं, जिनका वित्तीय मूल्य ₹3.28 करोड़ था।

आंतरिक लेखापरीक्षा के संदर्भ में भी अनुपालन संबंधी त्रुटियाँ 54 करदाताओं से जुड़े 97 मामलों में देखी गईं, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹14.87 करोड़ था। इनमें वे मामले सम्मिलित थे जिनका विभाग द्वारा लेखापरीक्षा किया गया था, साथ ही वे मामले भी जो लेखापरीक्षा के लिए नियोजित थे लेकिन उनका लेखापरीक्षा नहीं किया गया।

4.10 अनुशंसाओं का सारांश

1. विभाग एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिसके अंतर्गत संवीक्षा या आंतरिक लेखापरीक्षा में मामलों के बड़े नमूने को सम्मिलित किया जाए, जहाँ कार्य संविदा सेवाओं से संबंधित रियायतों का लाभ उप-संविदाकारों/उप-उप-संविदाकारों द्वारा लिया जा रहा हो, जो सड़क, पुल और रेलवे के कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं, ताकि करदाताओं द्वारा कर का उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

   विभाग दावा की जा रही रियायतों को विनियमित करने हेतु उपयुक्त सत्यापन नियंत्रणों को सम्मिलित करने की संभावना का भी परीक्षण करे।

2. विभाग एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिसके अंतर्गत जांच या आंतरिक लेखापरीक्षा में मामलों के बड़े नमूने को सम्मिलित किया जाए, जहाँ मृदा-कार्य के लिए रियायती दर का दावा उन कार्य संविदा सेवाओं पर किया जाता है, जिनका निष्पादन सेवा प्रदाताओं (उप-उप-संविदाकारों) द्वारा किया गया हो, जो उप-संविदाकारों के अतिरिक्त अन्य हों, ताकि करदाताओं द्वारा कर का उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

   विभाग दावा की जा रही रियायतों को विनियमित करने हेतु उपयुक्त सत्यापन नियंत्रणों को सम्मिलित करने की संभावना का भी परीक्षण करे।

3. विभाग ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिसके अंतर्गत उन मामलों की समीक्षा (जैसे कि उन्हें जांच, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि के लिए चयनित करना) की जाए, जहाँ कार्य संविदा या निर्माण सेवाओं का निष्पादन करने वाले

करदाता सरकारों से सेवाएँ प्राप्त करते हैं अथवा अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से इनपुट तथा इनपुट सेवाएँ खरीदते हैं, ताकि ऐसे करदाताओं द्वारा आरसीएम के अंतर्गत कर का उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

4. विभाग को सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने तथा आयकर प्राधिकरणों के पास उपलब्ध अघोषित आय संबंधी जानकारी का उपयोग करते हुए कार्य संविदा और निर्माण सेवाएँ प्रदान करने वाले करदाताओं की संबंधित जीएसटी देयता का निर्धारण करना चाहिए।

नई दिल्ली | **(स्मिता गोपाल)**
दिनांक: 27 जुलाई 2026 | **प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 29 जुलाई 2026 | **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट I: राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर प्रभाव

(पैरा 4.8 देखें)

(₹ करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा सं.	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	एसजीएसटी राशि वसूली गई
आंध्र प्रदेश	**6.710**	**5.087**	**0.248**
4.7.3.4	0.024	0.000	0.000
4.7.4.3	0.161	0.079	0.036
4.7.4.4	6.209	4.953	0.203
4.7.4.5	0.078	0.000	0.000
4.7.4.6	0.005	0.005	0.008
4.7.4.9	0.177	0.000	0.000
4.7.5.1	0.056	0.049	0.000
अरुणाचल प्रदेश	**0.051**	**0.001**	**0.001**
4.7.4.3	0.051	0.001	0.001
असम	**0.063**	**0.059**	**0.003**
4.7.4.3	0.059	0.059	0.003
4.7.4.4	0.002	0.000	0.000
4.7.5.3	0.001	0.000	0.000
बिहार	**11.055**	**1.207**	**0.020**
4.7.3.1	5.536	0.000	0.000
4.7.3.3	0.079	0.075	0.000
4.7.3.4	0.328	0.000	0.000
4.7.4.3	0.097	0.022	0.020
4.7.4.4	3.915	0.053	0.000
4.7.4.8	0.043	0.000	0.000
4.7.5.1	1.005	1.005	0.000
4.7.5.3	0.053	0.053	0.000
छत्तीसगढ़	**5.082**	**0.333**	**0.031**
4.7.3.1	3.031	0.045	0.000
4.7.4.3	0.013	0.000	0.000
4.7.4.4	1.408	0.031	0.031
4.7.4.5	0.372	0.000	0.000
4.7.4.9	0.001	0.000	0.000
4.7.6	0.257	0.257	0.000

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा सं.	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	एसजीएसटी राशि वसूली गई
दिल्ली	**5.614**	**4.340**	**0.059**
4.7.3.1	0.016	0.016	0.029
4.7.3.3	4.258	4.258	0.000
4.7.4.3	0.018	0.006	0.004
4.7.4.4	1.223	0.060	0.026
4.7.6	0.099	0.000	0.000
गुजरात	**2.582**	**2.189**	**0.321**
4.7.3.1	0.007	0.007	0.013
4.7.3.2	0.063	0.063	0.004
4.7.3.3	0.043	0.043	0.000
4.7.3.5	0.412	0.412	0.000
4.7.3.6	0.387	0.387	0.214
4.7.3.8	1.138	0.771	0.000
4.7.4.3	0.017	0.017	0.015
4.7.4.4	0.189	0.189	0.070
4.7.4.5	0.289	0.289	0.000
4.7.4.6	0.009	0.009	0.004
4.7.4.9	0.027	0.001	0.000
4.7.6	0.001	0.001	0.001
हरियाणा	**3.235**	**0.184**	**0.135**
4.7.4.3	0.026	0.026	0.005
4.7.4.4	3.173	0.132	0.103
4.7.4.5	0.032	0.023	0.023
4.7.4.9	0.003	0.003	0.003
4.7.6	0.001	0.001	0.001
हिमाचल प्रदेश	**1.317**	**1.317**	**0.000**
4.7.4.4	1.317	1.317	0.000
जम्मू एवं कश्मीर	**0.731**	**0.731**	**0.000**
4.7.5.4	0.731	0.731	0.000
झारखंड	**1.924**	**0.833**	**0.016**
4.7.3.3	0.080	0.080	0.000
4.7.4.3	0.031	0.031	0.008
4.7.4.4	0.772	0.621	0.008
4.7.4.5	0.328	0.000	0.000
4.7.4.8	0.101	0.101	0.000
4.7.6	0.612	0.000	0.000

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा सं.	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	एसजीएसटी राशि वसूली गई
कर्नाटक	**9.703**	**4.939**	**0.208**
4.7.3.1	0.293	0.126	0.000
4.7.3.3	0.281	0.281	0.000
4.7.3.4	0.025	0.025	0.025
4.7.4.3	0.073	0.066	0.048
4.7.4.4	1.524	0.473	0.022
4.7.4.5	0.066	0.059	0.011
4.7.4.6	0.071	0.000	0.000
4.7.4.7	3.366	3.366	0.069
4.7.4.8	0.087	0.087	0.000
4.7.4.9	0.035	0.011	0.012
4.7.5.1	0.002	0.002	0.000
4.7.5.3	0.008	0.008	0.000
4.7.6	3.873	0.436	0.021
केरल	**2.863**	**2.818**	**0.293**
4.7.3.4	0.011	0.011	0.000
4.7.3.6	0.935	0.935	0.000
4.7.3.8	0.555	0.555	0.104
4.7.4.3	0.104	0.104	0.054
4.7.4.4	0.471	0.450	0.126
4.7.4.7	0.043	0.019	0.008
4.7.4.9	0.035	0.035	0.002
4.7.5.3	0.002	0.002	0.000
4.7.5.4	0.118	0.118	0.000
4.7.6	0.590	0.590	0.000
मध्य प्रदेश	**22.186**	**16.327**	**0.106**
4.7.4.3	0.114	0.074	0.038
4.7.4.4	19.940	15.347	0.032
4.7.4.5	0.500	0.397	0.002
4.7.4.7	0.026	0.000	0.000
4.7.4.9	1.412	0.326	0.023
4.7.5.4	0.172	0.160	0.000
4.7.6	0.023	0.023	0.010
महाराष्ट्र	**25.963**	**20.415**	**3.879**
4.7.3.2	5.718	5.502	0.000
4.7.3.3	0.091	0.091	0.000

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा सं.	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	एसजीएसटी राशि वसूली गई
4.7.3.4	5.600	5.516	0.000
4.7.3.5	0.035	0.000	0.000
4.7.3.6	0.009	0.009	0.009
4.7.3.7	2.015	2.015	1.515
4.7.3.8	0.008	0.008	0.008
4.7.4.3	0.379	0.205	0.112
4.7.4.4	6.016	2.403	1.960
4.7.4.5	3.321	2.739	0.019
4.7.4.6	0.113	0.113	0.011
4.7.4.7	0.020	0.020	0.000
4.7.4.8	0.564	0.554	0.000
4.7.4.9	1.130	0.933	0.070
4.7.5.4	0.117	0.117	0.000
4.7.6	0.826	0.189	0.175
मेघालय	**0.030**	**0.000**	**0.000**
4.7.5.4	0.030	0.000	0.000
ओडिशा	**27.484**	**18.541**	**0.229**
4.7.3.1	21.637	14.103	0.000
4.7.3.3	0.501	0.290	0.002
4.7.3.4	0.450	0.450	0.000
4.7.4.3	0.092	0.040	0.102
4.7.4.4	2.619	2.221	0.113
4.7.4.5	0.004	0.004	0.004
4.7.4.6	0.655	0.655	0.002
4.7.4.8	0.453	0.208	0.000
4.7.4.9	0.297	0.297	0.006
4.7.5.1	0.165	0.165	0.000
4.7.5.4	0.442	0.000	0.000
4.7.6	0.169	0.109	0.000
पंजाब	**2.944**	**0.221**	**0.011**
4.7.4.3	0.005	0.005	0.003
4.7.4.4	2.734	0.012	0.008
4.7.4.6	0.205	0.205	0.000
राजस्थान	**3.979**	**2.167**	**0.109**
4.7.3.1	0.020	0.020	0.000
4.7.4.3	0.125	0.100	0.078

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा सं.	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	एसजीएसटी राशि वसूली गई
4.7.4.4	3.327	1.556	0.024
4.7.4.8	0.091	0.091	0.003
4.7.4.9	0.412	0.399	0.004
4.7.6	0.005	0.000	0.000
सिक्किम	**0.004**	**0.004**	**0.000**
4.7.4.3	0.004	0.004	0.000
तमिलनाडु	**7.559**	**4.493**	**0.384**
4.7.3.1	2.477	2.477	0.008
4.7.3.8	1.882	0.000	0.000
4.7.4.3	0.204	0.180	0.169
4.7.4.4	1.346	0.543	0.134
4.7.4.5	1.037	0.989	0.000
4.7.6	0.613	0.305	0.073
तेलंगाना	**40.052**	**39.220**	**1.354**
4.7.3.1	18.910	18.910	0.000
4.7.3.2	11.757	11.757	0.000
4.7.3.3	0.031	0.031	0.000
4.7.3.4	0.301	0.301	0.123
4.7.3.5	0.106	0.106	0.000
4.7.3.7	0.810	0.000	0.000
4.7.4.3	0.233	0.230	0.148
4.7.4.4	5.748	5.729	1.083
4.7.4.5	1.625	1.625	0.000
4.7.4.8	0.532	0.532	0.000
त्रिपुरा	**0.041**	**0.010**	**0.005**
4.7.4.3	0.010	0.010	0.005
4.7.5.4	0.031	0.000	0.000
उत्तर प्रदेश	**5.002**	**2.447**	**0.196**
4.7.3.3	0.740	0.000	0.000
4.7.3.6	0.363	0.000	0.000
4.7.4.3	0.047	0.005	0.005
4.7.4.4	2.724	2.259	0.114
4.7.4.5	0.038	0.030	0.030
4.7.4.6	0.116	0.042	0.000
4.7.4.7	0.690	0.047	0.047
4.7.4.9	0.026	0.012	0.000

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरा सं.	सम्मिलित एसजीएसटी राशि	स्वीकृत एसजीएसटी राशि	एसजीएसटी राशि वसूली गई
4.7.5.1	0.150	0.000	0.000
4.7.5.4	0.001	0.001	0.000
4.7.6	0.109	0.050	0.000
उत्तराखंड	**0.571**	**0.095**	**0.007**
4.7.3.3	0.104	0.000	0.000
4.7.4.3	0.065	0.061	0.001
4.7.4.4	0.250	0.003	0.006
4.7.4.7	0.002	0.000	0.000
4.7.6	0.151	0.031	0.000
पश्चिम बंगाल	**4.079**	**1.285**	**0.066**
4.7.3.8	0.010	0.005	0.000
4.7.4.3	0.088	0.053	0.040
4.7.4.4	3.153	1.210	0.022
4.7.4.5	0.022	0.010	0.000
4.7.4.7	0.707	0.000	0.000
4.7.4.9	0.100	0.006	0.003
महा योग	**190.822**	**129.262**	**7.677**

शब्दकोश

एआरएन	आवेदन संदर्भ संख्या
एआरएसएम	स्वचालित विवरणी संवीक्षा मॉड्यूल
बीआई	व्यावसायिक आसूचना
बीआईएफए	व्यावसायिक आसूचना एवं प्रवंचना विश्लेषण
बीओ	पश्च कार्यालय
बीआरडी	व्यावसायिक आवश्यकता दस्तावेज
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीईएनवीएटी	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सीईआरटी-इन	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल
सीईएसटीएटी	सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सीआईएन	कॉर्पोरेट पहचान संख्या
सीएलएस	संरचना लेवी योजना
सीआर	परिवर्तन अनुरोध
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीवीडी	प्रतिपूरक शुल्क
डीडीएम	डेटा प्रबंधन निदेशालय
डीडीओ	आहरण एवं वितरण अधिकारी
डीजीएआरएम	विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय
डीजीसीईआई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशक
डीजीजीआई	माल एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय
डीआईएन	निदेशक पहचान संख्या
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व सूचना निदेशालय
ईसीएल	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाताबही
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसके	जीएसटी सुविधा केंद्र
जीएसटी	माल एवं सेवा कर

जीएसटीएएम	माल एवं सेवा कर लेखापरीक्षा बही
जीएसटीआईएन	माल एवं सेवा कर पहचान संख्या
जीएसटीएन	माल एवं सेवा कर नेटवर्क
जीएसटीआर	माल एवं सेवा कर विवरणी
एचएसएन	सुसंगत नामकरण प्रणाली
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईएफएफ	बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा
आईजीएसटी	एकीकृत माल एवं सेवा कर
आईएमएस	बीजक प्रबंधन प्रणाली
आईएसडी	इनपुट सेवा वितरक
आईएसओ	भारतीय मानक संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीसी	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आईटीआर	आयकर विवरण
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपीआर	मासिक निष्पादन रिपोर्ट
एनसीसीआईपीसी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
एनसीएससी	राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा तत्परता कंसोर्टियम
ओआईडीएआर	ऑनलाइन सूचना डेटाबेस एक्सेस एवं पुनः प्राप्ति सेवाएं
ओआईओ	प्रारंभिक आदेश
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीआईबी	प्रेस सूचना कार्यालय
पीएलए	व्यक्तिगत बही खाता
पीपीपी	सार्वजनिक-निजी भागीदारी
पीवीआर	व्यावसायिक परिसर की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट
क्यूआरएमपी	मासिक भुगतान के साथ त्रैमासिक विवरण
क्यूआरएमपी	त्रैमासिक विवरण दाखिल करना एवं करों का मासिक भुगतान करना
आरसीएम	विपरीत कर प्रभार तंत्र

आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
आरओसी	कंपनी पंजीयक
एसएसी	सेवा लेखांकन कोड
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसजीएसटी	राज्य माल एवं सेवा कर
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसएससीए	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
टीडीएस	स्रोत पर कटौती
यूएटी	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण
यूआईडीएआई	भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूटी	संघ राज्यक्षेत्र
यूटीजीएसटी	केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/